

ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक



नवम्बर 2021

विकास को समर्पित मासिक

₹ 30

पंचायती राज

प्रपुण आलेख

ग्राम सभा के जरिए शासन में जन भागीदारी
मूर्तीय अस्ताव

विशेष आलेख

पंचायतों का सफर
डॉ चंद्र शंखर कृमार

फोकम

वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण
के लिए संझी

ग्राम पंचायत विकास योजनाएं
रेखा यात्रा

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वामित्व योजना
आलोक प्रेम नागर




डिजिटल पंचायतें : ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस

विशेषताएं

एप्लीकेशन ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है



ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस एकीकरण मॉड्यूल



पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज के लिए नई विकसित सरलीकृत कार्य आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल, 2020 को किया था। यह एप्लीकेशन (प्रयोग) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की सभी मौजूदा एप्लीकेशन्स को समाहित करके तैयार की गई है और इसमें ई-एफएमएस एप्लीकेशन्स को शामिल कर लिया गया है जिनमें प्लान प्लास, एक्शन सॉफ्ट, पीआरआईए सॉफ्ट और नेशनल एरिया डायरेक्टरी भी जोड़ ली गई हैं। यह समूचा सिस्टम स्थानीय निकाय डायरेक्टरी (एलसीडी) सिस्टम के साथ एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर आधारित है।

- ई-ग्राम स्वराज (ई-जीएस, कार्य आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर): ईजीएस पंचायती राज संस्थानों के लिए विकसित कार्य-आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पंचायतों के कामकाज (निगरानी और परिसंपत्ति प्रबंधन) के विभिन्न अन्य पहलुओं सहित पंचायतों के नियोजन और लेखा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाला एकल प्लेटफॉर्म है।

- ई-ग्राम स्वराज (ईजीएसपीआई) इंटरफेस, 2018 में शुरू किया गया : इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और ईजीएस के अकाउंटिंग मॉड्यूल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मिलाकर एक तंत्र बनाना था ताकि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग के मद में ऑनलाइन भुगतान करने का इंटरफेस उपलब्ध हो जाए। ग्राम पंचायतों की ओर से वेंडर्स/ सेवाप्रदाताओं को वास्तविक भुगतान करने के लिए उपलब्ध यह अपनी तरह का एकमात्र ई-जीएसपीआई इंटरफेस है। इस प्रणाली में नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) के कार्यालय द्वारा निर्धारित मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। इससे पंचायती राज संस्थानों की साख बढ़ती है और ये संस्थान अधिक मजबूत बनते हैं।
- ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस एकीकरण : ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस, और कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) के बीच डेटा एनेबलिंग के माध्यम से किया गया था। डेटाफ्लो का विवरण ऊपर दिए गए चित्र में देखा जा सकता है। पिछले वित्त वर्ष में 21 राज्यों की 1 लाख 80 हजार से ज्यादा पंचायतों को शामिल किया गया और 1 लाख 53 हजार से ज्यादा पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था अपनाई।

ग्राम स्वराज में वार्षिक प्रगति

वित्त वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सक्रिय ग्राम पंचायतों की संख्या	चलाइ गई गतिविधियों की संख्या	ई-जीएसपीआई में शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या	ऑनलाइन भुगतान की सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
2017-18	2,49,102	1,37,051	12,56,876	-	-
2018-19	2,53,465	1,12,747	15,16,764	1,68,245	256
2019-20	2,55,714	1,14,361	14,80,526	1,69,951	1,03,961
2020-21	2,56,777	1,66,859	20,05,434	2,24,362	1,52,640
2021-22	2,55,354	3,77,163	3,29,935	2,23,923	1,46,557

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-73 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।


योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003



इस अंक में

प्रमुख आलेख

ग्राम सभा के जरिए शासन में
जन भागीदारी
सुनील कुमार..... 6



विशेष आलेख

पंचायतों का सफर
डॉ चंद्र शेखर कुमार
डॉ मोहम्मद तौकीर खान..... 10

फोकस

वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण
के एस सेठी, जी एस कृष्ण..... 16
ग्राम पंचायत विकास योजनाएं
रेखा यादव, कुणाल बंद्योपाध्याय 32



पंचायतों के लिए प्रोत्साहन
डॉ बिजय कुमार बेहेड़ा..... 22



अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण नियोजन मुज़म्मिल खान..... 38
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण सुकन्या केयू, जॉय एलामोन 43
डिजिटल स्थानीय शासन मयंक खरबंदा..... 48
लोगों की योजना श्लोकार्थ त्रिवेदी 54
सामुदायिक आजीविका सहयोग सुमिता चौधरी 59
सूचना, शिक्षा और संचार आलोक पंड्या..... 64
कोविड-19 के दौरान ग्रामीण प्रबंधन रामिन्द्र कौर बटला, यतिका हसीजा 68

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वामित्व योजना
आलोक प्रेम नागर 26
पुस्तक चर्चा: पंचायती राज इन इंडिया ...30

नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?
डिजिटल पंचायतें: ई-ग्राम स्वराज
पीएफएमएस इंटरफेस कवर-2


अगला अंक : आत्मनिर्भर भारत




प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें प.सं. 52

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,
पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय



नारी शक्ति



नारी विशेषांक पसंद आया

योजना-माह सितंबर-2021 अंक नारी विशेषांक बहुत पसंद आया। इस अंक के सभी आलेख पठनीय और सराहनीय हैं। खासकर 'खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिलाएं' के बारे में नई, ताजी बहुत अच्छी जानकारी मिली।

डॉ रंजना कुमारी का आलेख 'स्त्री-हत्या की रोकथाम' एवं डॉक्टर के त्रिपाठी का विशेष आलेख 'स्वयं सहायता समूह' तथा 'महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी' विषय पर फोकस अंशु गुप्ता का भी आलेख बहुत अच्छा लगा।

— विनोद कुमार तिवारी

प्रोफेसर कॉलोनी, फारबिसगंज, बिहार
नया समाजीकरण हो

सामाजिक मान्यताओं के आधार पर गढ़ी महिलाओं के दोयम दर्जे की स्थिति कहीं न कहीं 21वीं सदी में भी कायम हैं हालांकि बहुत कुछ बदला भी है लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि महिलाएं खुद को पुरुषों के नज़रिए से ही देखती हैं उनका स्वयं पर अधिकार न होना काफी दुखद प्रतीत होता है।

नारी विशेषांक के संपादकीय में यह सवाल कि 'औरत के कमज़ोर होने' का नहीं चलिक 'सामाजिक ताने-वाने के कमज़ोर' होने का है- यह समझना होगा कि जब एक बच्चा गर्भ में रहता है तो यह ज्ञात नहीं होता कि बच्चा किस लिंग का है। तब तो हम उस शरीर से ही प्यार कर रहे होते हैं, तो दुनिया में आने के बाद भी हमें शरीर से ही प्यार होना चाहिए न कि लिंग के आधार पर।

20वीं सदी की फ्रांस की सामाजिक दार्शनिक सिमोन द वडआ आज भी प्रासंगिक सावित हो रही हैं। वात यहां स्त्री-पुरुष

समानता की नहीं है, सामाजिक बराबरी/न्याय की है। महिलाओं का समाजीकरण ऐसा हुआ है कि उनमें खुद के लिए एक हीन भावना सी आ जाती है कि उन्हें सब कुछ ढककर करना पड़ता है और पुरुष खुले आम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे- 'मातृत्व' में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

एक और बड़ा सवाल- जब हम महिलाएं किसी मुसीबत या समस्या में घिरी होती हैं तो हमें मदद की गुहार भी पुरुषों से लगाने की होती है। यह कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता से होकर ही आई होती है। सवाल तो बहुत हैं जिन्हें कुछ पत्रों में नहीं समेटा जा सकता।

इन सब विचारों से एक बात अवश्य निकल कर सामने आती है कि जब तक सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा सामाजिक न्याय/बराबरी का सवाल हल नहीं होगा।

हमारी सरकार ने एक 'नया भारत' का स्वप्न संजोया है वैसे ही 'नया समाजीकरण' हो जिसमें केवल 'एक शरीर' होगा लिंग, जाति, वर्ग इत्यादि नहीं।

— कल्पना

रायबरेली, उत्तर प्रदेश

लोक प्रशासन मतलब

जनता की सेवा

भारत के संघीय ढांचे को एक सूत्र में पिरोने वाला यह लोक प्रशासन ही है। अगस्त 2021 योजना के अंक ने जिस तरह से शब्दों को समझाने के लिए पिरोया है वह अद्भुत है।

मीनाक्षी गुप्ता के द्वारा लेख 'शासन में ईमानदारी' वाकई में अतुलनीय है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं का जो

पुरजोर समर्थन किया था उसे हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि जिस भावना के साथ उन्होंने इस तथ्य को प्रस्तुत किया था उसी भावना के अनुरूप हमें दिल लगाकर समाज में व्याप्त हर बुराई को जड़ से मिटा देना चाहिए ताकि उनके सपनों पर और आज के नए भारत (न्यू इंडिया) पर हम खरा उत्तर सकें।

— गुलाब काजल

हथवाला, जींद, हरियाणा

यथार्थवाद को दिखाया है

योजना का नारी शक्ति पर आधारित सितंबर अंक ने समाज में काफी यथार्थवाद को दिखाया है और नारी सशक्तीकरण को समाज में कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी सटीक चर्चा की है।



मुख्य रूप से बात करें तो डॉक्टर रंजना कुमारी का आलेख 'स्त्री हत्या की रोकथाम' में दिखाया गया है कि घरेलू हिंसा के मामले लॉकडाउन के बाद से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में एक सर्वे के अनुसार दिखाया गया था कि महिला का आत्महत्या स्तर बढ़ रहा है। दहेज हत्या व बाल हत्या की रोकथाम में सरकार प्रमुख कदम उठा रही है- जैसे लोगों ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से 898 बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाई। मासिक धर्म पर आलेख काफी ज्ञानवर्धक व यथार्थवादी है। परंतु मेरे दृष्टिकोण से जो सोच हमारी मां बहन को समाज में बोलने को लेकर बनी हुई है उसे खत्म करना चाहिए। वह निःसंकोच अपने परिवार के किसी सदस्य (जैसे मां-बाप या भाई) को मासिक धर्म के बारे में बता सके।

अंक प्रस्तुति के लिए योजना टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद!

— मोहित कुमार

खेरा, औरेया, उत्तर प्रदेश

योजना, नवम्बर 2021



जन भागीदारी

19 50 के दशक में, सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ने 'पंचलाइट' (पंचलैट) नामक कहानी लिखी। तत्कालीन ग्रामीण समाज के संदर्भ में स्थापित यह कहानी एक ऐसे युग को दर्शाती है, जिसमें अधिकांश ग्रामीण भारत में बिजली नहीं थी। अधिकांश ग्रामीण घरों में ढिबरी या छोटा दीपक जलाते थे। पेट्रोमैक्स का खर्च हर कोई वहन नहीं कर पाता था अतः सार्वजनिक जगह या केंद्र में रखे जाने के लिए पंचायत ही इसे खरीदती थी, इसलिए इसे पंचलाइट कहा जाता था। श्री रेणु की इस आंचलिक कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश एवं जाति समीकरणों का चित्रण है जिसमें गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अलग-अलग टोलियां बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, लेकिन उस टोली के किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। इसके बावजूद दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद लेना सभी को नागवार गुज़र रहा था। तभी पेट्रोमैक्स जलाने की जानकारी रखने वाले गोधन का नाम सामने आया, जिसका पंचायत ने हुक्का पानी बंद किया हुआ था। गोधन भी बहिष्कार से नाराज था किंतु मानमनोव्वल के बाद उसी ने पेट्रोमैक्स (पंचलाइट) जलाकर गांव की उस टोली की 'नाक' को बचाया। अज्ञानता और झूठी शान के अंधेरे में जी रहे इन ग्रामीणों का यथार्थवादी चित्रण श्री रेणु ने किया था। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था के संस्थागतकरण ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है।

आज पंचायतें शासन की आधारभूत संस्था हैं। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी, जैसा कि हम आज देखते हैं। स्थानीय शासन की लोकतांत्रिक त्रि-स्तरीय प्रणाली का उद्देश्य गांवों के आर्थिक, सामुदायिक और सामाजिक विकास के लिए पंचायतों को शक्तियां, धन और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना है। उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है। इन पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में गांवों को आत्मनिर्भर और विकेन्द्रीकृत बनाने के लिए महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को दृष्टिगत रखा गया है। ये संस्थान नियोजन और विकास की प्रक्रिया में 'लोगों की भागीदारी' को सुगम बनाते हैं। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की पहचान सुनिश्चित करते हैं और सहभागी योजना और अभिसरण के माध्यम से सभी समुदायों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमि के स्वामित्व के लिए हाल ही में शुरू की गई स्वामित्व योजना जैसे कई सुधार हैं, जो वित्तीय लाभ और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी जोड़ रहे हैं।

प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग हमारे देश के ग्रामीण परिदृश्य को भी बदल रहा है। ई-पंचायतों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण निकायों को स्वचालित (ऑटोमेशन) करने की परियोजना के सराहनीय परिणाम मिल रहे हैं और इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन के समावेशी, समुदाय संचालित और समग्र योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान, शहरों से विपरीत प्रवास यानी गांव वापसी के कारण, पंचायतों ने ग्रामीण आबादी के बीच वायरस के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की 65 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, इसलिए वायरस के कारण होने वाली व्यापक तबाही के प्रबंधन में उनकी भूमिका अपरिहार्य थी। ग्राम पंचायतों ने वायरस के संचरण को धीमा करने और वायरस से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने के लिए, उनकी क्षमता अनुसार व्यापक व्यवस्था लागू की। जनभागीदारी और प्रभावी स्थानीय शासन के माध्यम से वे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने में सबसे आगे काम कर रहे हैं। महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ग्रामीण आबादी की भलाई और सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कार्यों में कैसे सुधार आवश्यक है, जो देश के बाकी हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं के लिए उन पर निर्भर है। पंचायत और उसके पदाधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही लाना भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत कर रहा है।

योजना का यह विशेष अंक पंचायती राज प्रणाली के पीछे की दृष्टि और विचार तथा विभिन्न क्षेत्रों में दशकों में की गई पहलें और जमीन पर सफलता की उन कहानियों को एक साथ लाता है जिनसे प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिली। यह हमारे गांवों के आत्मनिर्भर होने की यात्रा दर्शाने का प्रयास है जो सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। ■

ग्राम सभा के जरिए शासन में जन भागीदारी

सुनील कुमार

ग्राम पंचायत, पंचायती ढांचे में सबसे निचले स्तर पर मौजूद है। इसका मकसद ग्रामीण आबादी को ऐसे अवसर मुहैया कराना है, ताकि वे ग्राम सभाओं जैसे मंच के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन प्रणाली में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। ये ग्राम सभाएं लोगों के लिए सीधा मंच मुहैया कराती हैं, जहां गांवों/ग्राम पंचायत के बोटर शामिल होते हैं और उन्हें ग्रामीण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सीधे तौर पर निगरानी और ग्राम पंचायतों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार होता है।

भा

रत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने में पंचायती राज संस्थानों की अहम भूमिका रही है। संविधान के 73वें संशोधन के ज़रिए इन संस्थानों के लिए मज़बूत बुनियाद तैयार की गई है। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों के रूप में स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

ग्राम सभा का कामकाज

ग्राम सभा के तहत, गांवों में फैसले लेने की प्रक्रिया में वहाँ के नागरिकों की सीधी भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच है जहां वे अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। साथ ही, यहां पर स्थानीय समुदाय अपनी आकांक्षाओं के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि, ग्राम सभा के कामकाज में भी चुनौतियां देखने को मिलती हैं और यहां नियमितता और पारदर्शिता का अभाव नज़र आता है। न्यूनतम भागीदारी, ग्राम सभा की बैठकों में अनियमितता, बेहतर कार्य सूची का अभाव जैसी गड़बड़ियां आदि वजहों से ग्राम सभा का संचालन प्रभावकारी तरीके से नहीं हो पाता है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि गांवों में रहने वाले कमज़ोर तबके के लोग खुलकर अपनी राय नहीं रख पाते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर सरपंच अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी

अनुच्छेद 243 : ग्राम सभा को 'ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर एक निकाय' के रूप में परिभाषित करता है।

अनुच्छेद 243ए : एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।

वजह से ग्राम सभाओं में उनकी आलोचना नहीं हो पाती। इस तरह, अवसर ग्राम सभा की भूमिका महज़ एक सांकेतिक मंच के तौर पर सिमट कर रह जाती है।

राज्यों में ग्राम सभा

कर्नाटक, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ग्राम पंचायतों के बड़े आकार को देखते हुए इन राज्यों की पंचायतों में वॉर्ड सभा आदि का अतिरिक्त ढांचा भी तैयार किया गया और ग्राम सभा की बैठक से पहले वॉर्ड सभा की बैठक का नियम तय किया गया है। पंचायती राज कानून के तहत, कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतों से जुड़े निश्चित बोटों के आधार पर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इनमें छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, लक्ष्मीपुर शामिल हैं। ग्राम सभा के अधिकारों और कामकाज के बारे में फैसला लेने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया है, लिहाज़ा सालाना स्तर पर ग्राम सभा की होने वाली बैठकों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। फिलहाल, ग्राम सभा की सालाना बैठकों के लिए तय की गई संख्या 1 से 6 तक है। त्रिपुरा सरकार ने सालाना कम से कम एक बैठक का प्रावधान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य में अधिकतम 6 बैठकों का प्रावधान किया गया है। ज्यादातर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बैठकों की अनिवार्य संख्या 2 से 4 है।

संख्या	ग्राम सभा की आवृत्ति	राज्य
अधिकतम	6	छत्तीसगढ़, तेलंगाना
न्यूनतम	1	त्रिपुरा
औसत	3	बाकी राज्य

चित्र 1 : राज्यों में ग्राम सभा की बैठकों का वर्तमान परिदृश्य

संबंधित राज्यों के पंचायती राज कानूनों के मुताबिक बैठकों की निर्धारित अनिवार्य संख्या के अलावा, राष्ट्रीय महत्व के दिनों मसलन गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर भी ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालयों ने राज्यों को इन विशेष बैठकों का बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जा सकती है, ताकि नागरिकों को इसके लाभकारी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, विभिन्न तरह के अभियानों जैसे संविधान दिवस, कोरोना जागरूकता अभियान, फिट इंडिया अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आदि को ध्यान में रखते हुए भी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभाओं का नियमित तौर पर आयोजन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्राम सभा जैसे संस्थान में ग्रामीण लोगों का भरोसा बढ़ता है। इसके अलावा, नियमित तौर पर ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं होने पर इन सभाओं में लोगों की भागीदारी में भी कमी आ सकती है। कई राज्यों में ग्रामीणों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों मसलन निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों की सभाओं में सीमित भागीदारी देखी गई है। ग्राम सभा को प्रभावी बनाने में यह एक बड़ी बाधा है।

आवश्यकता और प्रासंगिकता

ग्राम सभा की परिकल्पना एक विशिष्ट संस्थान के तौर पर की गई थी, ताकि नागरिक ज़मीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को प्रमुखता से पेश कर सकें और संभावित समाधानों पर आम-सहमति बना सकें। ग्राम सभा के फैसले खुले, पारदर्शी और व्यापक स्वीकार्यता वाले होते हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं पर काम कर

**विभिन्न तरह के अभियानों
जैसे संविधान दिवस, कोरोना
जागरूकता अभियान, फिट इंडिया
अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
आदि को ध्यान में रखते हुए
भी ग्राम सभाओं का आयोजन
किया जाता है। ग्राम सभाओं का
नियमित तौर पर आयोजन बेहद
ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्राम सभा
जैसे संस्थान में ग्रामीण लोगों का
भरोसा बढ़ता है।**

रही है। इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आम लोगों की गांलवंदी और उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ग्राम सभा इसके लिए आवश्य मंच मुहूर्या कराती है, जिसके ज़रिये नागरिकों से यीभा संवाद कर इन योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

डाडेरा ग्राम पंचायत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश

पिछले कुछ साल में कुछ राज्यों ने ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर इसका बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है। साथ ही, स्थानीय समस्याओं से निपटने में सफलता हासिल की है। ऐसा ही एक उदाहरण अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के पुरा पंचायत का है। साल 2019 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने सामान्य जल और बारिश के पानी के संरक्षण की ज़रूरत महसूस की। नागरिकों ने उपेक्षित पड़े कुंआं, गंदे पानी, नालियों आदि के बेहतर प्रबंधन के लिए काम शुरू किया। दरअसल, जल संरक्षण को लेकर इस पहल के बारे में फैसला ग्राम सभा की बैठक के दौरान हुआ था। ग्राम सभा की बैठक के बाद ग्राम पंचायत में 'जल शक्ति अभियान' शुरू किया गया, जिसके तहत कई कदम उठाए गए, मसलन तालाब की खुदाई, गंदे पानी का प्रबंधन, सार्वजनिक भवनों में बारिश के पानी का प्रबंधन आदि। इन उपायों से न सिर्फ गंब की कृषि संबंधी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि घटते भूजल स्तर को भी बेहतर किया जा सका। इन उपायों के ज़रिये राजस्व के नए स्रोत भी तैयार हुए। ग्राम पंचायतों ने तालाब की खुदाई के दौरान जमा हुई मिट्टी की बिक्री की और तालाब में मछली और बत्तख का पालन भी शुरू हुआ। इसी तरह, गंब के लोगों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से एक समस्या पर विचार किया गया और इसके समाधान के



चित्र 2 : नये तालाब का निर्माण



चित्र 3 : ग्रेवाटर हार्वेस्टिंग

लिए आम-सहमति तैयार की गई। इस तरह की पहल से राजस्व का नया स्रोत भी पैदा हुआ और इसकी वजह से ग्राम पंचायत का भी सशक्तीकरण हुआ। इस फैसले से ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली और ग्रामीणों के लिए रोज़गार के स्रोत तैयार किए जा सके। देशभर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ग्राम सभाओं का असर महसूस किया जा सकता है। हालांकि, ग्राम पंचायतों की संख्या और इस हिसाब से ग्राम सभाओं के असर को देखा जाए, तो इन सभाओं का असर सीमित रहा है। इस तरह, सक्रिय संस्थान के तौर पर ग्राम सभाओं के अस्तित्व को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि नागरिकों द्वारा इस मंच के माध्यम से स्थानीय मुद्दों से निपटा जा सके।

ग्राम सभाओं का कामकाज प्रभावी बनाने के उपाय

ग्राम पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए, नियमित स्तर पर ग्राम सभाओं की बैठक बुलाना ज़रूरी है। साथ ही, पंचायतों को मज़बूत बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम सभाओं की स्वायत्तता भी आवश्यक है। वित्त आयोग द्वारा आवंटित समग्र अनुदान का इस्तेमाल पंचायतों से जुड़ी विभिन्न ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। इस तरह की स्वायत्तता को मज़बूत बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूद पंचायती राज से जुड़े संस्थानों के फंड, कामकाज आदि के विकेंद्रीकरण की दिशा में काम कर रहा है। मंत्रालय का मकसद ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण के साथ-साथ ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण भी है। इसके तहत ग्राम सभाओं को ज़रूरी संसाधन मुहैया कराए गए हैं, ताकि वे सही ढंग से अपना काम कर सकें। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभाओं की भूमिका को पहचानते हुए राज्य स्तर पर मौजूद पंचायती राज विभागों

के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, ताकि ग्राम पंचायतों के लिए ज़मीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझा जा सके। इस सिलसिले में राज्यों की चुनौतियों को देखते हुए, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को ये सुझाव पेश किए गए हैं:

1. ग्राम सभाओं का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना: ग्राम पंचायतों को नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना चाहिए। पंचायतों को हर साल कम से कम 6 से 12 ऐसी बैठकों का आयोजन करना चाहिए। ग्राम सभाओं का आयोजन कितनी बार किया जाए, इस बात का फैसला संबंधित पंचायत की आवादी, ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन से जुड़ी प्रशासनिक ज़रूरतों आदि के आधार पर किया जा सकता है।

2. एजेंडा/कार्यवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) तैयार करना और उसका वितरण: ग्राम सभाओं की बैठक से पहले हमेशा उसका एजेंडा (कार्य सूची) तैयार किया जाना चाहिए और इसमें पिछले बैठक से जुड़े पहलुओं और कार्यवाई रिपोर्ट, ग्राम पंचायत विकास योजना की मंजूरी आदि को शामिल किया जाना चाहिए। ग्राम सभा के एजेंडे में, आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों के चुनाव/मंजूरी/प्रगति/निगरानी और गांव-स्तर के कर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल होनी चाहिए।

3. सालाना कैलेंडर तैयार करना: ग्राम सभाओं की बैठक के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए। इस तरह का कैलेंडर बनाने से सभी ग्राम सभाओं में सालाना कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी मुहैया करने और बैठकों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। सालाना कैलेंडर होने से ग्राम सभाओं में गांव के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और पंचायतों

की बैठकों के लिए बेहतर ढंग से कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे। इस सिलसिले में राज्यों के साथ कैलेंडर का नमूना साझा किया गया है, जिसमें हर महीने ग्राम सभाओं के लिए कार्रवाई का खाका पेश किया गया है। यह नमूना पंचायती राज मंत्रालयों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4. बेहतर ढंग से कार्यक्रम तैयार करना: ग्राम सभाओं की बैठकों को वैकल्पिक तौर पर (एक-एक करके) बुलाया जाना चाहिए, ताकि किसी खास दिन सिर्फ़ चुनिंदा समूह (क्लस्टर) के ग्राम पंचायतों की बैठक हो सके। इससे जिला/प्रखण्ड प्रशासन को ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए सीमित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। जिला/प्रखण्ड के ग्राम पंचायतों के एक समूह से जुड़ी ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए एक खास दिन (मसलन महीने का पहला बुधवार) तय किया जा सकता है। इसी तरह, बाकी समूहों (क्लस्टर) से जुड़ी ग्राम सभाओं की बैठक के लिए महीने के अन्य दिन तय किए जा सकते हैं।
5. बैठक के लिए अनुकूल समय: ग्राम सभाओं की बैठक का समय ग्रामीण आबादी के लिए अनुकूल होना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच सकें। संबंधित राज्यों/नियमों के तहत, ग्राम सभाओं से पहले महिला सभा/वॉर्ड सभा/वाल सभा आदि का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए रुटीन तय होना चाहिए, ताकि अगली ग्राम सभा के समय के बारे में लोगों को पहले से जानकारी हो।
6. प्रथम और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों की मौजूदगी: जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्राम सभाओं में प्रशासनिक मौजूदगी के कारण यहाँ शिकायतों के निपटारा जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सकेंगी। शिकायतें दर्ज करने के लिए अलग सुविधा और उसके संभावित निपटारा तंत्र से ग्राम सभा को अपनी मुख्य गतिविधियों पर केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
7. ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना : ग्राम सभाओं में सभी सक्षम नागरिकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं की बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत महिला और 30 प्रतिशत पुरुषों की मौजूदगी ज़रूरी है। बैठकों में हिस्सा लेने के लिए डिजिटल माध्यमों मसलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा सकता है। ग्राम सभा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, आशा कार्यकर्ताओं,

ग्राम सभाओं की बैठक का समय ग्रामीण आबादी के लिए अनुकूल होना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच सकें। संबंधित राज्यों/नियमों के तहत, ग्राम सभाओं से पहले महिला सभा/वॉर्ड सभा/बाल सभा आदि का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए रुटीन तय होना चाहिए, ताकि अगली ग्राम सभा के समय के बारे में लोगों को पहले से जानकारी हो।

रोजगार सहायकों आदि की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेडिकल जांच, तकनीक से जुड़ी ग्रामीण परियोजनाओं का इस्तेमाल, स्कूलों/स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा जैसी गतिविधियों का भी सहाय लिया जा सकता है।

8. वॉर्ड सदस्यों/निर्वाचित सदस्यों को प्रोत्साहन: ग्राम पंचायतों के सभी सदस्यों/निर्वाचित सदस्यों को उपसमितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए। साथ ही, हर वॉर्ड सदस्य को दो से ज्यादा उपसमितियों का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। वॉर्ड सदस्यों/निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी सेवाओं के लिए ग्राम पंचायतों के राजस्व घोट/सरकारी फंडों से ज़रूरी महनताना दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर लागू

किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और उनकी निगरानी के लिए स्थायी उपसमिति बनाना भी ज़रूरी है। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायतों ने अलग-अलग तरह की स्थायी समितियां बनाई हैं जिनमें वित्तीय और नियोजन स्थायी समिति, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, कृषि और पशु संसाधन विकास स्थायी समिति, उद्योग और आधारभूत संरचना स्थायी समिति, महिला, बाल विकास स्थायी समिति और सामाजिक कल्याण स्थायी समिति शामिल हैं। ग्राम पंचायतों में बनाई गई उपसमितियों से ग्राम सभाओं की सक्रियता और बढ़ेगी।

ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को असरदार बनाना ज़रूरी है। पंचायतों और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना विकसित करने में ग्राम सभा बेहतर माध्यम है। यह दीर्घकालिक अवधि में, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास का इंजन बना सकता है। ग्राम सभाओं की सक्रिय भूमिका से भारत को सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद मिलेगी और ग्राम पंचायत स्तर पर इस दिशा में काम करना मुमकिन होगा। नियमित तौर पर ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन, एजेंडा तैयार करना और कार्रवाई रिपोर्ट, जागरूकता फैलाना जैसे सुझाव ग्राम सभाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय एकीकृत और रियल-टाइम ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली न सिर्फ़ ग्राम सभाओं के लिए प्रभावी कार्यक्रम तय करेगी, बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिकों को सुझाव भी देगी। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर ग्राम सभाएं न सिर्फ़ गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करेंगी, बल्कि इनसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक स्तर पर बड़ा बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ■

पंचायतों का सफर

डॉ चंद्र शेखर कुमार
डॉ मोहम्मद तौकीर खान

“भारत का भविष्य उसके गांवों में निहित है” - महात्मा गांधी

भा

रतीय संविधान के खंड चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। इस खंड में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 24 अप्रैल, 1993 को लागू 73वें संविधान संशोधन कानून, 1992 को संविधान में खंड नौ के रूप में शामिल किया गया है। इस कानून में राज्यों को पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन के लिये राज्य जरूरी कदम उठायेंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिये राज्य शक्तियां और अधिकार भी प्रदान करेंगे।

संसद ने 1996 में पंचायतों के लिये प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून पारित किया। इसके माध्यम से संविधान के खंड नौ को कुछ अपवादों और बदलावों के साथ पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस कानून के जरिये विकास, योजना और ऑडिट के काम ग्राम सभा को सौंपे गये हैं। साथ ही ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और नियन्त्रण तथा परंपराओं और रिवाजों के अनुरूप न्याय करने का दायित्व भी दिया गया है।

इन कानूनों से पंचायती राज संस्थाओं-पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआई) को संस्थागत रूप मिला है। इनसे देश में स्थानीय शासन में सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनमें तीन स्तरीय पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गयी है। बीस लाख से कम आवादी वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दो स्तरीय पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (जी) में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर योजना निर्माण का अधिकार और जिम्मेदारी दी गयी है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संवंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व भी पंचायतों को सौंपा गया है। संविधान



‘स्वामित्व’ की निगरानी में इंगं का परीक्षण

का 73वां संशोधन महिला आरक्षण की व्यवस्था की वजह से भी एक युगांतरकारी कानून है।

पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई, 2004 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के खंड नौ और पंचायतों के लिये प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून, 1996 पर अमल की निगरानी करना है। पंचायतों को राज्य का विषय रखा गया है। लिहाजा, उनका कामकाज संवंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज कानूनों से निर्देशित होता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के कामकाज से संवंधित सांवैधानिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिये राज्यों के साथ मिल कर काम करता है। वह इस संवंध में नीतिगत मार्गदर्शन, परामर्श, प्रौद्योगिकीय सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा वित्तीय समर्थन मुहूर्या करता है।

पंचायती राज मंत्रालय का गठन
27 मई, 2004 को किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के खंड नौ और पंचायतों के लिये प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून, 1996 पर अमल की निगरानी करना है। पंचायतों को राज्य का विषय रखा गया है। लिहाजा, उनका कामकाज संवंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के पंचायती राज कानूनों से निर्देशित होता है।

पंचायती राज मंत्रालय 2004 में अपनी स्थापना के समय से ही उपरोक्त हस्तक्षेपों के जरिये पीआरआई और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिये लगातार काम कर रहा है।

भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 65 प्रतिशत आवादी और 70 प्रतिशत कार्यवल

तालिका-2.1: ग्रामीण जनसंख्या

इकाई	1991	2001	2011	2020 (अनुमानित)
ग्रामीण जनसंख्या (करोड़ में)	62.9	74.2	83.3	89.7
ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात	74 प्रतिशत	72 प्रतिशत	69 प्रतिशत	65 प्रतिशत

स्रोत: सार्वज्ञकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

तालिका-2.2: भारत की अर्थव्यवस्था और कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा

इकाई	1993.94	1999.2000	2004.2005	2011.12
अर्थव्यवस्था	54.3 प्रतिशत	48.1 प्रतिशत	48.1 प्रतिशत	46.9 प्रतिशत
कार्यबल	77.8 प्रतिशत	76.1 प्रतिशत	74.6 प्रतिशत	70.9 प्रतिशत

स्रोत: नीति आयोग, 2017

तालिका-2.3: पीआरआई की संख्या

इकाई	2005	2010	2015	2020
जिला पंचायत	539	584	594	659
मध्यवर्ती पंचायत	6103	6312	6332	6829
ग्राम पंचायत	233886	238054	248154	255487
कुल	240528	244950	255080	262975

ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान लगभग 46 प्रतिशत है (तालिका 2.1 और तालिका 2.2)।

ग्रामीण आबादी में वृद्धि के साथ ही पीआरआई की संख्या में भी समय के साथ इजाफा हो रहा है। ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही नये जिले, तहसील और प्रखंड बन रहे हैं। इसके साथ ही पीआरआई की संख्या भी 2005 में 2.41 लाख से बढ़ कर 2020 में 2.63 लाख हो गयी है (तालिका 2.3)।

तालिका-2.4: निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या

वर्ष	निर्वाचित प्रतिनिधि लाख में	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लाख में	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
2005	27.82	10.42	37.46
2010	28.51	10.48	36.75
2015	29.17	13.42	46.00
2020	31.65	14.53	45.91

पीआरआई में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इनमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भी शामिल हैं। पीआरआई में महिलाओं के लिये आरक्षण और उनके कोटे में वृद्धि से भारत में शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व तौर पर और बड़ी संख्या में महिलाएं आयी हैं। वर्ष 2005 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 27.82 लाख थी। इनमें 37.46 प्रतिशत यानी 10.42 लाख महिला प्रतिनिधि थीं। वर्ष 2020 में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गयी। इनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 46 प्रतिशत यानी 14 लाख से ज्यादा है (तालिका 2.4)।


पंचायती राज मंत्रालय ने पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा कर और उनके क्षमता निर्माण पर जोर देकर महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कुल 21 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ने पीआरआई में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये अपने पंचायती राज कानूनों में प्रावधान किये हैं।

तालिका-2.5: ग्राम पंचायतों में बुनियादी अवसंरचना

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	पंचायत भवन के साथ ग्राम पंचायत	कंप्यूटर के साथ ग्राम पंचायत	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ग्राम पंचायत*	सार्वजनिक सेवा केंद्र
2005	233886	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2010	238054	164483 (69.09 प्रतिशत)	53568 (22.50 प्रतिशत)	97392 (40.91 प्रतिशत)	85000 (35.70 प्रतिशत)
2015	248154	196822 (79.31 प्रतिशत)	166827 (67.23 प्रतिशत)	132539 (53.41 प्रतिशत)	147798 (59.56 प्रतिशत)
2020	255487	198637** (77.75 प्रतिशत)	201741 (78.96 प्रतिशत)	136693 (53.50 प्रतिशत)	240592 (94.17 प्रतिशत)

*सेवा के लिये तैयार/ब्रॉडबैंड व्यवस्था वाली ग्राम पंचायतें। बाकी पीआरआई इंटरनेट सेवाएं स्थानीय व्यवस्था के जरिये हासिल कर रही हैं।

**25000 से ज्यादा ग्राम पंचायत भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जिससे अंतर में काफी कमी आयेगी।



* 15वां वित्त आयोग की 2020-21 के लिये अंतरिम रिपोर्ट में अनुशांसित 60750 करोड़ रुपये शामिल

रेखाचित्र-1: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान (दसवां से 15वां वित्त आयोग)

पंचायतों को ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट और सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) जैसी बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काफी प्रगति की है (तालिका 2.5)। इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और राज्यों के अपने संसाधनों से की जा रही है।

पंचायतों में ई-शासन तंत्र

ग्रामीण स्थानीय निकायों- रुरल लोकल बॉडीज (आरएलबी) के दायरे में देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी आती है। ग्रामीणों के कल्याण के लिये सेवाओं के बेहतर वितरण के मकसद से पीआरआई के कामकाज में सुधार जरूरी है। मंत्रालय ने विकेन्द्रित योजना और बजट निर्माण, लेखांकन, योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी तथा वित्त हस्तांतरण जैसे पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ऐप विकसित किये हैं। प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने समेत विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी के लिये भी बड़ी संख्या में ऐप बनाये गये हैं। अब इन सभी को ई-ग्रामस्वराज नामक एक सरल ऐप में समाहित कर दिया गया है। विभिन्न ऐप में समय के साथ प्रगति को तालिका 3.1 में दिखाया गया है।

ई-ग्रामस्वराज उपयोगकर्ताओं के लिये बहुत सरल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अवसंरचना और मानव शक्ति में सुधार

समेत विभिन्न बदलावों से इस पोर्टल का उपयोग बढ़ रहा है। इस पोर्टल पर 2021-22 के लिये कुल 250077 ग्राम पंचायत विकास योजनाएं अपलोड की गयी हैं। कुल 225153 ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 2021-22 में लेखांकन के लिये ई-ग्रामस्वराज को अपनाया है। इसके अलावा 222815 पीआरआई ऑनलाइन लेन-देन के लिये ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ऋणाधारी योजना निर्माण

पीआरआई को मजबूत करने के लिये मंत्रालय और राज्यों की प्रमुख गतिविधियों में बुनियादी अवसंरचनाओं की व्यवस्था, ई-शासन पर जोर, क्षमता निर्माण, केन्द्रित सूचना तथा शिक्षा और संचार अभियान शामिल हैं। इनके लिये धन की व्यवस्था मंत्रालय के बजट आवंटन और राज्यों के संसाधनों से की जाती है। स्थानीय आबादी के साथ विचार-विमर्श से पीआरआई के प्रभावी योजना निर्माण के लिये ये गतिविधियां जरूरी हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष- बैंकवर्ड रीजंस ग्रांट फंड्स (बीआरजीएफ) को 2006-07 से 2014-15 तक 272 चिह्नित पिछड़े जिलों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य पीआरआई के क्षमता निर्माण के साथ स्थानीय अवसंरचना और विकास की अन्य आवश्यकताओं में अंतर को दूर करना था। जिला योजना को तैयार करना बीआरजीएफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस कोष से नौ वर्षों में लगभग 27638 करोड़ रुपये राज्यों को मुहैया कराये गये जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में परियोजनाओं में किया गया।

200292.20 करोड़ रुपये के अनुदान के उपयोग की चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूर किये जाने से बुनियादी स्तर पर योजना निर्माण को मजबूती मिली। आयोग ने अपनी सिफारिश में ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र योजना बनाये जाने की बात कही है। वित्त आयोग के विभिन्न अनुदानों पर धन के प्रवाह को रेखाचित्र-1 में प्रदर्शित किया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों के बास्ते 2020-21 के लिये अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 60750 करोड़ रुपये की अनुशंसा की। उसने 2021-26 के लिये अपनी अंतिम रिपोर्ट में 236805 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। साथ ही उसने कहा कि अनुदानों के प्रभावी इस्तेमाल के लिये सभी तीन स्तरों पर योजना बनायी

तालिका-3.1: ई-गव ऐप्लीकेशन अंगीकरण

वर्ष	जीपीडीपी अपलोड करने वाली ग्राम पंचायतें	पीएफएमएस अपनाने वाली ग्राम पंचायतें	ग्राम पंचायतें जिनकी ऑडिट रिपोर्ट सुजित हैं	नागरिक घोषणापत्र के लिये पंजीकृत ग्राम पंचायतें
2019.20	2,50,077	1,69,951	86,178	..
2020.21	2,48,925	2,22,815	4,043*	1,19,961

(ग्राम पंचायतें जिनके नागरिक घोषणापत्र मंजूर किये गये)

*2020-21 के लिये आँडाट जारी है।

तालिका-5.1: पीआरआई की प्रशिक्षण उपलब्धि

प्रशिक्षण	2018.19	2019.20	2020.21
आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की संख्या	43.05 लाख	33.98 लाख	33.34 लाख

जानी चाहिये। इसके अनुरूप 2015-16 से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। इसी तरह 2020-21 से प्रखंड पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना बनायी जा रही है।

पीआरआई की क्षमता का निर्माण

पीआरआई के लिये केंद्रीय वित्त आयोग से बड़े पैमाने पर अनुदान तथा अन्य योजनाओं से धन और राज्यों के अपने संसाधनों की उपलब्धता ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की जरूरत को रेखांकित किया है ताकि योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से बनाया और लागू किया जा सके। इस दिशा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक अप्रैल, 2018 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पीआरआई की क्षमता को बढ़ाना और मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय विकास की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बन सकें।

पीआरआई के कामकाज से संबंधित सांवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, ई-शासन, वित्तीय प्रवंधन, संवहनीय विकास लक्ष्यों-संस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के लिये प्रतिबद्धता और आजीविका की समस्याओं जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनसे पीआरआई को जन भागीदारी से योजनाएं बनाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। वे एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिये उपलब्ध संसाधनों का कुशल और अधिकतम इस्तेमाल करने में सक्षम बनती हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान बड़ी संख्या में अन्य संस्थानों के सहयोग से करते हैं। इस मामले में हो रही प्रगति को तालिका 5.1 में दिखाया गया है।

पंचायतों को योजना और सेवाओं की डिलीवरी में उनके अच्छे काम के लिये पुरस्कार और वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इससे पुरस्कार विजेता नवोन्मेषी कार्य और दूसरों के लिये अनुकरणीय मिसाल कायम करने के लिये उत्साहित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर समग्र सुशासन के लिये वातावरण तैयार होता है। यह बड़ी संख्या में पीआरआई के बीच जागरूकता पैदा करने और ज्ञान के विस्तार का जरिया बन गया है। इसके अलावा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की गतिविधियां भी चलायी जा रही हैं। इन गतिविधियों का लक्ष्य समर्थन, जागरूकता और प्रचार के जरिये पंचायतों की अंदरूनी क्षमता का निर्माण और उनके कामकाज में सुधार के लिये सभी उपलब्ध मीडिया मंचों का उपयोग कर बेहतर और ज्यादा प्रभावी संचार है। इस दिशा में उपलब्धियों को तालिका 5.2 में प्रदर्शित किया गया है।

कोपों, कार्यों और कर्मियों का विकेंद्रीकरण

पंचायती राज मंत्रालय ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के विकेंद्रीकरण के विभिन्न पहलुओं पर सांवैधानिक प्रावधानों के लक्ष्य को पूरा करने के लिये राज्यों के साथ लगातार काम कर रहा है। वह स्थानीय स्तर पर शासन के लक्ष्य को सही मायनों में हासिल करने की दिशा में प्रयत्नशील है। विषयों के विकेंद्रीकरण के लिहाज से विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन में काफी असमानता है। अध्ययनों के अनुसार कई राज्यों में विकेंद्रीकरण बहुत अच्छा हुआ है। दूसरी ओर अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है। मंत्रालय ने 2015-16 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के जरिये विकेंद्रीकरण का अध्ययन

तालिका-5.2: प्रोत्साहन तथा सूचना, शिक्षा और संचार के आंकड़े

वर्ष	प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पंचायतों की अनुमानित संख्या	पुरस्कारों की संख्या	तैयार किये गये ऑडियो विजुअल और प्रिंट दस्तावेजों की संख्या
2019	40,000	246	15.4 लाख
2020	58,000	306	2.7 लाख
2021	74,000	326	15.6 लाख

तालिका-6.1: मापदंडों का महत्व

संकेतक	उप-संकेतक	महत्व
विकेंद्रीकरण का संचालनात्मक केंद्र (90)	कार्यों का हस्तांतरण	10
	कर्मियों का हस्तांतरण	15
	वित्त हस्तांतरण	50
	पीआरआई की स्वायत्ता	15
विकेंद्रीकरण के लिये सहायक तंत्र (10)	क्षमता निर्माण	2
	सांवैधानिक प्रक्रिया का कार्यान्वयन	5
	जवाबदेही और पारदर्शिता की प्रणाली	3

तालिका-7.1: 'स्वामित्व' में प्रगति

गांवों की संख्या जिनमें ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया	गांवों की संख्या जिनमें संपत्ति कार्ड वितरित किये गये	वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या
56,224	7332	8,27,231

कराया था। इसमें जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर व्यवहार में विकेंद्रीकरण का एक सूचकांक तैयार किया गया। इसमें जो संकेतक चुने गये उनसे हस्तांतरित संस्थाओं, कार्यों और कर्मियों पर पंचायतों के वास्तविक नियंत्रण की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही उनकी वित्तीय स्वायत्ता, विकास कोष के उपयोग तथा अवसंरचना और प्रशासनिक तंत्र की स्थिति के बारे में पता चलता है। इन मानदंडों के महत्व की जानकारी तालिका 6.1 में दी गयी है। रेखांचित्र-2 में व्यवहार में विकेंद्रीकरण के सामान्य सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग को दिखाया गया है।

ऊपर वर्णित विषयों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और पीआरआई के साथ मंत्रालय का काम जारी रहेगा व्यांकि संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल किया जाना अभी बाकी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अवसंरचनात्मक बदलावों और जनता की बढ़ती आकांक्षाओं के मद्देनजर नीचे वर्णित क्षेत्रों में पंचायतों के पुनर्विन्यास की आवश्यकता है।

देश के समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये ग्रामीणों के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करना जरूरी है। मंत्रालय ने इस दिशा में 'स्वामित्व' योजना चलायी है। इसके जरिये ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ग्रामीणों के मकानों के संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किये जा रहे हैं। अगले पांच वर्षों में छह लाख से ज्यादा गांवों में से ज्यादातर को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित



निर्वाचित प्रतिनिधियों व हितधारकों की क्षमता निर्माण प्रक्रिया किया गया है। इस योजना की मौजूदा प्रगति को तालिका 7.1 में दिखाया गया है।

मुख्य तौर पर गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित एसडीजी लक्ष्यों का महत्व बढ़ता जा रहा है। पंचायतों को ग्राम स्तर पर इन क्षेत्रों में काम कर रही एजेंसियों के साथ मिल कर अपनी क्षमता में सुधार लाने की जरूरत है।

नीति आयोग के एक परिपत्र² के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक गौर करने योग्य संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। रोजगार के अवसर कृषि से निर्माण, मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों में काफी संभावनाएं हैं। पंचायतों को इन्हें अपनी योजना में समुचित स्थान देते हुए उन पर अमल के लिये संबंधित एजेंसियों और हितधारकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसलिये इन क्षेत्रों में ग्रामीणों के कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता संबद्धन पर जोर देने की दरकार है।

क्लिनवेल्ड पीट मार्विक गॉडलर (केपीएमजी) की एक रिपोर्ट³ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान सुविधाओं जैसी वित्तीय सेवाओं के विकास की अपार संभावनाओं का दोहन किया जाना अभी बाकी है। इस दिशा में भी पंचायतों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने, महिला उद्यमिता निर्माण और ग्रामीण आबादी के लिये उत्पाद अनुकूलन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ई-पंचायत के तहत ई-ग्रामस्वराज, ऑनलाइन भुगतान के लिये पीएफएमएस समन्वय, नागरिक घोषणापत्र, ऑनलाइन ऑडिट और सामाजिक ऑडिट जैसी मंत्रालय की नयी पहलकदमियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये जिससे पीआरआई की दक्षता, पारदर्शिता और जबाबदेही बढ़ेंगी।

पंचायत मजबूती मिलने के साथ ही विपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और प्रवंधन में सक्रिय भूमिका निभायी है। इस दिशा में गतिविधियों की समयबद्ध निगरानी के लिये मंत्रालय के डैशबोर्ड से इस बात की पुष्टि होती है।

पंचायतों को अन्य गतिविधियों के अलावा कर, टोल, शुल्क, उपयोगकर्ता प्रशुल्क इत्यादि लगाने और संग्रह करने का अधिकार दिया

जाना चाहिये ताकि राजस्व के उनके अपने स्रोतों में वृद्धि हो। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों की 34 ग्राम पंचायतों को स्थानिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर समग्र योजना निर्माण के लिये चुना है। यह चयन विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, विकास के संभावित क्षेत्रों और ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसे प्रमुख मंत्रालयों के संसाधनों के विलय के साथ आने वाले वर्षों में बढ़ाया जा सकता है।

पंचायतों को योजना निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में जलवायु कार्ययोजना पर भी विचार करना चाहिये। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग योजना निर्माण का आवश्यक अंग होना चाहिये। तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले की ओडनतुरै ग्राम पंचायत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया है। यह ग्राम पंचायत पवन ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा इसे ग्रिड को बेच कर सालाना 19 लाख रुपये अर्जित कर रही है। पीआरआई कार्यों, कोषों और कर्मियों के क्रमिक विकेंद्रीकरण के जरिये सर्विधान के जिम्मेदार और सशक्त स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसके लिये सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में पंचायतों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

पंचायती राज मंत्रालय ने पीआरआई को मजबूती देने और स्थानीय प्रशासन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। बड़ी संख्या में पंचायतें अब बुनियादी अवसंरचनाओं से लैस हैं। लेकिन राज्यों के बीच असमानता बरकरार है। इस अंतर को भरने के लिये प्रधानमंत्री की 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गयी घोषणा के अनुरूप शत-प्रतिशत कामयाबी का दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। पीआरआई में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन उनकी प्रभावी भागीदारी के लिये समुचित प्रशिक्षण और अनुभव यात्राओं की दरकार है। ई-शासन के दूरदराज की पीआरआई तक पहुंचने के बावजूद सुधार की काफी गुंजाइश बची हुई है। पंचायतों के सभी स्तरों पर योजनाएं तैयार किये जाने से योजना निर्माण की प्रक्रिया सुचारू हुई है। स्थाई समितियों और बार्ड सदस्यों की सक्रियता, ग्राम सभाओं के प्रभावी कामकाज और महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी से ग्राम पंचायतें ज्यादा लोकतांत्रिक बनेंगी और उनके कार्य अधिक समग्र और समावेशी होंगे।

प्रदत्त गतिविधियों को पूरा करने और 73वें सर्विधान संशोधन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये गतिविधि मैपिंग के जरिये पीआरआई को कार्यों, कोषों और कर्मियों का क्रमिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी का जीवन आसान बनेगा। ■

संदर्भ:

1. राघवेंद्र चट्टोपाध्याय और ईस्थर डफलो। 'द ईपेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द पंचायती राजः एविडेंस फ्रॉम ए नेशनवाइड रैमाइंड एक्सपरिमेंट' (नवंबर 2003)
2. रमेश चंद, एसके श्रीवास्तव और जसपाल सिंह, 2017: चेंजेज इन रूरल इकॉनोमी फॉर इंडिया, 1971 से 2012। लेसंस फॉर जॉब लेड ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ष 52, अंक 52, 2017
3. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/12/india-s-rural-economy.pdf>

गांधी साहित्य के अग्रणी प्रकाशक

75
आजादी का
अमृत महोत्सव




चुनिंदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें: फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com

बेसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण

के एस सेठी
जी एस कृष्णन

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संस्थागत ढांचा प्रदान किया है। इसने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं में लोगों की भागीदारी, कानून के शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाकर सुशासन का आधार प्रदान किया।

पि

चले चार दशकों में, वैश्विक स्तर पर, राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को जमीनी स्तर या सरकारों के निचले स्तर तक अधिक से अधिक हस्तांतरण की ओर रुझान बढ़ा है। भारत ने भी अपने ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इस दिशा में कई उपाय किए हैं। संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थानों को कार्यात्मक और वित्तीय अधिकारों के विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया गया है।

राज्य की विधायिका को कुछ करों, शुल्कों, पथ-करों आदि को लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को अधिकृत करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं और राज्य सरकार की शर्तों के अनुरूप उन्हें कुछ राज्य-स्तरीय करों के राजस्व भी सौंपे गए हैं। पंचायती राज संस्थानों को सहायता अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, संविधान का अनुच्छेद 243-1 हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग की स्थापना का आदेश देता है, जो स्वयं स्रोत राजस्व के लिए राज्य कर का हिस्सा और सहायता अनुदान के प्रावधान सहित वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से पंचायत वित्त में सुधार की दिशा में सिफारिशें करता है।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1993 के तहत शामिल अनुच्छेद 280(3) (खण्ड) के तहत, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करनी होती हैं।

केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें

ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण के लिए सिफारिशों दसवें वित्त आयोग (अवधि 1995-2000) से शुरू हुई। बारहवें वित्त आयोग (अवधि 2005-10) तक, ग्रामीण स्थानीय निकायों को एकमुश्त आधार पर नाममात्र राशि का हस्तांतरण किया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने आमूल परिवर्तन करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं को एक छोटी सी एकमुश्त राशि देने के बजाय विभाज्य पूल का एक प्रतिशत प्रदान किया है, अर्थात् (क) विभाज्य पूल का 1.5 प्रतिशत मूल अनुदान, और (ख) निष्पादन अनुदान, जो 2011-12 से शुरू होकर चार वर्षों की अवधि के लिए प्रथम वर्ष में विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत की दर से और शेष तीन वर्षों में विभाज्य पूल के एक प्रतिशत की दर से देय होगा। आयोग ने संविधान के पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों और भाग 9 और 11 के दायरे से छूट प्राप्त क्षेत्रों के लिए, अवधि के दौरान कुल मूल अनुदान में से 20 रुपये प्रति व्यक्ति, वार्षिक अलग विशेष क्षेत्र अनुदान की भी सिफारिश की थी। इन क्षेत्रों के लिए, इसने 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये और कुल मूल अनुदान में से 20 रुपये प्रति व्यक्ति के विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान की भी सिफारिश की थी। 13वें वित्त आयोग के कुल 65160.76 करोड़ रुपये के आवंटन में से, राज्यों को 58256.63 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। (15वें वित्त आयोग अनुदानों के साथ स्मार्ट स्कूल सुविधाएं-जिला परिषद स्कूल, जीपी लाखनवाड़ी, अमरावती, महाराष्ट्र)।

चौदहवें वित्त आयोग ने संविधान के भाग 9 के तहत गठित देश में ग्राम पंचायतों को कुल स्तर पर 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की सहायता से 2,00,292.20 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है। इसमें से 1,80,262.98 करोड़ रुपये मूल अनुदान के रूप में थे और 20029.22 करोड़ रुपये 26 राज्यों के लिए निष्पादन अनुदान के रूप में थे। गैर-भाग 9 क्षेत्र जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, अनुदान की सिफारिश नहीं की गई थी। 14वें वित्त आयोग द्वारा किया गया आवंटन, 13वें वित्त आयोग के आवंटन से तीन गुना से अधिक था। 14वें वित्त आयोग ने विश्वास-आधारित दृष्टिकोण अपनाया और सिफारिश की कि वित्तीय हस्तांतरण सीधे ग्राम पंचायतों को किया

श्री के एस सेठी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: jsfd-mopr.nic.in

श्री जी एस कृष्णन पंचायती राज मंत्रालय में सलाहकार हैं। ईमेल: gs.krishnan@gov.in



आधारभूत सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान का उपयोग

जाए और इसे पंचायतों के अन्य स्तरों पर हिस्सेदारी दिए बिना किया जाए क्योंकि वे ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार हैं। प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, टंकी से निकाले गए कचरे का प्रबंधन, सीवरेज, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफानी जल निकासी, सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव, सड़कों, पटरियों और स्ट्रीट-लाइटिंग सहित बुनियादी सेवाओं की स्थिति में सुधार, कब्रिस्तान तथा शमशान भूमि और प्रासंगिक कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत अन्य बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाना था। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-20 के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 1,83,248.54 करोड़ रुपये (आवंटन का 91.49 प्रतिशत) जारी किए गए हैं।


पंद्रहवें वित्त आयोग ने गैर-भाग 9 राज्यों और पांचवीं तथा छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित पंचायती राज के सभी स्तरों को हस्तांतरण की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान दो भागों में प्रदान किए गए हैं, अर्थात् (1) बेसिक (अनटाइड) ग्रांट 2020-21 के लिए 50 प्रतिशत और 2021-22 से 2025-26 के लिए 40 प्रतिशत) और (2) टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान)। (2021-22 के लिए 50 प्रतिशत और 2021-22 से 2025-26 के लिए 60 प्रतिशत)। वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उन्तीस विषयों के तहत, मूल अनुदान अनटाइड (बद्ध) हैं और इन्हें ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्थान-विशिष्ट जरूरतों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये है। केंद्र द्वारा जारी 15वें वित्त आयोग के अनटाइड और टाइड ग्रांट को राज्यों द्वारा पंचायतों / ग्रामीण पारंपरिक निकायों के सभी स्तरों को 15वें वित्त आयोग की शर्तों पर पूर्व-निर्णित मानदंडों और संबंधित राज्य द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर वितरित किया जाता है।

टाइड अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाना है, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन तथा उपचार, और विशेष रूप से मानव मल तथा मल-जल प्रबंधन, और (ख) पेय-जल की आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्वर्चकण शामिल होना चाहिए।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये है। केंद्र द्वारा जारी 15वें वित्त आयोग के अनटाइड और टाइड ग्रांट को राज्यों द्वारा पंचायतों / ग्रामीण पारंपरिक निकायों के सभी स्तरों को 15वें वित्त आयोग की शर्तों पर पूर्व-निर्णित मानदंडों और संबंधित राज्य द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर वितरित किया जाता है।

2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये के आवंटन में से 60,640.25 करोड़ रुपये (99.81 प्रतिशत) की राशि राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी है। व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर 25 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के बेसिक (अनटाइड) अनुदान की पहली किस्त के रूप में 8,923.8 करोड़ रुपये की राशि मई 2021 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी की है, जिसका उपयोग अन्य के साथ-साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की सिफारिश पर, वित्त वर्ष 2021-22 के



रेखाचित्र 1: केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों का आवंटन और जारी

लिए अगस्त 2021 में 25 राज्यों को टाइड (बद्ध) अनुदान की पहली किस्त के रूप में 13385.70 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा पानी और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए जारी किए हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सिफारिशें

अनुच्छेद 243-1 के अनुसार, राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और निम्न कार्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए अधिकत किया गया है :

1. राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथ-करों और शुल्क की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, और ऐसी आय का सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच वितरण;
 2. करों, शुल्कों, पथ-करों और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपा या विनियोजित किया जा सकता है;
 3. राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान;
 4. पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय;
 5. पंचायतों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के लिए कोई अन्य मामला।

सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा रहा है जो पंचायतों के कर आधार में सुधार और राज्य की शुद्ध कर प्राप्तियों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ साझा करने की दिशा में सिफारिशों कर रहे हैं। वे, राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश करते रहे हैं। ये अनुदान सामान्य प्रयोजन अनुदान, कुछ मानदंडों के आधार पर सशर्त ब्लॉक अनुदान, या योजनाओं के लिए विशिष्ट प्रयोजन अनुदान आदि के रूप में हो सकते हैं।


राज्य वित्त आयोगों ने राज्यों के शुद्ध कर पूल/राज्यों के स्वयं के राजस्व से, राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरण का प्रस्ताव करने के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए हैं।

सामान्य तौर पर, क्रमिक राज्य वित्त आयोग, राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में वृद्धि का प्रस्ताव करते रहे हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रति व्यक्ति हस्तांतरण 2010-15 के 599.04 रुपये से बढ़ाकर 2015-2020 के दौरान कुल स्तर पर 1,179.63 रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के राजस्व

के अपने स्रोत हस्तांतरण का दायरा चूंकि राज्य सरकारों के लिए खुला रखा गया था, राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों और कराधान अधिकारों में काफी भिन्नताएं हैं। हालांकि पंचायतों के तीन स्तरों को अपने राजस्व सृजन के अधिकार दिए गए हैं, फिर भी सामान्य तौर पर ग्राम पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक कर और गैर-कर लगाने का अधिकार है। राज्यों में पंचायतों द्वारा कर/गैर-कर लगाने के संबंध में कुछ भिन्नता है। अधिकांश राज्यों में, कुछ अपवादों को छोड़कर, घर, भवन और भूमि पर कर अनिवार्य है। राज्यों में पानी की दर, प्रकाश दर, स्वच्छता दर, जल निकासी दर जैसे उपयोगकर्ता शुल्कों के संग्रह में भी भिन्नता हैं।

विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया है कि राज्यों के विधानों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को 78 प्रकार के कर, अधिभार, उपकर, उपयोगकर्ता शुल्क और शुल्क निम्नानुसार प्रदान किए हैं:



रेखाचित्र 2 : रा.वि.आ. द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) का प्रति व्यक्ति हस्तांतरण

राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का आधार

हिस्सा स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का हिस्सा (संग्रह के मूल्य का शुद्ध)	असम- 5वां वि.आ. 2015-16 में 15.5 प्रतिशत 2016-17 में 16.15 प्रतिशत 2017-18 में 1450 प्रतिशत 2018-19 में 14 प्रतिशत 2019-20 में 13.5 प्रतिशत	जम्मू-कश्मीर - पहला वि.आ. वि.आ. राज्य कर का 12.5 प्रतिशत संग्रह मूल्य का शुद्ध-संग्रह के मूल्य का शुद्ध	केरल-5वां वि.आ. 2016-2017 में राज्य के शुद्ध ओटीआर का 20 प्रतिशत, बाद के सालों में हर साल 1 प्रतिशत तक वृद्धि	पंजाब - 5वां वि.आ. राज्य के शुद्ध कुल कर राजस्व का 40 प्रतिशत	सिक्किम - 5वां वि.आ. 2020-2025 - राज्य के अपने कर राजस्व का 4.5 प्रतिशत	उत्तराखण्ड - चौथा वि.आ. चौथा वि.आ. राज्य के अपने कर राजस्व का अपने कर राजस्व का 11 प्रतिशत	तमिलनाडु - 5वां वि.आ. 2017-2022 - राज्य के अपने कर राजस्व का 10 प्रतिशत	परिचम वंगाल - चौथा वि.आ. राज्य के अपने कर राजस्व का 2.5 प्रतिशत
स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का हिस्सा (संग्रह और अन्य करों तथा शुल्कों के मूल्य का शुद्ध)	बिहार 5वां वि.आ. 2015-16 में राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 8.5 प्रतिशत और 2016-17 से 2019-20 में 9 प्रतिशत	छत्तीसगढ़-2वां वि.आ. शुद्ध कर राजस्व का 80 प्रतिशत	हरियाणा 5वां वि.आ. शहरी निकायों की ओर से संग्रहित पंजीकरण फीस और स्टांप द्वयी का 2 प्रतिशत और वैट संग्रह के मूल्य के राज्य के अपने कर राजस्व का 70 प्रतिशत	मध्य प्रदेश-चौथा वि.आ. 2915-16 के लिए राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत, बाकि के चार साल के लिए 9 प्रतिशत	ओडिशा - चौथा वि.आ. राज्य के अपने कर राजस्व का शुद्ध 2.5 प्रतिशत	राजस्थान - चौथा वि.आ. राज्य के अपने कर राजस्व का शुद्ध 5 प्रतिशत		
कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा	गुजरात- दूसरा वि.आ. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत		मणिपुर-तीसरा वि.आ. राज्य के स्वयं के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केंद्रीय करों में हिस्से का 10 प्रतिशत			गोवा - दूसरा वि.आ. राज्य के अपने राजस्व का शुद्ध 2 प्रतिशत		
कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा	कर्नाटक-चौथा वि.आ. गैर-ऋण स्वयं की राजस्व प्राप्तियां जीएसटी क्षतिपूर्ति सहित लेकिन 14वें वि.आ. के अनुदानों को छोड़कर		महाराष्ट्र-चौथा वि.आ. राज्य के स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व का 40 प्रतिशत			उत्तर प्रदेश - चौथा वि.आ. राज्य के कर और संग्रह लागत का शुद्ध गैर-कर राजस्व का 15 प्रतिशत		
अन्य	आंध्र प्रदेश-तीसरा वि.आ. प्रतिव्यक्ति अनुदानों और देयता के तरीके से हस्तांतरण। यह 2004-2005 के लिए केंद्रीय करों सहित कुल कर और गैर-कर राजस्व का 6.77 प्रतिशत है		हिमाचल प्रदेश - 5वां वि.आ. कमी को पूरा करने का तरीका अपनाया। कर्मचारियों के वेतन, सदस्यों के मानदेय, कार्यालय व्यय, टीए/डीए व्यय को शामिल करके प्राप्त की जाने वाली निधि			त्रिपुरा- तीसरा वि.आ. कमी को पूरा करने का तरीका अपनाया। आरएलबी के स्थापना व्यय, रखरखाव व्यय और विकास व्यय की आवश्यकता का आकलन करके पूर्व-हस्तांतरण अंतराल की गणना की।		

लेवी के प्रकार	नं.
चल और अचल संपत्ति पर कर	13
अन्य कर	14
सरचार्ज और सेस	10
शुल्क और लाइसेंस	29
उपयोगकर्ता शुल्क	12
कुल	78

यह देखा जा सकता है कि पंचायतों के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार के करों को हस्तांतरित किया गया है। इन करों की

शब्दावली और पंचायतों के विभिन्न स्तरों के लिए आनुपातिक महत्व अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। संपत्ति कर, भू-राजस्व पर उपकर, अतिरिक्त स्टांप शुल्क पर अधिभार, टोल, व्यवसायों पर कर, विज्ञापनों पर कर, गैर-मोटर वाहन कर, उपयोगकर्ता शुल्क और इसी तरह के अन्य कर स्वयं स्रोत राजस्व में अधिकतम योगदान करते हैं, फिर भी इनसे प्राप्त राशि पंचायतों के कुल खर्च का लगभग 10 प्रतिशत ही पूरा कर पाती है। अधिकांश राज्यों में, अधिकतम राजस्व की उगाही संपत्ति कर से होती है। हालांकि, यह कर ज्यादातर, आकलन के वार्षिक किराये के मूल्य पर आधारित है, और यह अपरिवर्तनीय है। कर्नाटक जैसे कुछ प्रगतिशील राज्यों ने कर संरचना में सुधार किया है और कर आधार निर्धारित करने में इकाई क्षेत्र पद्धति का उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत के स्वयं स्रोत राजस्व-ओएसआर की सफलता की कहानी

बुधनूर, केरल राज्य के अलापुङ्गा जिले के चेंगनूर ब्लॉक का एक गांव है। इसमें 14 वाड़े हैं। बुधनूर ग्राम पंचायत 18,563 की आबादी के साथ 19.2 किमी² क्षेत्र को कवर करती है। इस पंचायत में 6,564 घर हैं और यह सराहनीय है कि इस ग्राम पंचायत की साक्षरता दर 96.7 प्रतिशत है। यह ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कर संग्रह के माध्यम से राजस्व के अपने स्रोतों को अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इसके लिए इस ग्राम पंचायत ने वित्त संबंधी स्थायी समिति का गठन करने; करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी संस्थानों, व्यक्तियों तथा व्यापारियों को सूचीबद्ध करने; चूककर्ताओं को सलाह देने; घर-घर जाकर कर संग्रह के लिए कुदुम्बश्री स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को शामिल करने; कर संग्रह शिविर आदि आयोजित करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावी प्रयास किए हैं। पंचायत के इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान, इसने करों के माध्यम से 33,43,925 रुपये, किराये से आय के रूप में 44,700 रुपये, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से 25,0141 रुपये, बिक्री तथा हायरिंग शुल्क के जरिए 78,800 रुपये और अन्य स्रोतों से 25,949 रुपये एकत्र किए।



बुधनूर ग्राम पंचायत कर संग्रह की बैठक का दृश्य


आगे का रास्ता

ग्रामीण नागरिकों को स्वच्छता, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइट, सड़कें आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी कुल मिलाकर ग्रामीण स्थानीय निकायों पर है। हालांकि उन्हें कुछ कर और गैर-कर राजस्व एकत्र करने का अधिकार है, ज्यादातर मामलों में, उनकी व्यय आवश्यकताओं की तुलना में उनके स्वयं के संसाधनों से प्राप्त राजस्व काफी कम होता है। इसलिए, वे काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं।

केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने

के लिए ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे कई सक्षम डिजिटल तंत्र बनाए हैं। जहां ई-ग्रामस्वराज, ग्रामीण स्थानीय निकायों को वास्तविक समय के डिजिटल माध्यमों के जरिए कार्यों के नियोजन, निष्पादन, लेखांकन, निगरानी तथा नियंत्रण और वित्तीय लेनदेन की पूरी प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाता है, वहां ऑडिटऑनलाइन पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उनके खातों की ऑडिटऑनलाइन को सक्षम बनाता है।

संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना चाहिए। हालांकि, सभी केंद्रीय वित्त आयोग प्रासंगिक अवधि के लिए राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टें




रेखांकित 3: ग्रामीण स्थानीय निकायों का प्रति व्यक्ति स्वयंस्रोत राजस्व - ओएसआर निष्पादन

की अनुपलब्धता और समकालीन नहीं बनाने के कारण विवश हैं, क्योंकि राज्य अलग-अलग समय पर और अलग-अलग नियमितता के साथ राज्य वित्त आयोग का गठन करते रहे हैं। राज्य स्तर पर अक्सर यह देखा गया है कि राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। कई मामलों में, सिफारिशों को बिना कारण बताए खारिज कर दिया जाता है या उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकारी आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। कुछ मामलों में, इन आदेशों के जारी होने के बावजूद, धनराशि जारी नहीं की जाती है। जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने अब इसे राज्यों द्वारा अपने अनुदानों के आहरण के लिए एक आवश्यक प्राप्तता बना दिया है, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य वित्त आयोगों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और राज्य सरकारों द्वारा उनकी सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम करेगा।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान करने के लिए, उनके स्वयं स्रोत राजस्व को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पंचायतों के राजस्व तथा व्यय-संबंधी निर्णयों के बीच की कड़ी भी मजबूत होगी, जो सेवाओं से संबंधित प्रावधानों में दक्षता के साथ-साथ जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्यों पर विचार किया जा रहा है:

- पंचायती राज अधिनियमों/वित्तीय नियमों का अद्यतनीकरण और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना:** वित्तीय नियमों, सरकारी आदेशों/अधिसूचनाओं के साथ पंचायती राज संस्थान अधिनियमों, कर तथा गैर-कर उद्ग्रहण, दर संरचना आदि में परिवर्तन के संबंध में, अद्यतन/सरलीकृत किया जाए और सार्वजनिक डॉमेन में लाया जाए ताकि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कराधान अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।
- संपत्ति कर लगाने के लिए आवश्यक संपत्तियों का बेहतर मूल्यांकन:** संपत्ति कर पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वयं स्रोत राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। इस कर को लगाने के लिए संपत्तियों के बाजार मूल्य का आकलन आवश्यक है। वर्तमान में अपनाई जा रही विभिन्न विधियों में से वर्गीकृत प्लंथ क्षेत्र-आधारित मूल्यांकन सबसे वैज्ञानिक, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीका प्रतीत होता है।
- विभिन्न छूटों पर पुनर्विचार:** पंचायती राज संस्थाओं के कराधान कानूनों/नियमों में कर-भुगतान करने वाले नागरिकों/संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट दी गई हैं, जो अपनी उपयोगिताओं से बाहर हो सकते हैं। इन छूटों पर फिर से विचार



रेखाचित्र 4: ग्रामीण स्थानीय निकायों का प्रति व्यक्ति ओएसआर निष्पादन-पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य

करने के लिए राज्यों में एक विस्तृत विश्लेषण किया जाना है और जहां तक संभव हो उन्हें समाप्त करना है।

- कर प्रशासन संरचना का विस्तार:** पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में अधिकांश राज्यों में प्रशासन के लिए बहुत कम कर्मचारी हैं और इससे उनकी कर प्रशासन दक्षता अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्रमुख बाधा को ध्यान में रखते हुए, कर प्रशासन और प्रवर्तन को स्वयं सहायता समूहों या अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकता है। स्वयं स्रोत राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रशासन:** राज्य स्तर पर ऑनलाइन सिस्टम और एप्लिकेशन विकसित किए जा सकते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रह, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सार्वभौमिक कर जैसे संपत्ति कर और नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क का संग्रह के डिजिटल साधनों के लिए प्रदान किए जा सकते हैं। पानी, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता शुल्क आदि जैसे उपयोगिता शुल्क संग्रह के लिए इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण उनके लिए बहुत आवश्यक है। इन स्थानीय स्व-शासन संस्थानों को सौंपी जाने वाली भूमिका में वृद्धि को देखते हुए, पंचायत वित्त की मात्रा में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है। यह उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में, पंचायतों को राजस्व के अपने स्रोतों से प्राप्त राशि सहित सार्वजनिक व्यय का कम से कम 10-20 प्रतिशत उपलब्ध होगा, जो समग्र स्तर पर उनके बजट का कम से कम 25 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, इन संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विकास का लंबा रास्ता तय किया जा सकेगा, जिसके लिए हमारा देश पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ■



पंचायतों के लिए प्रोत्साहन

डॉ बिजय कुमार बेहेड़ा

पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन देता है। पुरस्कार विजेताओं को और भी बढ़िया काम करने की प्रेरणा मिलती है और उनके विशेष प्रयासों को देख-जान कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण समुदायों में भी अधिक लगन से काम करने की ललक पैदा होती है। इसी के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर सर्वांगीण सुशासन लाने का वातावरण बनता है।

पुरस्कार हमेशा प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए और राज्यों को अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही योजना (पीईआईएस) वर्ष 2005-06 में लागू की ताकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विकेन्द्रीकरण अपनाने की दिशा में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाए। इस योजना के माध्यम से राज्यों

के अधिकार पंचायतों तक आवंटित करके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में केन्द्रीय प्रयास भी शामिल हो गया।

अनेक सीमाओं और बंधनों के बावजूद देशभर में कई पंचायतें उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इसी कारण 2011-12 में पंचायतों को प्रोत्साहन देने के दूसरे अंग के तौर पर स्थानीय निकाय स्तर पर जवाबदेही और प्रदर्शन को जोड़ लिया गया। पंचायतों को पर्याप्त तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने, उनके बुनियादी

ढांचे और ई-इनेबलमैट को मजबूत बनाने, निचले स्तर तक अभिकार हस्तांतरित करने को बढ़ावा देने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2013-14 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) को स्वीकृति देकर लागू कर दिया गया। इसके साथ ही पंचायती राज की तत्कालीन योजनाओं, जिनमें पीईएआईएस भी थी, का केंद्र-समर्पित योजना आरजीपीएसए में विलय कर दिया गया। पंचायतों के लिए प्रोत्साहन की योजना भी आरजीपीएसए के तहत ही चलाई जा रही थी। अधिक ध्यान देने वाली पहल के तौर पर अब पंचायतों को प्रोत्साहन योजना की राशि 2016-17 से शुरू की गई स्वतंत्र योजना 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के तहत मिल रही है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2008 में 22 से 24 अप्रैल तक संविधान में हुए 73वें संविधान संशोधन 1992 की, जो 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था, 15वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से जिला परिषदों और माध्यमिक पंचायतों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस 15वीं वर्षगांठ के चार्टर में 'समग्र शासन से समग्र प्रगति' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसे सम्मेलन में पारित कर दिया गया और 24 अप्रैल, 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिला और माध्यमिक पंचायतों के अध्यक्षों को संबोधित भी किया। इसी आधार पर हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पंचायतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को अन्य सभी पंचायतों के लिए आदर्श माना जाता है जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है।

पुरस्कारों की श्रेणियाँ

1. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी) 2010 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामसभा के सक्रिय योगदान से उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाली ग्राम पंचायत की सराहना करके उसे प्रोत्साहित करना था जिसने विशेष रूप से गांव के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इस पुरस्कार का मूल उद्देश्य ग्रामसभा को जनसहयोग, सामूहिक निर्णय और सामाजिक ऑडिट की संस्था के रूप में प्रचारित करना है। इस योजना में प्रत्येक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद् को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।
2. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी) 2011 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक हित के कार्यों के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली पंचायत को दिया जाता है। यह पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी) सभी पंचायती राज संस्थानों की सामान्य 2 श्रेणी और ग्राम पंचायतों की 9 विषय आधारित श्रेणियों के लिए दिया जाता है। ये विषय आधारित श्रेणियाँ हैं:
 - साफ-सफाई
 - नागरिक सेवाएं (पेयजल, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी सुविधाएं)
 - प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
 - सीमांत वर्ग की सेवा (महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगजन, वरिष्ठ जन)

- सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन
- आपदा प्रबंधन
- ग्राम पंचायतों को समर्थन देने वाले स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति
- राजस्व जुटाने के क्षेत्र में नवाचार
- ई-गवर्नेंस

यह पुरस्कार मोटे तौर पर प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों की संख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस पुरस्कार में जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत को 5 से 15 लाख रुपये, ब्लॉक/इंटरमीडियट पंचायत को 25 लाख रुपये और जिला पंचायत को 50 लाख रुपये दिये जाते हैं।

पंचायत का टीयर (स्तर)	राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र में पंचायतों की संख्या	पुरस्कारों की अनुमानित संख्या
जिला पंचायत	<50	1
	≥ 50	2
इंटरमीडियट पंचायत	<500	2
	500-1000	4
	>1000	6
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या का 0.05 प्रतिशत लेकिन कम से कम 3 ग्राम पंचायतें। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों में ग्राम पंचायतों की संख्या 2 पर सीमित रखी गई है।

पुरस्कारों की संख्या तय करने के मानदंड

1. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जीपीडीपीए) वर्ष 2018 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार देशभर की ग्राम पंचायतों में से उन पंचायतों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी ग्राम पंचायत योजना विकसित की हो। यह पुरस्कार हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत को दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपये दिए जाते हैं।
2. बाल अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार वर्ष 2019 में उस सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायत/जिला परिषद् के लिए शुरू किया गया जिसने बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि और विकास का वातावरण बनाने को सामाजिक विकास का मुख्य अंग मानकर कार्य किया हो। 5 लाख रुपये का यह पुरस्कार प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की एक ग्राम पंचायत/ग्राम परिषद् को प्रदान किया जाता है।
3. ई-पंचायत पुरस्कार: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पंचायत उद्यम सुर्ईट (पीईएस) एप्लीकेशंस/राज्य विशिष्ट एप्लीकेशंस अपनाकर उन्हें लागू करने, पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने, सेवाओं को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाकर उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कराने तथा ई-पंचायत एप्लीकेशंस को अपनाकर उन्हें लागू करने वाली पंचायतों को

प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इस पुरस्कार में कोई नकद प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती।

चयन के मानदंड और तौर-तरीके

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों की जवाबदेही व्यवस्था और उनकी पारदर्शी प्रणाली के आकलन के बास्ते विभिन्न मानदंडों/संकेतकों का प्रयोग करके पुरस्कारों के बारे में व्यापक प्रश्नावली तैयार की है। खंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, राज्य पंचायत कार्य आकलन समिति और क्षेत्र जांच दलों द्वारा किए गए व्यापक आकलन के आधार पर और पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को ध्यान में रखकर पंचायतों का चयन किया जाता है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से नामांकन एक विशिष्ट समर्पित पोर्टल पर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं ताकि कागजी कार्यवाही में समय नष्ट न हो। फिर, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित स्कोरिंग समिति पुरस्कृत की जाने वाली पंचायतों का चयन करती है। पुरस्कारों की संख्या राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त नामांकन के हिसाब से तय होती है।

पुरस्कार राशि का उपयोग जीतने वाली पंचायत सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए करती है जैसे लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटाना, परिसंपत्तियां बनाना, नागरिक सुविधाओं का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना और विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से मिलने वाली राशि में भरपाई करना।

आउट-रीच

प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देशभर में जागरूकता फैलाने और जानकारी के आदान-प्रदान का माध्यम बन गए हैं जिससे पंचायतों की सफलताओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाना संभव हुआ है तथा राष्ट्रहित के कार्यों में लगे सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है।

मंत्रालय देशभर की पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है। देश में मौजूद 25 लाख पंचायतों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों की कामयाबी को प्रचारित करना महत्वपूर्ण है। इससे अन्य पंचायतें भी प्रेरित होंगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की मदद से स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार किया जाना चाहिए।

योजना की उपलब्धियां

पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर पुरस्कारों के मानदंडों में



संशोधन-परिवर्तन करता रहा है। इन वर्षों में प्राप्त की गई सफलताएं उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं:

1. डीडीयूपीएसपी के तहत विषय-आधारित श्रेणियां बनाई गई। विषय वर्ष 2015-16 से डीडीयूपीएसपी के अंतर्गत नी विषय-आधारित श्रेणियां निर्धारित की गई ताकि पंचायतें ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें।
2. अधिक पारदर्शिता और बेहतर कार्यकुशलता पर जोर दिया गया। समूची प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने तथा कार्य तेजी से निपटाने के उद्देश्य से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि पंचायतें परिपदों से नामांकन भेजने का पूरा काम ऑनलाइन निपटाने को कहें। 2016 से ही यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती आ रही है।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की शुरूआत की गई। उन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया जिन्होंने अपनी जीपीडीपी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2018 में जीपीडीपीए नाम से नई योजना शुरू की गई थी।
4. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत पंचायतों की बढ़ती भागीदारी: देशभर की पंचायतों में जागरूकता बढ़ाने और पंचायतों के बीच प्रोत्साहन बढ़ाने के जोरदार प्रयासों के फलस्वरूप इन वर्षों में स्पर्धा का स्तर बढ़ा है और कुल भागीदारों की संख्या पुरस्कार वर्ष 2021 में 74,000 हो गई जो पिछले वर्ष के मुकाबले 28 प्रतिशत ज्यादा है। इससे राष्ट्रीय पुरस्कारों की आउटटरीच का पता चलता है।
5. पुरस्कार विजेता को पुरस्कार राशि सीधे हस्तांतरित की गई- वर्ष 2021 से शुरू हुई पहल के तहत पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों को पुरस्कार राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था शुरू की गई ताकि अनावश्यक देरी न हो।

2016-17 में इस योजना के लिए अलग बजट मद में व्यवस्था करके कुल 1,519 पुरस्कार पंचायतों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जा चुके हैं।

इस अवधि में इन पुरस्कारों के लिए अनेक पहल/सुधार किए गए हैं और पंचायतों की ओर से नामांकन भेजे जाने से लेकर आगे तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन बना दी गई तथा विशेष क्षेत्रों पर पंचायतों का ध्यान खींचने के लिए पुरस्कारों की नई श्रेणियां/विषय शुरू किए गए हैं। हालांकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद पुरस्कारों की नई-नई श्रेणियां बनाई गई और लक्ष्य प्राप्त करने के बास्ते पुरस्कार प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें बदलती हुई प्राथमिकताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जा रहा है। पहले की व्यवस्था में ग्रामसभा के आचरण और परिणाम पर खास ध्यान दिए बिना विकास योजना तैयार करने और प्रक्रिया-आधारित पुरस्कार देने पर जोर रहता था। ये प्राथमिकताएं व्यक्तिगत होती थीं और इनका मूल्यांकन बेहद मुश्किल होता था। इसीलिए प्रदर्शन की गुणात्मकता को आधार मानकर परिणाम-आधारित मानक अपनाए गए जो ठोस विकास का मूल आधार होते हैं। पुरस्कार प्रक्रिया को सशक्त बनाने का एक अन्य पहलू गुणात्मक विश्लेषण है जिसमें स्थायी विकास लक्ष्यों की पूर्ति में पंचायतों की भूमिका पर ही पूरा ध्यान रहता है। इस प्रणाली की मांग बढ़ी है और इस पर ध्यान भी केंद्रित किया जा रहा है। ■

स्वामित्व योजना

आलोक प्रेम नागर

संपत्तियों का स्वामित्व भू-संसाधनों पर आधारित आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पहलू होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह ज़्यादा महत्व रखता है। देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व इस बात से तय होता है कि वह किसके कब्जे में है और स्वामित्व के पर्याप्त दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं होते हैं, जबकि प्रमाण होने पर संपत्ति का इस्तेमाल ऋण या दूसरे वित्तीय लाभ प्राप्त करने में किया जा सकता है। आजादी से पहले विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षणों में कृषि योग्य भूमि पर ज़ोर दिया गया, जिस कारण स्वामित्व के अधिकार, सीमा तथा दूसरे विवाद अनसुलझे ही रह गए।

दु


निया में आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य के साथ चलाई जाने वाली अधिकतर आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि आवश्यक संसाधन है। इसलिए भूमि संसाधनों का प्रबंधन किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

बैंक भू-संपत्ति को वित्तीय संपत्ति मानकर इसके बदले ऋण तथा दूसरी वित्तीय सहायता देते हैं मगर कानूनी दस्तावेज़ नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामी लाभ नहीं उठा पाता। इन ग्रामीणों के पास गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से कर्ज़ लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता और वे ऋणदाता उनसे ऊँची दर पर ब्याज़ बसूल कर सकते हैं। जानकारी का अभाव होने के कारण ग्रामीण जनता कर्ज़ के जाल में फँसती जाती है और साहूकारों की दया पर आश्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्थागत ऋण हासिल करने की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के 2013 में कराए गए घरेलू संपत्ति एवं ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण के अनुसार 20 प्रतिशत परिवारों पर गैर-संस्थागत ऋणदाताओं का कर्ज़ बकाया था, जबकि शहरी भारत में ऐसे परिवार केवल 10 प्रतिशत थे।

ग्रामीण भारत में गैर-कृषि संपत्ति अधिकारों की बात करें तो ग्रामीण भारत में आवासीय भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड का सांख्यिकी अनुमान प्रदान करने वाले सर्वेक्षण बहुत कम हैं क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अथवा भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों में या तो कृषि भूमि ली जाती है अथवा आबादी भूमि को अलग किए बग़ेर समूची भूमि शामिल की जाती है।

भारत में यह अहम बात है क्योंकि एक औसत परिवार की कुल संपत्तियों में से 77 प्रतिशत रियल एस्टेट (जिसमें आवासीय इमारतें, कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों के लिए प्रयुक्त इमारतें, मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण तथा ग्रामीण एवं शहरी भूमि शामिल होती हैं)

के रूप में होती हैं। यह आंकड़ा अमेरिका में 40 प्रतिशत, चीन के लिए 60 प्रतिशत, थाईलैंड में 50 प्रतिशत और ब्रिटेन में केवल 35 प्रतिशत है।¹



स्रोत: भारतीय घरेलू वित्त, जुलाई 2017, आरबीआई

चित्र 1: संपत्तियां प्रतिशत में

भारत में ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में अधिकार के रिकॉर्ड नहीं होने के कारण भूमि प्रशासन² का स्तर कम रहा है, संपत्तियों का स्वामित्व अनुमानों पर आधारित होता है, संपत्ति विवाद लंबे समय से अटके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बाज़ार में तरलता बहुत कम है।

स्वामित्व योजना

भूमि रिकॉर्ड की कमी और गांवों में आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण

का अभाव देखते हुए भारत के 6.62 लाख गांवों में आधुनिकतम् ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण परिवार के मालिकों को संपत्ति कार्ड के रूप में अधिकार के रिकॉर्ड प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण स्वामित्व (सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज़ टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) योजना का जन्म हुआ।

योजना का लक्ष्य गांवों में ग्रामीण आबादी में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इससे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद मिलेगी।

स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण भारत के नागरिकों द्वारा संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना
- ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत भूमि प्रमाणन समाधान प्रदान करना
- संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी का साधन बनना
- संपत्ति कर तय करने में मदद प्राप्त करना
- सर्वेक्षण के लिए बुनियादी ढांचे तथा जीआईएस (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) मानचित्र तैयार करना, जिनका उपयोग कोई भी विभाग अथवा एजेंसी कर सकेंगे।

सर्वेक्षण की चेन, क्रॉस स्टाफ तथा थियोडोलाइट आधारित पुरानी तकनीकों में आम तौर पर उपकरण तथा धरातल के बीच दृष्टि रेखा होनी चाहिए और सर्वेक्षण की जाने वाली पूरी भूमि भी नज़र आनी चाहिए। साथ ही सर्वेक्षण करने वाले को संपत्तियों का सीमांकन करने

योजना का लक्ष्य गांवों में ग्रामीण

आबादी में मकान रखने वाले

ग्रामीण परिवारों के मालिकों को

अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध

कराना और संपत्ति स्वामियों

को संपत्ति कार्ड प्रदान करना

है। इससे ऋण तथा अन्य

वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण

आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण

करने में मदद मिलेगी।


के लिए मापने वाला उपकरण एक जगह में दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। भूमि सर्वेक्षण का यह तरीका श्रमसाध्य, समय वर्चवाद करे वाला, महंगा होता है तथा इसमें मानवीय एवं उपकरण की त्रुटियां संभव हैं।

स्वामित्व योजना में बहुत बड़े क्षेत्र का एकदम सटीक सर्वेक्षण बहुत कम समय में करने के लिए सर्वे ग्रेड ड्रॉन्स तथा कोर्स नेटवर्क (कॉटन्यूअसली ऑपरेटेंट रेफरेंस स्टेशन्स) का प्रयोग किया जाता है। ड्रॉन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार 1:500 पैमाने के मानचित्र बहुत सटीक होते हैं जैसे 3-5 सेटीमीटर और डटनी सटीकता पुराने तरीकों से नहीं मिलती। साथ ही दृष्टि रेखा के बगैर ही बहुत कम खर्च में ऐसे मानचित्र मिल जाते हैं, जिनका संपादन किया जा सकता है और जिनमें जियो ट्रैग भी जोड़े जा सकते हैं।


उच्च रिजॉल्यूशन युक्त और सटीक चित्र आधारित मानचित्रों से उन क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है, जिन क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्व रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ऐसे सटीक चित्र आधारित मानचित्र जर्मीन पर भौतिक माप एवं भूमि खंडों को मापने की तुलना में बहुत कम समय में भूमि का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध करा देते हैं। इतना ही नहीं, इन मानचित्रों में माप की त्रुटियां आम तौर पर नहीं होती हैं, जो पुराने तरीके में नज़र आती हैं।

इस योजना का पायलट फेज़ (परीक्षण चरण) 24 अप्रैल 2020 को छह राज्यों - हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में आरंभ किया गया।



वाद में पंजाब तथा राजस्थान के एक सीमावर्ती ज़िले के गांवों एवं आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों को भी क्रियान्वयन के परीक्षण चरण में जोड़ा गया। परीक्षण चरण में हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और



चित्र 2: ड्रोन से सर्वेक्षण तथा कोर्स स्टेशन



परीक्षण चरण (2020-21)



विस्तार का चरण (2021-25)

चित्र 3: राज्यों में स्वामित्व योजना का विस्तार - परीक्षण चरण एवं विस्तार चरण

राजस्थान में 210 कोर्स स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

परीक्षण चरण का क्रियान्वयन सफल होने एवं वांछित परिणाम मिलने के बाद 24 अप्रैल 2021 को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना आरंभ कर दी गई। अभी तक 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने यहां स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु परीक्षण गांवों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के अंतिम चरण में है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) पर आधारित अनुमानों के

परिणामस्वरूप राज्यों ने अपने-अपने राज्य कानूनों/नियमों में संशोधन किया है ताकि संपत्ति कार्ड को स्वामित्व का वैध कानूनी दस्तावेज माना जाए और रहने के रूप में स्वीकार्य संपत्ति कार्ड प्रारूप तैयार करने के लिए उन्होंने बैंकों के साथ काम किया।

सफलता की कई कहानियां आई हैं, जहां संपत्ति स्वामियों ने कर्ज़ लिए हैं, संपत्ति स्वामित्व के कारण भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा पाया है और लंबे समय से अटके संपत्ति विवाद सुलझ गए हैं।

स्वामित्व: प्रमुख उपलब्धियां

16 सितंबर 2021 को नौ राज्यों के 59,145 गांवों में ड्रोन की उड़ानें पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के 51 ज़िलों में भी ड्रोन की उड़ानें पूरी हो गई हैं। 8 सितंबर 2021 को हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब के लगभग 17,000 गांवों में करीब 17 लाख संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

कई संपत्ति मालिकों ने घर बनाने अथवा छोटे कारोबार शुरू करने के लिए संपत्ति कार्डों की मदद से कर्ज़ लेना भी आरंभ कर दिया है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान ग्रामवासियों में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद सुलझने के उदाहरण भी सामने आए हैं।

ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति

स्वामित्व योजना में बहुत बड़े क्षेत्र का एकदम सटीक सर्वेक्षण बहुत कम समय में करने के लिए सर्वे ग्रेड ड्रोन्स तथा कोर्स नेटवर्क (कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन्स) का प्रयोग किया जाता है। उच्च रिज़ॉल्यूशन युक्त और सटीक चित्र आधारित मानचित्रों से उन क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है, जिन क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्व रिकॉर्ड नहीं होते हैं।

स्वामी डिजिलॉकर एप्लिकेशन की मदद से अपने मोबाइल फोन पर आधार सत्यापित संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।



हरदा ज़िले के अबगांव कलां में रहने वाले श्री रामभरोसे विश्वकर्मा के मकान का अधिग्रहण चार-लेन की परियोजना के लिए कर लिया गया। विरासत के तत्कालीन नियमों के कारण भूमि स्वामित्व के कागज़ात नहीं होने के कारण उन्हें मुआवज़ा नहीं मिल सका। किंतु प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के अंतर्गत मूल्यांकन होने के बाद उन्हें न केवल भूमि का स्वामित्व मिला बल्कि भूमि अधिग्रहण के ज़रिये 21.14 लाख रुपये से अधिक का मुआवज़ा भी मिला।


श्री रामगोपाल, श्री चंद्रभान एवं श्री हरिश्चंद्र, ग्राम वधेरा, तहसील तहरोली, ज़िला झांसी, उत्तर प्रदेश

उनके पुरखों की ज़मीन का विवाद कई वर्षों से चल रहा था। अतीत में विवाद सुलझाने के प्रयास सफल नहीं रहे और पुरखों की ज़मीन का सीमांकन नहीं हो सका। स्वामित्व संपत्ति कार्ड (घरौनी में) के ज़रिये ज़मीन का सीमांकन सफलतापूर्वक पूरा हो गया और उनके बीच लंबे समय से चल रहा विवाद भी निपट गया।

श्री पवन, ग्राम हंडिया, तहसील हंडिया, ज़िला हरदा, मध्य प्रदेश
श्री पवन का एक कच्चा मकान था और गांव में मौजूद उनकी छोटी सी जूतों की दुकान ही उनके परिवार की आय का इकलौता स्रोत थी। स्वामित्व योजना के ज़रिये उन्हें मकान का अधिकार अभिलेख (संपत्ति कार्ड) मिला और उसका प्रयोग कर उन्होंने मकान की मरम्मत कराने तथा अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पिनोवा कैपिटल बैंक से 2,90,000 रुपये का कर्ज़ भी ले लिया।

आगे की राह

स्टीक मानचित्र बलले से ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों को भी कई अन्य लाभ होते हैं। स्टीक भूमि रिकॉर्ड एवं जीआईएस मानचित्र तैयार होने से पंचायतों को बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।



चित्र 4: उन गांवों की संख्या, जहाँ संपत्ति कार्ड का वितरण हो चुका है

एसईसीसी-2011 के अनुसार उन परिवारों की संख्या की स्थिति, जिनके पास अपने घर हैं:

क्र.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नाम के साथ कोड	कुल परिवार	उन परिवारों की संख्या, जिनके पास अपने मकान हैं
1.	जम्मू-कश्मीर	16,01,606	15,83,548
2.	हिमाचल प्रदेश	12,63,756	11,98,405
3.	पंजाब	32,69,467	31,65,651
4.	हरियाणा	29,69,509	28,71,873
5.	झारखण्ड	50,44,234	48,09,680
6.	ओडिशा	86,77,615	83,82,606
7.	राजस्थान	1,02,23,073	99,29,125
8.	गुजरात	69,20,473	64,83,857
9.	महाराष्ट्र	1,38,41,960	1,25,19,500
10.	गोवा	2,20,731	1,95,198
11.	आंध्र प्रदेश	93,44,180	85,65,496
12.	कर्नाटक	80,48,664	73,75,290
13.	केरल	63,19,215	59,39,546
14.	तमिलनाडु	1,00,88,119	92,32,452
15.	उत्तराखण्ड	14,79,742	13,74,986
16.	उत्तर प्रदेश	2,60,15,592	2,56,02,680
17.	छत्तीसगढ़	45,40,999	43,90,858
18.	मध्य प्रदेश	1,12,88,946	1,08,71,075
19.	सिक्किम	88,723	72,242
20.	अरुणाचल प्रदेश	2,01,842	1,67,487
21.	मणिपुर	4,48,163	4,29,433
22.	मिज़ोरम	1,11,626	98,228
23.	त्रिपुरा	6,97,062	6,53,549
24.	असम	57,43,835	52,79,167
25.	दमन-दीव	31,795	11,478
26.	दादरा एवं नागर हवेली	45,352	30,947
27.	लक्षद्वीप	10,929	9,018
28.	पुदुच्चेरी	1,15,249	97,684
29.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	68,481	46,799
30.	कुल	13,87,20,938	13,13,87,858

संपत्तियों के सटीक सीमांकन एवं पारदर्शी भूमि स्वामित्व अधिकार के कारण ग्राम पंचायतें उन राज्यों में संपत्ति कर का निर्धारण तथा संग्रह बेहतर हो गे कर सकेंगी, जहां उन्हें यह कार्य दिया गया है। इस प्रकार राजस्व का उनका अपना स्रोत तैयार होगा, जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों में किया जा सकता है।

कोर्स नेटवर्क नवाचार एवं सभी भूमि सर्वेक्षणों के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। योजना के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में 567 कोर्स नेटवर्क की स्थापना से किसी भी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा दी जा रही जियो-पोजिशनिंग सेवाओं एवं अन्य विकास गतिविधियों में मदद मिलेगी।

कोर्स प्रणाली भूमि माप की व्यवस्था का कायाकल्प कर सकती है। चेन, कंपस अथवा प्लेन टेबल सर्वेक्षण के तरीके हटाकर अब हाथों में पकड़े जाने वाले रोबर तथा एंटीना की मदद से जियो-लोकेशन आधारित सटीक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक यह सर्वेक्षण के पुराने रिकॉर्ड की जियो-रेफरेंसिंग की जा सकती है बशर्ते विरासत के पुराने रिकॉर्ड के साथ उनके मेल की चुनौती पूरी की जा सके।

योजना ने देश में ड्रोन व्यवस्था को भी रफ्तार दी है। इस समय ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न राज्यों में करीब 119 ड्रोन तैनात हैं और इनकी संख्या जल्द ही बढ़ाकर 300 की

जाएगी। इसे ड्रोन विनिर्माण, पायलट प्रशिक्षण तथा ड्रोन को सर्विस मॉडल के रूप में प्रयोग कर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कुशल मानवशक्ति की आवश्यकताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और स्टार्टअप तथा एमएसएमई के लिए रास्ते खुलेंगे। नागर विमानन मंत्रालय की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सही समय पर दिया गया मौका है - एक ओर ड्रोन की लगातार मांग बनी हुई है और दूसरी ओर आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस प्रकार स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांवों एवं उनके निवासियों के सशक्तीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास है, जिससे अंत में ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। ■

संदर्भ

- <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/HFCRA28D0415E2144A009112DD314ECFSC07.PDF>
- भूमि प्रशासन को ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें नियम, प्रक्रियाएं एवं ढांचे शामिल होते हैं, जिनसे भूमि तक पहुंच एवं उसके उपयोग के विषय में निर्णय किए जाते हैं; वह तरीका शामिल होता है, जिसमें निर्णय क्रियान्वित तथा लागू किए जाते हैं और वह तरीका भी होता है, जिसमें परस्पर स्पर्धी हितों - खाद्य एवं कृषि संगठन, भूमि प्रशासन एवं नियोजन को संभाला जाता है।



पुस्तक चर्चा

पंचायती राज इन इंडिया (अंग्रेजी पुस्तक)

लेखक: डॉ. महिपाल

आईएसबीएन: 978-81-230-2789-0


कीमत: 145 रुपये

प्रकाशक: प्रकाशन विभाग

यह माना जाता है कि दर्ज इतिहास की शुरुआत से, पंचायतें गांवों की रीढ़ रही हैं - विशेष रूप से भारतीय और सामान्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में। किसी और से ज्यादा यह गांधीजी का सपना था कि वे प्रत्येक गांव को सत्ता सौंपें, उनकी तात्कालिक चिंता के विषयों पर कानून बनाएं।

ग्रामीण पुनर्निर्माण में लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत उस लक्ष्य की ओर एक कदम है। यह पुस्तक इस प्रणाली को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखती है। यह व्यवस्थित रूप से नई पंचायती राज प्रणाली की जमीनी वास्तविकताओं, सामान्य रूप से लोगों के सशक्तीकरण में इसके योगदान और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव को सामने लाता है।

लेखक डॉ. महिपाल, जिन्हें ग्रामीण शासन की इस प्रणाली के कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव है, पुस्तक में ज्वलतं तथ्य सामने लाए हैं। ■



आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी अन्य किताबों के लिए, www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं।

ग्राम पंचायत विकास योजनाएं

रेखा यादव
कुणाल बंद्योपाध्याय

विकेन्द्रीकरण के समर्थकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार स्थानीय स्तर पर सत्ता और प्राधिकार का हस्तांतरण कई तरह से स्थानीय शासन की व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। भारत में सामुदायिक शासन का समृद्ध इतिहास रहा है। पंचायत प्रणाली स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में विकसित हो रही है। पिछले दो दशकों में, संवैधानिक अधिदेश को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं। तब से पंचायती राज मंत्रालय, सम्मिलित और प्रभावी तरीके से विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना को बढ़ावा देने सहित कई पहलों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है।

लो

कर्तात्रिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय मामलों में समुदाय की अधिक भागीदारी से सरकार द्वारा विशेष रूप से समाज में गरीब और चंचित समूहों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत के लिए विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन का औपचारिक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सुविधाविहीन समुदायों को शासन में भागीदार के रूप में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243जी पंचायत प्रणाली की समावेशी, समुदाय संचालित और समग्र नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अनिवार्य करता है, जिससे ये संस्थान स्थानीय स्वशासन निकायों के रूप में विकसित होते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय अपनी स्थापना के बाद से, एक अभिसृत और प्रभावी तरीके से विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना को बढ़ावा देने सहित कई पहलों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए प्रयास कर रहा है। मंत्रालय, पंचायतों को पर्याप्त प्राधिकार और अधिकार देने के लिए संवैधानिक अधिदेश की भावना का पालन करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में, उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। पिछले कुछ दशकों में, इस अधिदेश का पालन करने और निर्वाचित ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लोगों के अधिक नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकारों

के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

ग्राम पंचायत विकास योजना-जीपीडीपी: व्यापक नियोजन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापक और सम्मिलित विकास योजना के बाहक के रूप में, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को संस्थागत रूप दिया गया था। यह योजना प्रक्रिया गांव के समुदाय के सदस्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन की सुविधा प्रदान करती है। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ 'स्वयं के स्रोतों से राजस्व' के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण, ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी आवश्यकता-आधारित विकास योजनाएं बनाने का अवसर प्रदान करता है। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने ग्राम पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर की योजना के महत्व को मान्यता देते हुए, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को, 2015 और 2020 तक पांच साल की अवधि में अपने क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2,00,292 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके बाद, पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत टाइड फंड से और शेष 60 प्रतिशत अनटाइड फंड से आवंटित किया जाएगा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विधयों के तहत महसूस की गई जरूरतों के लिए अनटाइड अनुदान का उपयोग किया जा सकता है। टाइड अनुदान के संबंध में, कुल अनुदान का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रिय के लिए उपयोग किया जाएगा, और कुल अनुदान का 30 प्रतिशत स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा।

	पशुपालन		गौण चन डल्पाद		ग्रामीण आवास		ग्रामीण विद्युतिकरण		व्यावसायिक शिक्षा		गरीबी उत्तमूलन कार्यक्रम		सांस्कृतिक कार्यक्रम		परिवार-कल्याण		कमज़ोर बांगों का कल्याण		
	भूमि-सुधार		मछली पालन		लघु उद्योग		पेय-जल		सड़के		ग्यारहवीं सूची के क्षेत्र		प्रौढ़ और अनोपचारिक शिक्षा		वाजार और मेले		महिला और बाल विकास		मार्गजनिक वितरण प्रणाली
	लघु सिराह		सामाजिक वानिकी		खादी, ग्रामीण और कृषी उद्योग		ईंधन और चारा		गैर परमाणुकरण कार्यालय		शिक्षा		पुस्तकालय		स्वास्थ्य तथा पोषण		सम्भाज उत्तमूलन		सामुदायिक परिसर्पात्मकों का रखरखाव

चित्र 1: संविधान की ग्यारहवीं सूची के विषय/क्षेत्र


पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी स्तरों और पांचवीं तथा छठी अनुसूची के पारंपरिक निकायों को ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की सिफारिश की है। सुशासन और समावेशी सामाजिक विकास के लक्ष्य के अनुरूप, पंचायतों को इस विशाल अखंडित निधि प्रवाह ने सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक किया है। ग्राम पंचायत विकास योजना के व्यापक उद्देश्य

- ग्राम पंचायतों द्वारा शासित ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, जो न केवल बुनियादी ढांचे के अनुरूप विकास के लिए बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास के लिए भी है।
- सहभागी नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय को शामिल करना और सक्षम बनाना।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की पहचान सुनिश्चित करना और सहभागी नियोजन और अभिसरण के माध्यम से सभी समुदायों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करना।
- बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं के प्रावधान और गरिमामय जीवन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य वंचित समुदायों, अन्य पिछड़े समुदायों, महिलाओं, बच्चों, कमज़ोर समूहों और दिव्यांगों का समावेशन और कल्याण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करना।
- स्थानीय स्तर पर जवाबदेही उपायों को मजबूत करना।


ग्राम पंचायत विकास योजना-योजनाओं और क्षेत्रों का अभिसरण ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन प्रक्रिया व्यापक होनी चाहिए जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल है।

राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को धन के वितरण के संदर्भ में, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को एक अनिवार्य गतिविधि बना दिया है। मंत्रालय ने 2015 में आदर्श ग्राम पंचायत विकास योजना दिशानिर्देश तैयार किए थे और बाद में, नए पुनर्गठित व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना दिशानिर्देश 2018 लागू किए गए थे। संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी पर अधिक जोर देने के लिए जन योजना अभियान चलाकर विशेष बल दिया गया। कई पहलों के माध्यम से नए सिरे से फोकस के साथ, 95 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों ने (कुल 2.69 लाख ग्राम पंचायतें और तालुका स्थानीय निकाय में से 2.56 लाख ने योजना प्रक्रिया में भाग लिया और अपनी योजनाओं को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (<https://egramswaraj.gov.in/>) पर अपलोड किया।

वर्षों से, ग्राम पंचायतें, अधिक अभिसरण और सहभागी योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की विभिन्न योजनाओं



चित्र 2 : ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की संख्या



चित्र 3: ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में क्षेत्रीय निधि आवंटन का प्रतिशत-2021-22

का उपयोग कर रही हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक एजेंसियों और उपलब्ध संसाधनों के बीच सहयोग, नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने में 'सहयोगात्मक' परिणाम दे सकता है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और संबंधित आदेशों के बावजूद, कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का, ग्राम पंचायत विकास योजना में अभिसरण वर्षों से परिलक्षित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए क्षेत्रीय निधि आवंटन कुछ क्षेत्रों तक सीमित है जहां केंद्रीय या राज्य वित्त आयोग के फंड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं से मुख्य वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। सड़क निर्माण, पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में आवंटन का प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राम पंचायतों को इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण की अधिक आवश्यकता है। हालांकि, इस

विश्लेषण से यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में निधि आवंटन का प्रतिशत कम है, उन्हें स्थानीय स्तर पर पर्याप्त गणि नहीं मिलती है। कई सरकारी विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करते हैं, लेकिन अक्सर कार्यक्रम अलग-अलग विभागों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए प्रयासों का दोहराव हो सकता है, अतः अधिक अभिसरण की आवश्यकता है।

मनरेगा, दीनद्याल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, पोपण आदि जैसी ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर देते हैं। चूंकि ग्राम पंचायत विकास योजना एक एकीकृत योजना दस्तावेज़ है, इसलिए आदर्श रूप से पंचायत के सभी पहलुओं में इसके समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। श्रम बजट सहित संबंधित विभागों की सभी योजनाएं ग्राम पंचायत विकास योजना से निर्गत होंगी, हालांकि स्वीकृत गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित विभागों द्वारा किया जा सकता है। इस तरह की एक एकीकृत योजना विभिन्न क्षेत्रों से अधिक धन को अवशोषित करने और स्थानीय संसाधन जुटाने में मदद करती है, जिससे सेवा वितरण को सुधारने में मदद मिलती है। ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से विभिन्न संबंधित विभागों की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण से, इनके दोहराव से बचा जा सकेगा, वित्तीय बोझ कम होगा और वांछित परिणामों की उपलब्धि में तेजी आएगी।

क्षमता निर्माण की आवश्यकता

स्थानीय लोकतंत्र और लोगों के नेतृत्व में विकास को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारें लगातार नया




ग्राम मानचित्रण




जीआईएस आधारित नियोजन



ग्राम सभा



जन सूचना बोर्ड



संकल्प लेना



कोविड संबंधी उपाय

चित्र 4: जन योजना अभियान के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की झलकियाँ

करने और हितधारकों के एक बड़े वर्ग को नियोजन तथा विकास प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मंत्रालय 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अपनी प्रमुख योजना के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर बहुत जोर देता है। पिछले 3 वर्षों में, इसने 110 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और हितधारकों को प्रशिक्षित किया है। लगभग 57,89,185 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 2018 से, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर ये प्रयास देश भर में सालाना जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) के माध्यम से मिशन मोड में शुरू किए गए हैं। यह अभियान विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा नियोजन के लिए एक गहन और संरचित प्रयास है। इसके अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण पर आधारित कमियों को नियोजन के अगले दौर में दूर करने के लिए सामने लाया जाता है और विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाती है ताकि सूचित योजना बनाई जा सके।

इब्राहिमपुर, तेलंगाना की केस स्टडी

तेलंगाना में सिद्धीपेट जिले के नारायणनारावपेट ब्लॉक के इब्राहिमपुर गांव में हाल में ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम शुल्क के साथ सुरक्षित पेयजल, शत प्रतिशत स्वच्छता, जल संरक्षण, जैविक खाद, मच्छर मुक्त गांव और गांव के घरों के लिए सोलर लाइट जैसी सेवाएं उत्कृष्ट तरीके से प्रदान करने के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। सिद्धीपेट जिला मुख्यालय से करीब लगभग 25 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी 1,119 है। इस ग्राम पंचायत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास गतिविधियों के लिए निर्मल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं।

कुछ साल पहले तक, इस ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। यहां स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल जैसे क्षेत्रों में विशेष विकास नहीं हुआ था, लेकिन व्यापक जागरूकता के साथ-साथ युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और सक्रिय ग्राम सभाओं की गहन सामुदायिक भागीदारी के कारण, इब्राहिमपुर सतत विकास के लिए एक आदर्श गांव में तब्दील हो गया।

जागरूकता के लिए घर-घर जाना और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा मनरेगा के अभिसरण के साथ शौचालयों के निर्माण से यह ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त पंचायत बन गई है और इस प्रकार नागरिकों पर स्वास्थ्य व्यय का दबाव कम हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करने के लिए घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहल की गई। कचरे को खाद में तब्दील कर दिया गया है जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत ने ग्राम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।



चित्र 6: एनी टाइम वॉटर मशीन तथा सोलर स्ट्रीट लाइट
जाता है। ग्राम पंचायत ने ग्राम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ग्राम पंचायत ने एक 'एनी टाइम वॉटर' मशीन भी स्थापित की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, रिचार्ज किया जा सकने वाला कार्ड स्वाइप करने के बाद दिन में कम से कम दो से तीन बार 20 लीटर पानी ले सकता है। ग्राम पंचायत 3 किलोवाट सौर ऊर्जा से संचालित है और गांव में 50 से अधिक घर अपने घरेलू कामों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।

सामाजिक मोर्चे पर, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का उचित कार्यान्वयन से बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हुआ है। डिजिटल/ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ इनका निर्माण किया गया है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य पर लाने के साथ, शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इब्राहिमपुर ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना के अभिसरण से गर्भवती महिलाओं के लिए शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव और नियमित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की हैं।

ग्राम पंचायत ने अभिसरण के जरिए रोज़गार के अवसर प्रदान करके मजदूरी चाहने वालों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत ग्रामीणों को रियायती दरों पर 60 दुधारू पशु उपलब्ध कराए गए।

ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीण, दूध बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि के अभिसरण के कारण, पशुओं के लिए मवेशी आवास-गृह, वर्माकम्पोस्ट इकाई सहित कई विकासात्मक गतिविधियों संचालित की गई हैं। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। इब्राहिमपुर ने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। पशु खाद को कम्पोस्ट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और यह खाद तथा वर्माकम्पोस्ट, दोनों को स्थानीय



चित्र 7: मवंशियों के लिए सामुदायिक आश्रय

बाजार में बेचा जा रहा है। इसे हारम कार्यक्रम के तहत गांव की नरसरी और वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत ने पर्यावरण के अनुकूल और सतत ग्राम विकास के उद्देश्य से एक गांव पार्क और श्मशान का भी निर्माण किया है। गांव में, स्वयं सहायता समूह के सदस्य विभिन्न अर्ध-कुशल और कुशल कार्यों में भाग ले रहे हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

स्थानीय स्वशासन के लिए एक मॉडल के रूप में, इव्राहिमपुर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के नियमित संचालन के साथ भागीदारी शासन मॉडल का पालन कर रही है। ग्रामसभा में नागरिक अपनी जरूरतों और चुनौतियों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत समितियां स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों जैसे समुदाय आधारित संगठनों के साथ नियमित रूप से परामर्श करके लोकतात्त्विक तरीके से कार्य करती हैं। इव्राहिमपुर आजीविका विकास, बढ़ी हुई पारिवारिक आय, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेटवर्क का उपयोग करके आस-पास के शहरों में ग्रामीण उत्पादों के विपणन, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता-निर्माण और पंचायत क्षेत्र में विकास के हितधारकों आदि में सुधार की योजना बनाने में संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन के साथ गरीबी मुक्त गांव बनने के लिए प्रतिवद्ध है।

व्यापक नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में पहचाना जा रहा है। प्रभावी स्थानीय शासन न केवल सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है बल्कि स्थानीय समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग और सामूहिक कार्यान्वयन की करता है। राष्ट्र के शासन में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र का सार है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, देश भर में 95 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर रही हैं। हालांकि, अब समय आ गया है कि योजनाओं की संख्या की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ग्राम पंचायत विकास योजना को केवल इच्छा सूची में रखने की बजाय सूचित सूची में शामिल किया जाए और इन्हें

कार्यान्वयन की जाए।

अधिक संधारणीय और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायती राज संस्थाओं- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, हितधारकों के क्षमता विकास सहित मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने कई पहल की हैं। इस प्रक्रिया के तहत गरीबी उम्मूलन योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में एकीकृत करने के लिए विशेष प्रावधान शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में सतत विकास के लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। मिशन अंत्योदय मापदंडों, पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली, डैशबोर्ड, ग्राम मानचित्र, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि में ग्राम-स्तरीय गैप रिपोर्ट पर विभिन्न व्यवस्थागत उपाय, अधिक सूचित नियोजन और निष्पादन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में अभिसरण और समुदाय-आधारित संगठनों के एकीकरण के साथ, संवर्धित मंत्रालयों के, लोकतात्त्विक संस्थानों के साथ मिलकर विकास योजनाओं के जन-केंद्रित दृष्टिकोण से भौतिक, वित्तीय, सामाजिक और पूँजी निर्माण संबंधी तथा ग्रामीण स्तर पर दीर्घकालिक सतत विकास कार्यों के नेतृत्व से निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। ■

संदर्भ

1. अहमद, ज., देवराजन, एस., खेमानी, एस. और शाह, एस. (2005). 'डीसीट्लाइजेशन एण्ड सर्विस डिलिवरी', विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र; 3603: 1-27
2. डॉ. वर्धाणपाथ्याय, वी.एन. युगंधर और अमिताभ मुख्जी (2002), 'कन्वर्जेस ऑफ प्रोग्राम्स वाई एंपावरिंग एमएचजी एण्ड पीआरआइ', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 37, नंवर 26
3. ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए दिशानिर्देश (2018. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट) वेबसाइट <https://egramswaraj.gov.in/>; पंचायती राज मंत्रालय
4. 'तेलंगाना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'ट्रांसफार्मिंग विलेजिस कन्वर्जेस ऑफ मनरेंगा-एन इन्स्पायरिंग एक्सपरिएंस ऑफ इव्राहिमपुर'

अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण नियोजन

मुज़म्मिल खान

तेलंगाना में पल्ले और पट्टण प्रगति कार्यक्रम के ज़रिये गांवों के सर्वांगीण विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे जुड़ी गतिविधियों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियोजन, सफाई और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और सतत जीवनशैली को बढ़ाना देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना शामिल हैं।

ते

लंगाना के गांवों और शहरों में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2019 में वहाँ पल्ले प्रगति और पट्टण प्रगति जैसी योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के विभिन्न चरणों के तहत तय किए गए विकास संवंधी लक्ष्य स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे में आते हैं। इनका मकसद ज़रूरी आधारभूत संरचना मुहैया करना, जलवायु परिवर्तन संवंधी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी शिक्षा का प्रसार, योजनाओं में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और समावेशी शासन प्रणाली सुनिश्चित करना है। इन उपलब्धियों के ज़रिये सरकार राज्य की ग्रामीण आवादी को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मांचे पर बेहतर माहील मुहैया करना चाहती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी पहल में खास तौर पर पंचायत के इस्तेमाल के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली की खरीद के साथ-साथ डीआरसीसी (सूखा संसाधन संग्रहण केंद्र) और कंपोस्ट शेड की स्थापना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इन दोनों गतिविधियों का मकसद सफाई-कर्मियों द्वारा नियमित तौर पर कचरा इकट्ठा नहीं करने की समस्या, कचरा भराव क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटन और लोगों के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जागरूकता की कर्मा आदि चुनौतियों से निपटना है। पल्ले प्रगति कार्यक्रम के चार चरणों को लागू किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को सूखे और गीले कचरे में अंतर संवंधी जानकारी दी जाती है और एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की जाती है। इन चार चरणों में वड़े पैमाने पर लक्ष्यों को हासिल किया गया है। ज़मीनी स्तर पर हासिल अनुभव से पता चलता है कि लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए सफाई-कर्मियों ने उनके घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग करना शुरू किया, ताकि वे अगली बार से खुद से एंसा कर सकें। साथ ही, कचरे को अलग-अलग रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक नारों का भी सहाया लिया गया। उदाहरण के लिए, एक नारा कुछ इस तरह था-

सभी गीले कचरे प्रकृति की तरफ से मिलते हैं, जबकि सूखा कचरा मानव निर्मित होता है।

इसी तरह, नियमित तौर पर घरों का कचरा इकट्ठा करने, सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिन तय करने और हर वॉर्ड में दीवारों पर पेटिंग के ज़रिये सूचना फैलाने पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की गई कि हर गांव में 500 लोगों पर कम से कम एक सफाई कर्मा (वहुदेशी कार्यकर्ता) हो। इन तमाम कोशिशों की बजह से कचरा इकट्ठा करने में मानवाधिकारों पर आधारित नज़रिया अपनाने में मदद मिली। इसके अलावा, गांवों में पालतू जानवरों से फैलाने वाले कचरे से निपटने के लिए भी पहल की गई। इसके तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (नरंगा) के तहत बकरी और कई अन्य जानवरों के लिए ठिकाना तैयार किए गए हैं। पशुओं के रहने के लिए तैयार किए गए ये ठिकाने गांवों की रिहाइश से दूर हैं और इसके लिए निजी लाभार्थियों की जमीन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के प्रयासों का मतलब यह भी है कि इन ठिकानों को सफाई, रखरखाव और



कंपोस्ट खाद बनाने के तरीका का प्रदर्शन



परिचयम समिति के वार्ड में दीवार पर सूचना

सुरक्षा के लिए सीमित संख्या में लोगों को तैनात किया गया है। इसके अलावा, संबंधित पशु चिकित्सकों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का काम भी आसान हो गया है। लोगों और पशुओं की रिहाइश को अलग करने से स्वच्छता का बेहतर लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम हुआ है।

अगले चरण के तहत कचरे को डीआरसीसी और कंपोस्ट शेड तक पहुंचाने के लिए गांव के ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपोस्ट शेड में वर्मीकंपोस्टिंग का इस्तेमाल कर गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार होने के दौरान इसकी निगरानी और सूखे कचरे को अलग करने के लिए डीआरसीसी पर खास तौर पर एक कर्मचारी को तैनात किया जाता है। प्लास्टिक और शीशे के कचरे की बिक्री से मिलने वाली रकम का भुगतान कर्मचारी के बेतन के तौर पर किया जाता है। कई जगहों पर डीआरसीसी के कर्मचारी को पोशाक भी मिलती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है, बल्कि उनमें सम्मान और मालिकाना हक की भावना



वैकुंठ धामम् (शमशान घाट)

भी पैदा होती है। इस तरह की पहल से कचरा पैदा करने और इसके प्रसंस्करण को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले जहां कचरे को पूरी तरह से बेकार माना जाता था, वहां अब इसे अब इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति के तौर पर देखा जाने लगा है।

इसके अलावा, बुनियादी आधारभूत संरचना श्रेणी के तहत गज्य के हर ग्राम पंचायत में शवदाह गृह/कब्र का इंतजाम किया गया है। ऐसे ढांचे में एक प्रतीक्षालय, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, 'स्मृति वनम्', चिता के लिए स्थान शामिल हैं। इस पहल के जरिए सामाजिक मेलजोल बढ़ाने की भी कोशिश की गई है, जहां सभी धर्मों/जातियों के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक ही जगह पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह, शब को अंतिम संस्कार वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में 'वैकुंठ रत्नम्' वाहन की तैनाती की गई है, जिसका मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी



नए सिरे से बनाया गया आंगनवाड़ी केंद्र



गांव का पार्क

मौजूदा सामाजिक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं और इसमें लोक कला कार्यक्रम पर विशेष ज़ोर दिया गया। इस तरह की कवायद का मकसद न सिर्फ ज़्यादा उपयोगी और मजबूत सुविधाओं का निर्माण करना है, बल्कि ऐसी सुविधाओं के ज़रिये गांवों में रहने वाले लोगों में नई ऊर्जा का संचार करना है जिनका नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के उपायों के साथ-साथ सीसी नालों, सोक पिट, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, विजली से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं (खंबे, तार और ट्रांसफॉर्मर वैगरह) को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। इन कोशिशों से बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा की बचत और वित्तीय मोर्चे पर सकारात्मक असर जैसे परिणाम देखने को मिले हैं। पल्ले प्रगति कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से राज्य में डेंगू और अन्य संक्रामक (खास तौर पर जानवरों से फैलने वाली) बीमारियों में भारी गिरावट आई है। गौरतलब है कि राज्य में मिशन भागीरथ के तहत घर-घर पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर काम पहले ही पूरा हो चुका है।



वृक्षारोपण

हरित और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए 'हरित हारम' अभियान के तहत राज्य के हर जिले में वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य आर्किट किए गए हैं। सरकार ने साल 2021-22 के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य फोकस राज्य की हर प्रमुख सड़क, गांवों को जोड़ने वाली सड़क और अंदरूनी सड़कों पर अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे लगाने पर है, ताकि सड़कों के आसपास का नज़ारा बेहतर हो सके और आसपास के गांवों में प्रदूषण में भी गिरावट हो।

इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में 1 एकड़ या उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है। इन पार्कों में फुटपाथ, पेड़, पौधे, मनोरंजन की जगह आदि मौजूद होंगे और ये एक तरह से गांवों की हरियाली, लोगों के मनोरंजन आदि का भी केंद्र होंगे। दरअसल, खाली या बंजर जमीन पर ऐसे पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इससे ऐसी जगहों पर हरियाली का प्रसार भी हो सकेगा जहां इन चीजों का अभाव है।

पल्ले प्रगति कार्यक्रम के तहत हाल में मंडल स्तर पर ग्रामीण पार्क स्थापित करने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये पार्क 10 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन के दायरे में हैं और इनमें 30,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। ये पार्क मुख्य तौर पर मंडल मुख्यालय में मौजूद होते हैं। ऐसे पार्क का मकसद न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में पौधारोपण है, बल्कि इसे रणनीतिक मकसद से सरकारी ज़मीन पर स्थापित किया गया है, ताकि ऐसी ज़मीन को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

इस अभियान के तहत राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में 6 पौधों का वितरण सुनिश्चित करने की बात है, ताकि घरों में भी हरियाली का माहौल बनाया जा सके। पौधों का नामकरण और इसे



सिद्धीपेट जिले में ग्रामीण मियावाको वृक्षारोपण

परिवार के अलग-अलग सदस्यों के हिसाब से इसका वितरण जैसी नवाचारी गतिविधियों से न सिर्फ पौधों का अस्तित्व वचे रहने को ज्यादा संभावना होती है, बल्कि इससे जागरूकता भी बढ़ती है और पारिस्थितिकी व समाज के बीच जुड़ाव मजबूत होता है।

वित्तीय अनुशासन संबंधी पहल के तहत, ग्राम पंचायतों को फंडों का भुगतान तर्कसंगत तरीके से किया जाता है और हर गांव को महीने की पहली तारीख को फंड मिल जाता है। इस बारे में पंचायत कार्यालय की दीवारों पर भी जानकारी प्रदर्शित की जाती है और इसे नियमित तौर पर अपडेट भी किया जाता है। फंडों के नियमित भुगतान के साथ-साथ सालाना और पांच साल के लिए विकास योजनाएं भी तैयार की जाती हैं। ग्राम सभा प्राथमिकताएं तय कर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तय करती है। इस तरह, बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, कानून बना कर संपत्ति कर का नियमित संग्रह ज़रूरी कर दिया गया है। इसके लिए नियमित तौर पर आकलन और मांग में भी संशोधन करना ज़रूरी है। इसी तरह, विजली बिल का भुगतान, कर्ज़ की अदायगी (खास तौर पर ग्रामीण ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए लिया गया कर्ज़), वेतन, सफाई संबंधी खर्चों का शुल्क के तौर पर वर्गीकरण किया गया है और तेलंगाना पंचायती राज कानून, 2018 के तहत इन मदों में नियमित तौर पर भुगतान ज़रूरी है। संबंधित अधिकारी इसका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करते हैं। इन शुल्कों का भुगतान समयसीमा के भीतर नहीं होने पर कानून में दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है और जांच में गड़वड़ी पाए जाने पर सरपंच और पंचायत सचिव को अयोग्य ठहराने की भी वात है।

वित्तीय अनुशासन संबंधी पहल के तहत, ग्राम पंचायतों को फंडों का भुगतान तर्कसंगत तरीके से किया जाता है और हर गांव को महीने की पहली तारीख को फंड मिल जाता है। इस बारे में पंचायत कार्यालय की दीवारों पर भी जानकारी प्रदर्शित की जाती है और इसे नियमित तौर पर अपडेट भी किया जाता है। फंडों के नियमित भुगतान के साथ-साथ सालाना और पांच साल के लिए विकास योजनाएं भी तैयार की जाती है।



स्थायी समिति और ग्राम सभा की बैठक

इसी तरह, संसाधनों, ऊर्जा की खपत और पानी के उपयोग को लेकर सभी गांवों का आकलन किया गया है, ताकि संसाधनों के आवंटन में गड़वड़ीयों और व्याज़र मंवंधी चुनौतियों का पता लगाया जा सके। उदाहरण के लिए, ऊर्जा मंवंधी जांच में मटकों पर मौजूद सभी पुराने बल्वों के बदले एलईडी बल्व लगाए गए, ताकि विजली की खपत कम हो सके। माथ ही, कई गांवों में विजली के इस्तेमाल को तर्कसंगत बनाकर 15-20 प्रतिशत तक लागत की बचत मुमकिन हो सकी। इन तमाम कोशिशों के ज़रिये न मिर्फ सरकार की वित्तीय स्थिति और उसके उपयोग को लेकर जागरूकता में बढ़ती हुई, बल्कि वित्तीय ज़िम्मेदारी और अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है, जो स्थानीय निकायों के कामकाज को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए बहद ज़रूरी है। पल्ले

प्रगति कार्यक्रम के हालिया चरण में विकास संबंधी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया। तेलंगाना पंचायती राज कानून 2018 के मुताबिक, हर गांव में 4 स्थायी समितियां बनाना ज़रूरी है और हर समिति क्रमशः सफाई, हरित हारम, सटकों पर बल्व की सुविधा और अन्य काम की निगरानी करती है। कानून में कहा गया है कि ये समितियां गैर-राजनीतिक इकाई होनी चाहिए जो लोगों से ज्यादा से ज्यादा जुड़कर काम करें। सभी गांवों में ऐसी समितियों का गठन किया गया है और उनके सुझावों को पंचायत की मासिक और ग्राम सभा की पालिक बैठकों में पेश किया जाता है। यह पाया गया है कि समिति के सदस्यों द्वारा निगरानी की बजह से विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बेहतर नतीजे मिले हैं और जमीनी स्तर पर नवाचार हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक गांव की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर डीआरसीसी और श्मशान स्थल पर महंगी घेरावंदी के बजाय प्राकृतिक काटे से घेरावंदी की गई और बाद में संबंधित ज़िले के सभी गांवों में इस नवाचार को आजमाया गया जिससे ग्राम पंचायतों को बड़ी रकम की बचत हुई।

स्वयं सहायता समूहों ने भी इन समितियों में भागीदारी सुनिश्चित की है और इस तरह विभिन्न मंचों के माध्यम से सामाजिक विषयों पर सक्रिय चर्चा हुई है। इस तरह, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए फंड आवंटन जैसे विषयों पर भी बेहतर चर्चा मुमकिन हो सकी है। इन तमाम गतिविधियों का मकसद संविधान के 73वें संशोधन में कही गई बातों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि गांवों को लोकतांत्रिक, सेहतमंद और प्रगतिशील बनाया जा सके। ■

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सुकन्या केयू
जॉय एलामोन

डैशबोर्ड वास्तव में सरकार और अन्य हितार्थियों के लिए स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को आंकने के उपकरण होते हैं और इनके माध्यम से क्रियान्वयन और आंकड़ों का अन्तर सापेक्ष आ जाता है। इंटरएक्टिव डैशबोर्ड देश में सतत यानी टिकाऊ या स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर कार्य से जुड़ी प्राथमिकताओं का पता चलता है।

वि

इव के नेताओं के बांच सितम्बर, 2015 में स्थायी विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी थी ताकि विश्व में ऊर्जा भरकर गरीबी और असमानता में ज़्यादात तकमील करके आंकड़ों को बढ़ावा देने वाले 15 वर्ष की प्राथमिकताएं और कार्य-योजनाएं बनाई जा सकें। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी खत्म करके असमानता को हमेशा के लिए मिटा देना है जिसमें दुनिया के सामने मुंह बाए गए अंतर्राष्ट्रीय-संवर्धी चुनौतियों का टिकाऊ और पक्का हल निकाला जा सके। इन प्रयासों के अंतर्गत विकास के लिए डेटा क्रान्ति ने गति पकड़ ली है और इसमें वैश्विक संसाधनों का दोहन करके आवश्यकता का पता लगाकर उनको पूर्ति के लिए अधिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेंगा। डेटा क्रान्ति को मदद से वैश्विक लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने को आशा बन जाएगी और इसके लिए डेटा-चालित निर्णय प्रक्रिया, तथ्यों पर आधारित नीतियां और विकास कार्यों की साझी जवाबदेही तथा सरकार और अन्य हितार्थियों को और में समुचित निवेश को बढ़ावा देना होगा।

डेटा क्रान्ति का अर्थ है डेटा के प्रयोग से चलाए जाने वाले किसी जटिल विकास एजेंटों की ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक क्रान्ति लाने वाले कार्य। इसके तहत डेटा तैयार करने, डेटा एक्सेस करने और उस प्रयोग करने में क्रांतिकारी सुधार लाने की प्रक्रिया शामिल है। कई देशों में डेटा जुटाने (एकत्र करने) का काम उस देश की सरकार की एजेंसी करता है और इसके लिए एजेंसी जनसंख्या के पूर्व-निर्धारित वर्ग में आंकड़े प्राप्त करता है जिनका जटिल वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण किया जाता है और गणितीय सूक्ल अनुमान लगाए जाते हैं। आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में अत्यधिक विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है और इसीलिए अधिकांश नागरिक और सरकारी अधिकारियों को इस कार्य से दूर कर दिया गया है, इनमें से कुछ तो वस रिपोर्ट को पढ़ने तक की ही योग्यता रखते हैं। इसी संदर्भ को देखते हुए डेटा क्रान्ति का विकेन्द्रीकरण करना ज़रूरी है जिसमें पंचायतें ही विकास के डेटा की व्यवस्था संभालेंगी।

पंचायत स्तर पर डेटा क्रान्ति से समुदाय एंसे लक्ष्यों और संकेतकों की पहचान करके उन्हें डिजाइन कर सकता है जो उन लोगों के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। इससे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जिसकी मदद से लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उस समुदाय की प्रगति आंकी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विकास से जुड़े मुद्दों पर हर व्यक्ति की आवाज़ या राय पूरी अहमियत रखती है। कोई भी व्यक्ति पंचायत के आंकड़ों की जांच कर सकता है और साथ ही लोगों के आंकड़े जोड़ सकता है तो असल तथ्यों पर आधारित मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराएंगे।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सितम्बर, 2015 में पारित क्रांतिकारी एजेंटों-2030 के तहत पृथ्वी के निवासियों और पृथ्वी ग्रह को सुरक्षा और सभी के लिए समृद्धि का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया था। चूंकि ये लक्ष्य वैश्विक हैं और सभी पर लागू होते हैं इसलिए सभी देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्राथमिकताएं तय करके इस एजेंटों की भावना के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्य निर्धारित कर लें। स्थायी विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप देने की इस प्रक्रिया के लिए देशों, प्रान्तों (राज्यों) और पंचायतों के लिए नीति-निर्देश और अन्य उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी।

केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत स्वशासी संगठन है। यह मुख्य रूप से स्थानीय निकाय के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाता है। साथ ही केआईएलए कार्यशालाओं, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, परामर्शदाता, दस्तावेज तैयार करने, आपसी सहयोग और सूचना-सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।

इस संदर्भ में केआईएलए ने स्थानीय निकायों के लिए स्थायी विकास लक्ष्य तय करने के लिए एक प्रशिक्षण टूलकिट विकसित किया है। इस ट्रेनिंग टूलकिट में स्थानीय स्तर से राज्य स्तर तक का सचेवुल यानी खोज सकने योग्य डेटाबेस है, यह डेटा की गुणवत्ता,

मुख्य सुकन्या केयू केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) की फैकल्टी सदस्य है। ईमेल: sukanya@kila.ac.in
श्री जॉय एलामोन केआईएलए के महानिदेशक हैं। ईमेल: director@kila.ac.in

विश्वसनीयता, उपलब्धता और तुलनात्मकता तथा अनुकूलता सुधारने में सहायक होता है, जिससे सभी हितार्थी संबद्ध क्षेत्र में अपने निजी डेटा तैयार कर सकते हैं।

कुल मिलाकर इससे स्थानीय निकायों को प्रत्येक संकेतक (मानक) के बारे में अपनी स्थिति की समीक्षा करके उसमें सुधार या सशोधन करने में मद्द मिलती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद अंतराल का पता चल जाता है जिससे समाज की बेहतरी और जरूरी बदलाव के जरिये स्थायी विकास लक्ष्यों की चुनौती से निपटने के तरीके समझ में आते हैं और स्थायी विकास लक्ष्यों, देश की नीतियों, देश की पञ्चवर्षीय योजना और स्थानीय निकाय विकास योजनाओं में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बनाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सकती है।

स्थानीय निकाय स्तर पर डेटा क्रान्ति को सफल बनाने के उपाय

1. आधार तैयार करें

यह जरूरी है कि स्थानीय डेटा क्रान्ति की प्रक्रिया के लिए आधार तैयार किया जाए-

- समुदाय (लोगों) और विभिन्न विकास अधिकारियों के साथ मजबूत संचार चैनल विकसित किए जाएं।
- सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करने की परम्परा चलाएं ताकि लोग धीरे-धीरे अपनी ज़िल्जक छोड़कर सहज भाव से अपने परेशानी बताने लगें।
- विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिकारियों से मजबूत नज़दीकी रिश्ते बनाएं।
- किसी अन्य स्रोत या माध्यम से आंकड़े एकत्र करने के दौरान हुए हर तरह के अनुभव की समीक्षा करें और इन अनुभवों के बारे में सभी लोगों की राय प्राप्त करें।

2. समुदाय को संगठित करें

लोगों में प्रभाव रखने वाले सामुदायिक नेताओं और ऐसे स्वयंसेवकों की पहचान कर लें जो पंचायत स्तर की डेटा-पहल में स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को राजी हो सकते हैं। इन लोगों से परस्पर भरोसे और निष्ठा पर आधारित संबंध बनाएंगे तो इस प्रक्रिया को गति और बल मिलेगा। इसका यह अर्थ भी है कि अन्य हितार्थीयों को भी संगठित किया जाए।

3. क्षमता निर्माण करें

- स्थायी विकास लक्ष्यों के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं- यह क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है, समुदाय के लिए उनका क्या महत्व है, लक्ष्य और संकेतक क्या है।
- डेटा के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं- यह क्या है, समुदाय के लिए इनका क्या उपयोग है, इन्हें कैसे एकत्र किया जाये और इनका विश्लेषण कैसे होता है।
- स्मार्टफोन को डेटा जुटाने के उपकरण के रूप में प्रयोग करने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

- डेटा एकत्र करने के विभिन्न उपकरणों के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं- जैसे पेपर सर्वेक्षण, मोबाइल फोन एप्लीकेशन्स आदि।

- चातचीत करें और समुदाय के लिए सर्वाधिक महत्व वाले स्थायी विकास लक्ष्यों को पहचानें।
- लक्ष्यों और संकेतकों का समुदाय के संदर्भ में विश्लेषण करें।

4. डेटा एकत्र करें

समुदाय ने जिन लक्ष्यों और संकेतकों की समीक्षा की है उनके आधार पर सर्वे विकसित करें। डेटा एकत्र करने के अनागिनत तरीके हैं। इनमें शामिल हैं:

- संकेंद्री डेटा
- ऐसे कागजात के जरिये सर्वेक्षण जिन्हें समुदाय के सभी परिवारों के सदस्य भरेंगे।
- मोबाइल फोन सर्वे एप्स (जहाँ स्मार्टफोन उपलब्ध है)। इनमें ओपन डेटा किट (आंड्रोइड) आदि शामिल हैं।

डेटा एकत्रीकरण के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश करके सुनिश्चित किया जाए कि हर संबद्ध व्यक्ति (प्रत्येक परिवार) से जानकारी जुटायी जाए। पेपर सर्वेक्षण के मामले में यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेटा उचित फॉर्मेट (प्रारूप) में डिजीटाइज किया जाए ताकि उनका बेहतर विश्लेषण किया जा सके।

5. डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया पर प्राप्त फॉर्डबैक

समुदाय डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया से संतुष्ट और आश्वस्त होना चाहिए। अक्सर इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सर्वे और एप्लीकेशन डिजाइन दोंवारा करना पड़ता है।

6. लोगों के साथ मिलकर विश्लेषण करें

सामुदायिक डेटा का विश्लेषण काफी आसान होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के बारे में या कम-से-कम अधिकतर परिवारों के बारे में होता है। डेटा से उत्पन्न होने वाले नैरेटिव (विचारों) को इकट्ठा करके उन पर मिलकर विचार करने से समुदाय आंकड़ों के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाता है जिससे वे उन विचारों के समर्थन में चर्चा के मुद्दे तैयार कर पाते हैं और चुनौतियों को भी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं।

7. विकास के लिए संपर्क स्थापित करें

नैरेटिव के आधार पता चलता है कि स्थानीय निकायों के अधिकारियों के पास लोगों के लिए विकास गतिविधियां लागू करने के संसाधन नहीं होते। लेकिन, डेटा की मद्द से अन्य संबद्ध सरकारी विभागों, विकास सहयोगियों और स्वयं लोगों (समुदाय) से भी संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं।

डेटा क्रान्ति : संकेतकों की भूमिका

स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थायी विकास लक्ष्यों की निगरानी प्रक्रिया में प्रगति मूलरूप से संकेतकों पर निर्भर होती है। संकेतक फ्रेमवर्क (प्रारूप) सशक्त होने पर लक्ष्यों के प्रवंधन का उपकरण बनाया जा सकता है जिससे देशों

डेटा एकत्रीकरण के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश करके सुनिश्चित किया जाए कि हर संबद्ध व्यक्ति (प्रत्येक परिवार) से जानकारी जुटायी जाए। पेपर सर्वेक्षण के मामले में यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेटा उचित फॉर्मेट (प्रारूप) में डिजीटाइज किया जाए ताकि उनका बेहतर विश्लेषण किया जा सके।

और विश्व समुदाय को विकास नीतियां अपने हिसाब से बनाकर आवश्यक आवंटन निर्धारित करने में आसानी हो जाती है। इनसे स्थायी विकास की दिशा में हुई प्रगति आंकने और स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी हितार्थियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसे अपनाकर क्रियाशील बनाने के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर डैशबोर्ड विकसित करना होगा जो स्थायी विकास लक्ष्यों के संकेतक प्रारूप की निगरानी करेगा।

पंचायतों के लिए डैशबोर्ड

स्थायी विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप देने के लिए निगरानी तंत्र बनाने के वास्ते निर्णय लेने वालों, नीति बनाने वालों और सेवा प्रदाताओं को इन सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से समय पर सही जानकारी और डेटा की जरूरत होती है। इस जानकारी और संसाधनों तक एकसेस होने से योजना बनाने और संसाधनों के आवंटन जैसे मौजूदा मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करना आसान हो जाता है जिससे भविष्य में निवारक उपायों की योजना भी तैयार की जा सकती है।

- इस डैशबोर्ड से राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अधिकारी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को आंक सकते हैं।
- भविष्य में तो सामान्य जन भी इस प्लेटफॉर्म तक एकसेस कर सकेंगे।
- वे डेटा एकत्र करने, उनके विश्लेषण और स्थानीय और राज्य स्तर पर साझा करने की वेहतर समझ के साथ स्व-आकलन और समर्थन प्रयास भी करने लगेंगे।
- इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, उद्योग और ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर डेटा के नवाचार संसाधनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

कच्चा डेटा : संकेतकों के लिए कच्चा डेटा एकत्र किया गया था और अनुपलब्ध डेटा का पता लगाया गया था।



लक्ष्य निर्धारण : प्रत्येक संकेतक के लिए 2030 के लिए स्थानीय स्तर का लक्ष्य-मूल्य तय किया गया था।



सामान्यीकरण : कच्चे डेटा को 0 से 100 के पैमाने की कसीटी पर आंका गया, इस मानक से यह पता चल गया कि लक्ष्यों की पूर्ति से वे अभी कितनी दूर हैं।



लक्ष्य स्कोर (मान) : सामान्यीकृत स्कोर (मानों) के अंकगणितीय माध्य की गणना करके प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत गिनती किए गए कुल स्कोर (मान)




सकल (स्थायी) विकास लक्ष्य स्कोर : सभी लक्ष्यों के स्कोर के औसत आधार पर सकल स्थायी विकास लक्ष्यों का भारतीय सूचकांक निकाला गया।




सकल स्थायी विकास लक्ष्य स्कोर : सभी लक्ष्यों के स्कोर के औसत आधार पर केरल के स्थायी लक्ष्य की प्रगति आंकी गई।

सतत विकास लक्ष्य - डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया




डेटा डैशबोर्ड

- स्थानीय और राज्य स्तर पर स्थायी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति को निगरानी में मदद मिलेगी।
 - डेटा डैशबोर्ड ऐसा उपकरण (टूल) है जो जानकारी को इंटरएक्टिव इंटर्फ़ेस और विजुअल तरीके से प्रदर्शित करते समय मुख्य क्षेत्रों के विभिन्न डेटा-सैटों की पूरी बारीकियों के मॉनीटरिंग, आकलन, विश्लेषण और खोज के केंद्रीयकृत और इंटरएक्टिव तरीके उपलब्ध कराता है।
 - ऑनलाइन वातावरण में कार्यशील अंतर-दृष्टि विकसित करने में यूज़र्स की मदद के लिए ऐतिहासिक डिजाइन, अंतर-संबंध और ट्रैंडस का पता लगाने के लिए डेटा-सैट चुनकर उन्हें विजुअल-ग्राफिक विधि से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन डेटा विजुएलाइजेशन कहते हैं।
यह डैशबोर्ड का सामने वाला सिरा है जिसमें हैं-
 - विभिन्न स्थायी लक्ष्यों की त्वरित सर्च (खोज)
 - क्लाउड-आधारित ओपनसोर्स स्थायी विकास लक्ष्य रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग समाधान
 - लक्ष्य
 - संकेतक
 - स्थायी विकास लक्ष्य के कार्य (परफॉर्मेंस) को विषय के आधार पर देख पाना
 - लक्ष्यों, उद्देश्यों और संकेतकों को एक्सपैंड (विस्तारित) या कॉलैप्स (लघु) करना ताकि स्थानीय निकायों के डेटा और उनकी प्रगति देखी जा सके
 - प्रत्येक उद्देश्य का लक्ष्यों और संकेतकों के साथ ग्राफिकल प्रदर्शन (परफॉर्मेंस)
 - चुने हुए संकेतक और उसके स्ट्रेटिफायर को विभिन्न चार्ट में निर्धारित समयावधि पर देखने के कस्टमाइजेबल चार्ट
 - एनीमेटिड चार्ट में मल्टीडाइमेंशनल (बहुदिशा) डेटा को कस्टमाइज करना और देखना
 - संकेतकों की मदद से स्थानीय निकायों के रैंकिंगिंग को कस्टमाइज करना और देखना
 - स्थानीय निकायों के लिए स्थायी विकास लक्ष्य मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार करना
 - चार्ट डाउनलोड करके उन्हें सोशल मीडिया पर साझा (शेयर) करना
 - डैशबोर्ड पर अपने विचार रजिस्टर करना और देखना
 - संपर्क
 - स्थायी विकास लक्ष्य इंटरएक्टिव डेटा डैशबोर्ड को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय, और पंचायत स्तरों पर या विशेष स्थायी विकास लक्ष्य के लिए भी कस्टमाइज़ यानी इच्छा अनुरूप किया जा सकता है।
- स्थायी विकास लक्ष्यों की योजना और उसे मॉनीटर करना**
- निगरानी और आकलन प्लेटफॉर्म स्थायी विकास लक्ष्यों और पंचायत विकास योजनाओं तथा अन्य प्रारूपों को ट्रैक, मॉनीटर और रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जाता है। यह यूज़र फ्रेंडली और वेब-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संचार और समन्वयन की खामियों को दूर करता है। आधुनिकतम संचार-पहल अपनाकर पंचायत विकास योजनाएं बनाने की प्रक्रिया को चुस्त और प्रभावी बनाया जाता है; इसके तहत स्थायी विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय परिणामों का संचार शामिल रहता है और निगरानी और आकलन चरण में इसका अहम प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें उन्नत संचार चैनल और अधिक पारदर्शिता अपनाई जाती है और क्रियान्वयन पूरी तरह खुले रूप से होता है। यह प्लेटफॉर्म बन-स्टॉप-शॉप के रूप में सभी को व्यस्त रखता है जहां लोग नवीनतम जानकारी और सामग्री पा सकते हैं।
- व्यापक रूप में यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और राज्य महत्व का



डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट



सतत विकास लक्ष्यों का डैशबोर्ड

लक्ष्य-वार विश्लेषण हर वर्ष के लिए दर्शाता है। साथ ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर भी वर्ष-वार स्थिति देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय संकेतकों के लक्ष्य

चित्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रत्येक लक्ष्य की प्रगति का स्तर दर्शाया गया है:

स्थायी विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में उपलब्धियों के आधार पर पंचायत के कामकाज की प्रगति का आकलन करना। सभी पंचायतों का प्रत्येक लक्ष्य के आधार पर आकलन किया जाता है।

कम्पोजिट स्टोर भी निकाला जाता है जिसके आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का विविध लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर आकलन किया जाता है।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच वैश्वक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति के आधार पर स्वास्थ्य स्पर्धा को बढ़ावा देना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान में मदद देना जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सांख्यिकीय प्रणाली की खामियों को उजागर करना और उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां और ज्यादा वार डेटा एकत्र करने की जरूरत है।

डैशबोर्ड के बड़े लाभ/अपेक्षित रचनात्मक परिणाम

केरल में स्थायी विकास लक्ष्य एजेंडा चलाने में डैशबोर्ड मुख्य भूमिका अदा करेगा। रैकिंग के परिणाम मीडिया/डैशबोर्ड के माध्यम से लोगों तक शीघ्रता से पहुंच सकेंगे। यह स्थायी विकास लक्ष्यों के प्रति कई स्तरों पर, जैसे कि सरकार, मीडिया, शोधकर्ता और नागरिक संगठनों के स्तर पर जागरूकता पैदा करेगा। उच्च-स्तरीय समितियों वाले कई सरकारी संस्थान स्थायी विकास लक्ष्य अपनाने की प्रक्रिया

पर निगाह रखेंगे। डैशबोर्ड कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थायी विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को भी बढ़ावा देगा जिससे जिलों में स्पर्धा की भावना आएगी।

लक्ष्य, उद्देश्य और संकेतक के आधार पर राष्ट्रीय स्थायी विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देखी जा सकती है:

- डेटा अंतराल का पता लगाकर स्थायी विकास लक्ष्यों के संकेतकों की संबंधित स्थानीय निकाय लक्ष्यों से तुलना करके उनका विश्लेषण करना,
- स्थायी विकास लक्ष्य डेटा की उपलब्धता और खामियों के आकलन में सहयोग करना और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय तथा पंचायत स्तर के स्थायी विकास लक्ष्य के आंकड़ों के मॉनीटरिंग डैशबोर्ड और रिपोर्टों का डिजाइन तैयार करके उन्हें विकसित करना,
- राष्ट्रीय और राज्य औसत में पंचायत का स्थान,
- जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) के माध्यम से कार्य-योजना तैयार करना,
- जरूरी हो तो हर स्थानीय निकाय नए संकेतक जोड़ ले,
- प्रत्येक के लिए स्वयं के स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करना,
- वार्षिक अपडेटिंग से मॉनीटरिंग में मदद मिलेगी,
- ये सभी उपाय स्वयं ही पंचायत स्तर पर किए जा सकते हैं, ग्रामसभा में पेश किए जा सकते हैं।
- स्थायी विकास लक्ष्यों की प्लानिंग और मॉनीटरिंग पर डैशबोर्ड। ■

संदर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र (2014), पृष्ठ 6, ए वर्ल्ड काउंटेन्स : स्थायी विकास के लिए डेटा क्रांति पर स्वतंत्र विशेषज्ञ परामर्श गुप द्वारा स्थायी विकास के लिए डेटा क्रांति लाना, न्यूयॉर्क।
2. एलिजाबेथ, स्टुअर्ट और अन्य (2015)। द डेटा रेवोल्यू शन फाईंडिंग द मिसिंग मिलियन्स, ओडीआई डेवलपमेंट प्रोग्रेस।
3. केरल स्थानीय निकाय (केआईएलए) द्वारा 2009 में प्रकाशित- विकेन्द्रित नियोजन और विकास के आकलन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट।

डिजिटल स्थानीय शासन

मयंक खरबंदा

ई-पंचायत को राष्ट्रीय ई-शासन योजना-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के तहत चलाया जा रहा है। यह मिशन के तौर पर चलायी जाने वाली परियोजनाओं-मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) में से एक है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं-पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (पीआरआई) के कामकाज में आमूलचूल बदलाव लाकर उन्हें विकेन्द्रित स्वशासन निकायों के रूप में ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस परियोजना के जरिये देश भर की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रवाह प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा रहा है। इसका लाभ लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और पीआरआई कर्मियों को होगा। इससे स्थानीय शासन में सुधार आयेगा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा।

प्रौ

द्योगिकी ने हमें एक आपस में जुड़ी दुनिया में पहुंचा दिया है। उदीयमान प्रौद्योगिकियां देश के आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों में लगातार तालमेल बना रही हैं। भारत ने अगले कुछ वर्षों में 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन इसे प्राप्त करना तभी संभव है जब हमारे गांवों को स्थानीय शासन के प्रौद्योगिकी आधारित ढांचे के साथ आर्थिक विकास के आत्मनिर्भर केंद्रों में तब्दील कर दिया जाये।


भारत सरकार वैश्विक महामारी की चुनौतियों का सामना करने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। पीआरआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्विड 19 के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस वैश्विक महामारी ने प्रौद्योगिकी और निर्णय लेने की डाटा आधारित प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया है। लिहाजा, निचले स्तर तक सरकारी कामकाज में उदीयमान प्रौद्योगिकियों को अपनाने की राष्ट्रीय कांशिशों में तेजी लाना महत्वपूर्ण है। पंचायतें ग्रामीण नागरिकों और शासन व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। इसलिये स्थानीय स्तर पर सामूहिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की संस्कृति लाने में वे प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

इतिहास और मौजूदा स्थिति

पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों के विभागों, पंचायतों और नागरिकों समेत तमाम हितधारकों की सूचना और सेवाओं की जरूरतों की पहचान के लिये सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तृत अध्ययन कराया है। इससे 12 मूल सार्वजनिक एप्लीकेशनों की पहचान की गयी जो पंचायत के

कामकाज के सभी पहलुओं को अपने में समेटे हैं। इन पहलुओं में योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, बजट व्यवस्था, अकाउंटिंग और सामाजिक ऑफिट सरीखे आंतरिक मूल कार्यों के अलावा

ई-पंचायत का कवरेज



रेखाचित्र 1 : ई-पंचायत

लेखक पंचायती राज मंत्रालय की ई-पंचायत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में सलाहकार हैं। ईमेल: mayank.kharbanda@nic.in

2020

ई-ग्रामस्वराज

2018

ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

2012

पंचायत उद्यम समूह (पीईएस)

2009

राष्ट्रीय आईएसएनए, बीपीआर, डीपीआर रिपोर्ट

2007

• मिशन के तौर पर परियोजना : ई-पंचायत

2006 • राष्ट्रीय ई-शासन योजना

रेखाचित्र 2 : ई-पंचायत का सफर

प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं की डिलीवरी भी शामिल है।

ये एप्लीकेशन मिल कर पंचायत उद्यम समूह (पीईएस) बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ई-शासन के सभी मानकों के अनुरूप मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। ये पूरी तरह अंतर-संचालनीय हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को बार-बार डाटा की प्रविष्टि नहीं करनी पड़े। इनमें राज्यों की स्वीकार्यता और अंगीकरण सुनिश्चित करने के लिये उनकी विशिष्ट जरूरतों को भी शामिल किया गया है। इन एप्लीकेशनों के जरिये पंचायतों के पुनर्सीमांकन और विकेंद्रित एकीकृत योजना निर्माण जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एप्लीकेशनों के ई-पंचायत समूह का शुभारंभ किया।

पीआरआई में ई-शासन को मजबूत करने के मकसद से पंचायती राज के लिये सरल कार्य-आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज विकसित किया गया है। इसमें ई-पंचायत एमएमपी से संबंधित एप्लीकेशनों के कार्यों को समाहित कर लिया गया है। ई-ग्राम स्वराज में ई-एफएमएस एप्लीकेशनों को सम्मिलित कर लिया गया है जिनमें प्लानप्लास, एक्शनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट और राष्ट्रीय संपदा निर्देशिका शामिल हैं। क्षेत्र प्रोफाइलर एप्लीकेशन और स्थानीय शासन निर्देशिका को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस तरह यह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ व्यवस्था के लिये आधार बन गया है।

ई-शासन और आईसीटी हस्तक्षेप

पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद देने के उद्देश्य से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) के उपयोग के लिये प्रतिबद्ध है। वह पंचायतकर्ताओं को रोजमरा के कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिये प्रयत्नशील है। डिजिटल तौर पर समावेशी समाज की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है जिसमें ग्रामीणों का बड़ा हिस्सा नवी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए सूचना और सेवाओं को आजादी से हासिल और साझा कर सके तथा विकास की प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावी ढंग से हिस्सा ले। पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिकों के लिये सेवाओं की सम्मिलित डिलीवरी को बढ़ावा देने के मकसद से विभिन्न आईसीटी पहलकदमियों की शुरुआत की है जिनमें से कुछ बड़ी पहलकदमियां इस प्रकार हैं-

- **ई-ग्रामस्वराज :** ई-ग्रामस्वराज पीआरआई के लिये एक कार्य आधारित सरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यह योजना निर्माण और अकाउंटिंग की सभी जरूरतों के लिये एकीकृत प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। निरानी और संपदा प्रबंधन जैसे पंचायत के कामकाज के विभिन्न अन्य पहलू भी इसमें शामिल हैं। इस एप्लीकेशन को विकसित करने का मकसद ग्राम पंचायत विकास योजनाओं-ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लांस (जीपीडीपी) के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधि के लिये हरेक खर्च पर नजर रखना है। ई-ग्रामस्वराज ग्राम पंचायत के उपयोगकर्ताओं की डाटा प्रविष्टियों की संख्या घटाता है। इस तरह यह ई-शासन



रेखाचित्र 3 : पंचायत उद्यम समूह


- एप्लीकेशनों में जटिलता को कम करता है। इसका इंटरफ़ेस उपयोगकर्ताओं के लिये ज्यादा सरल है और इसके जरिये ग्राम पंचायतें अपनी कार्ययोजना की ट्रैकिंग और निगरानी तथा उनमें बदलाव आसानी से कर सकती हैं। इस एप्लीकेशन से पारदर्शिता और जवाबदेही आने के साथ ही जीपीडीपी को समय पर निगरानी भी संभव हुई है। एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है जिसके माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कुल, जारी और पूरा हो चुके कार्यों तथा आय और व्यय के बारे में विभिन्न सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं।
- ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस (ईजीएसपीआई) : पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये 2018 में ईजीएसपीआई की शुरुआत की गयी। इसमें ई-ग्रामस्वराज के अकाउंटिंग मॉड्यूल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का समेकन किया गया ताकि पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत व्यय के ऑनलाइन भुगतान के लिये इंटरफ़ेस मिल सके। ईजीएसपीआई

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जरूरी है कि कार्यों में प्रगति की जमीन स्तर पर निगरानी की जाये। इसके लिये काम खत्म होने पर संपत्तियों की जियो-टैगिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज मंत्रालय ने कार्य पूरा होने पर निर्मित संपत्ति की जियो-टैग के साथ तस्वीरें लेने में मदद के लिये मोबाइल आधारित समाधान एमएक्शनसॉफ्ट विकसित किया है। किसी भी संपत्ति की जियो-टैगिंग कम-से-कम तीन चरणों में- कार्य शुरू होने से पहले, इसके दौरान और काम खत्म


ग्राम पंचायतों के लिये एक अनूठा इंटरफ़ेस है जिसके जरिये वे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को तुरंत भुगतान कर सकती हैं। अब तक 2021-22 के लिये 255994 जीपीडीपी तैयार की जा चुकी हैं। कुल 154098 ग्राम पंचायतों ने ईजीएसपीआई के माध्यम से 42137 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

- संपत्तियों की जियो-टैगिंग : योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जरूरी है कि कार्यों में प्रगति की जमीन स्तर पर निगरानी की जाये। इसके लिये काम खत्म होने पर संपत्तियों की जियो-टैगिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज मंत्रालय ने कार्य पूरा होने पर निर्मित संपत्ति की जियो-टैग के साथ तस्वीरें लेने में मदद के लिये मोबाइल आधारित समाधान एमएक्शनसॉफ्ट विकसित किया है। किसी भी संपत्ति की जियो-टैगिंग कम-से-कम तीन चरणों में- कार्य शुरू होने से पहले, इसके दौरान और काम खत्म

होने के बाद की जाती है। एमएक्शनसॉफ्ट प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचय, सूखे से बचाव, स्वच्छता, कृषि, तटवंधों और सिंचाई की नहरों से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों के



रेखाचित्र 4 : स्थानीय शासन निर्देशिका




रेखाचित्र 5 : पीआरआई में वित्त

बारे में सूचनाओं का संग्रह मुहैया करता है।

- ग्राम मानचित्र :** ग्राम मानचित्र एक भू-स्थानिक योजना निर्माण एप्लीकेशन है जिसका शुभारंभ 2019 को किया गया। यह ग्राम पंचायतों को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से अपने स्तर पर ही योजनाएं बनाने में मदद करता है। इस एप्लीकेशन को विभिन्न मंत्रालयों के स्थानिक और गैर-स्थानिक आंकड़ों के साथ समन्वित किया जा रहा है। इनमें जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सार्वजनिक सेवा केंद्रों और उपकेंद्रों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक पत्राचार (वित्त मंत्रालय), डाक सुविधाओं (संचार मंत्रालय), स्कूलों (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग), राशन की दुकानों (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय), पीने के पानी के स्रोतों (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) तथा मनरेगा संपत्तियों (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के आंकड़े शामिल हैं। इस एप्लीकेशन को सामाजिक-आर्थिक जाति गणना रिपोर्ट, मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायतों को संसाधन आवंटन से भी जोड़ा गया है। ये सारी सूचनाएं एक जगह उपलब्ध होने से ग्राम पंचायत के उपयोगकर्ताओं को योजना निर्माण के दौरान कार्यों को बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी।

- ऑडिट ऑनलाइन :** 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिये ऑडिट ऑनलाइन का 15 अप्रैल, 2020 को शुभारंभ किया गया। केंद्रीय वित्त आयोगों ने कई दफा लेखापरीक्षित अकाउंट की सार्वजनिक तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शुरूआत में फैसला किया गया कि 2019-20 के लिये हर राज्य की 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की



रेखाचित्र 6 : पोर्टल डेशबोर्ड

14वें वित्त आयोग के खातों के वास्ते ऑडिट की जायेगी। लेकिन कई राज्यों ने अपनी 20 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों की ऑडिट पूरी कर ली है।

निष्कर्ष

राज्यों ने ई-ग्रामस्वराज, ईजीएसपीआई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप की जबरदस्त संभावना और मांग का पता चलता है। पंचायती राज मंत्रालय शासन में सुधार के लिये राज्यों के पंचायती राज विभागों के साथ लगातार काम कर रहा है। कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों को देखते हुए मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में कई सुधार ला रहा है। वह ग्राम मानचित्र जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्मों के बेहतर उपयोग के लिये प्रयत्नशील है।

ग्राम पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची के 29 क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाने और उसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। इसलिये ई-ग्रामस्वराज से 18 विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ग्राम सभाओं की बैठकों की पारदर्शिता में इजाफा होगा।

मंत्रालय का लक्ष्य ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को एक व्यापक प्लेटफॉर्म बनाने का है जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता आने के अलावा वित्तीय योजना निर्माण और उपयोग में आसानी होगी। पंचायत स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिये कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग पर आधारित चैटबॉट के सृजन जैसे अनेक अग्रणी सुधारों की संभावना का पता लगाया जा रहा है। मंत्रालय के ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को भू-स्थानिक आधारित निर्णय के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। यह भविष्य की स्थानिक योजनाएं विकसित करने में ग्राम पंचायतों के लिये मददगार होगा। पीएफएमएस प्लेटफॉर्म

ऑडिट ऑनलाइन

सरकारी विभागों और पंचायती राज संस्थाओं की अंदरूनी और बाहरी ऑडिट के लिए सुविधा प्रदान करता है

टिप्पणियों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए प्लेटफार्म निर्मित करता है

टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दर्ज करता है। ऑडिट प्रक्रिया को सुचारू बनाता है ताकि ऑडिट जांच स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, टिप्पणी के मसौदे, पैरा के मसौदे इत्यादि का जवाब ऑनलाइन दिया जा सके

ऑडिट टिप्पणियों के समापन की निगरानी करता है

विश्लेषण और निर्णय करने में सहायता के लिए विभिन्न रिपोर्टों और ग्राफों को तैयार करता है

रेखाचित्र 7 : ऑनलाइन ऑडिट

से ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण सफल रहा है। इसके बाद मंत्रालय पंचायतों के लिये सरकारी ई-बाजार से जुड़े प्लेटफॉर्म के विकास के लिये काम कर रहा है। इससे पंचायतें जमीनी स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिये विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगी।

मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में एकीकृत प्रणालियों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही आयी है। ई-ग्रामस्वराज से संबंधित आम मुद्दों के समाधान के लिये एक चैटबॉट विकसित किया जा रहा है।

कोविड 19 के बाद के समय में मजबूत शासन प्रणालियों की उपयोगिता और डाटा संग्रह और प्रबंधन की भूमिका को व्यापक

तौर पर समझा गया है। ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर भरोसेमंद डाटा एकत्र करने के लिये विशिष्ट स्थिति में हैं। इसलिये ग्राम पंचायतों की क्षमता का उपयोग आवश्यक है। ई-ग्रामस्वराज जैसे प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्र में डाटा संग्रह और शासन के ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। ई-ग्रामस्वराज अन्य मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से लाभार्थियों की सूचियों की साझेदारी के लिये उन्हें एक जगह लाने का मंच बन सकता है। उपरोक्त हस्तक्षेपों से देश के स्थानीय शासन का ढांचा सुदृढ़ होगा और पंचायत कर्मियों का प्रौद्योगिकीय कौशल बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता सुधरेगी और भारत आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फस्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

लोगों की योजना

श्लोकार्थ त्रिवेदी

पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रमुख माध्यम हैं और ग्रामीण विकास तथा शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का महत्वपूर्ण तंत्र उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया असल में विभिन्न भौतिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों का ही परिणाम होती है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया परस्पर भिन्न है।


पं चायती राज प्रणाली लम्बी विकास प्रक्रिया से अस्तित्व में आई है और सही अर्थों में भारत के विकेन्द्रित लोकतंत्र का दर्पण है। पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन संस्थान के रूप में देखा जा सकता है जिनके माध्यम से योजना बनाने की प्रक्रिया और विकास कार्यों में लोगों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण लोगों के आर्थिक-सामाजिक कल्याण को सुधारने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वास्तव में बहु-आयामी और व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों का विकास तथा सामाजिक-आर्थिक अवस्थापना, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं का विकास और इन सबसे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधनों

का विकास किया जाता है। विभिन्न राज्यों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में काफी भिन्नता है। पंचायती राज मंत्रालय मिशन अंत्योदय सर्वे का लाभ प्राप्त करने और योजना निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियों का पता लगाने के कार्य में ग्रामीण मंत्रालय के सहयोग से काम करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने “सबकी योजना सबका विकास” अभियान के अंतर्गत लोगों की पहली योजना इसी वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू की जो 31 जनवरी, 2022 तक चलेगी। अभियान का वास्तविक उद्देश्य ऐसी समेकित एकल योजना तैयार करना है जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सभी 29 क्षेत्रों को समाहित किया जाए जिन्हें पंचायतों

जीपीडीपी निर्माण योजना

पंचायती राज मंत्रालय राज्य स्तर पर पीपीसी का समन्वय करता है। पंचायती राज विभाग समयबद्ध तरीके से निम्नलिखित गतिविधियां लागू करने की समीक्षा करेगा



चित्र 1 : जीपीडीपी निर्माण चक्र

अंतःक्षेप

सामुदायिक लामबंदी एसडीजी 2.0 (भूख) साक्ष्य आधारित नियोजन



मास्क्य आधारित नियोजन

- गैप रिपोर्ट का उपयोग : संकट वाले क्षेत्रों में गैप रिपोर्ट के आधार पर विकास का आंकलन करके आशंकाएं कम करना
- डेटा का इस्तेमाल : विश्लेषण को सरल बनाने के लिए पंचायत डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं।



स्व-सहायता समूह और सामुदायिक एकनवटा

- वीवीआरपी पर अनिवार्य रूप से चर्चा होगी।
- सामाजिक विकास बढ़ाने में स्व-सहायता समूह मदद करें।
- लक्षित उपस्थिति @10 प्रतिशत



चित्र 2 : जीपीडीपी में सुधार के लिए पंचायती राज मंत्रालय की कार्य योजना (अंतःक्षेप)

को सौंपा जाना है और इनमें अंतिम लक्ष्य के रूप में अन्य संबद्ध विभागों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न अन्य स्कीमें और कार्यक्रम भी शामिल किए जाएं। 2018 के बाद से 91 प्रतिशत से ज्यादा पंचायतों ने आने वाले वर्ष के लिए अपनी-अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं सफलतापूर्वक बनाई हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने 95 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करके रिकॉर्ड स्थापित किया है।

इस अभियान के दौरान स्थानीय क्षेत्र योजना को सशक्त बनाया गया है और अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए गांवों के स्तर पर ग्राम सभा बैठकें आयोजित की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबद्ध सरकारी विभागों में समन्वय रखकर ग्राम स्तर पर योजना बनाना जबरदस्त चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले कुछ प्रमुख विभाग हैं— ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग।

इन योजनाओं में सभी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक मानदंड कवर किए जाएंगे और उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से क्रांति लाना रहेगा। जीपीडीपी योजना प्रक्रिया का लक्ष्य भारत के तीन परस्पर जुड़े आयामों की विकास संबंधी चुनौतियों से निपटना है।

समग्र विकास

स्थार्या विकास लक्ष्य

- स्व-सहायता समूह इस वर्ष के सभी योजना लक्ष्य तय करेंगे।
- भुखमी जड़ से मिटाने के लक्ष्य पर जोर।
- ग्राम पंचायत की योजना में कम से कम एक संकल्प शामिल करना अनिवार्य

समग्र योजना

- योजना में मात्र 3 या 4 क्षेत्र शामिल करना पर्याप्त नहीं।
- कन्वर्जेस : केंद्र और राज्य स्तर की सभी योजनाएं संसाधन कवरेज के तहत लाना।


आर्थिक आयाम: गरीबी दूर करना और रोजगार के नए विभागों द्वारा चलाई जाने वाले परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता और अवसर उपलब्ध कराना ताकि देश में चल रही आर्थिक विकास प्रक्रिया का लाभ प्राप्त कर सकें।

इस अभियान से 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और स्वसहायता समूहों से जुड़ी 5.25 करोड़ महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सशक्त

भूमिका सौंपी गई है। गांवों में लगाए जाने वाले सार्वजनिक सूचना बोर्डों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले फंडों के इस्तेमाल को पारदर्शी बनाया जा सकेगा। मिशन अंत्योदय की तरह ही सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली रैंकिंग से गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर रह जाने वाली खामियों का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा जीपीडीपी के लिए तथ्यों पर आधारित योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा सकेगा।

सामाजिक आयाम: कम आय वाले परिवारों और वर्चित वर्गों का सामाजिक विकास, सामाजिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अक्षमताएं दूर करना, स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तीकरण पर जोर देना तथा कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना।

राजनीतिक आयाम: अनुसूचित क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित गरीबों और कम आय वाले सभी परिवारों को ग्राम स्तर पर और उससे आगे भी समान रूप से भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना। इस अभियान से 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और स्वसहायता समूहों से जुड़ी 5.25 करोड़ महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सशक्त भूमिका सौंपी गई है। गांवों में लगाए जाने वाले सार्वजनिक सूचना बोर्डों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले फंडों के इस्तेमाल को पारदर्शी बनाया जा सकेगा।




चित्र 3 : देशभर में गतिविधि आवंटन की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

मिशन अंत्योदय की तरह ही सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली रैकिंग से गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर रह जाने वाली खामियों का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा जीपीडीपी के लिए तथ्यों पर आधारित योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा सकेगा।

भारत की ग्रामीण आवादी के उत्थान में मदद के लिए पंचायतों को अनिवार्य रूप से किसी एक विकास लक्ष्य को अपना 'संकल्प' बनाना होगा जिससे विकास गतिविधियां उस लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर चलाई जाएं। जीपीडीपी में गांवों की गरीबी दूर करने वाली योजना वीपीआरपी को शामिल करना भी अनिवार्य बना दिया गया है। वीपीआरपी असल में ग्राम विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग है जिसके तहत गरीबी दूर करने से जुड़ी समस्याओं को निपटाया जाता है। इन समस्याओं का पता स्व-सहायता समूह लगाते हैं जिन पर बाद में ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। सभी ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से इस अभियान की अवधि में ग्राम सभा की दो बैठकें करानी होती हैं। ग्राम पंचायतों से कहा जाता है कि लोगों को ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने के बास्ते प्रेरित करने के लिए वे सोशल और प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें। ग्राम सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का अनिवार्य कोरम तय किया गया है।


स्थायी विकास के लिए आंकड़ों पर आधारित पहल के जरिये जीआईएस-आधारित एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' को सभी ग्राम पंचायतों ने अपनाया है। ई-ग्राम स्वराज (ई-ग्राम स्वराज) को सक्रिय करके परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग अनिवार्य बना दी गई है।

राज्यों, जिलों, खंडों और ग्राम पंचायतों में योजना बनाने की स्थिति के विश्लेषण के लिए पंचायत को अनेक संसाधन मुहैया कराए गए हैं। इन संसाधनों की मदद से पंचायती राज संस्थान ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधियों पर समग्र रूप से नजर रख सकेंगे।



संसाधन कोष में कुल फंड : 27,607,243 रु.
संसाधन कोष में कुल फंड : जमा 2,761

संसाधन कोष-योजना वार



चित्र 4 : परिचय वाल जीपीडीपी नमूना

परिचय वाल के गांव की ग्राम विकास पंचायत योजना (जीपीडीपी) का नमूना चित्र-4 में देखा जा सकता है। इस ग्राम पंचायत ने वित वर्ष 2021-22 के लिए सड़क, स्वच्छता, प्रशासनिक समर्थन और पेयजल जैसी 83 गतिविधियां और जोड़ी हैं। इस ग्राम पंचायत को संसाधन सहायता के रूप में 2.76 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और अन्य कोषों से मिलने वाली सहायता राशि भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी केंद्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं को शामिल करके समग्र योजना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को वर्षभर में सभी स्रोतों से मिलने वाली सहायता राशि जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

गांदीजी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान भी पंचायती राज संस्थानों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण समर्थन देने में सहयोग कर रहा है। डंटा का उपयोग करने और योजनाओं के समन्वयन को ध्यान में रखते हुए नांडल अधिकारियों और फेसिलिटेटर्स (सुविधा प्रदाता) के प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ■

सामुदायिक आजीविका सहयोग

सुमिता चौधरी

देश में गरीबी घटाने के उपायों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनमें संवहनीय प्रक्रियाओं को अपना कर निर्धन परिवारों के आजीविका विकास पर जोर दिया गया है। इसके अनुरूप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में गरीबी उन्मूलन के लिये 'आजीविका विकास' का मार्ग अपनाया है। उसने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन कर वित्त वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया।

ए नआरएलएम विविधतापूर्ण कृषि परिस्थितिकी में विभिन्न पेशों से जुड़े गरीबों के लिये आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी और नेतृत्व के जरिये विस्तार सेवाओं के एक संवहनीय मॉडल के विकास की संभावना को व्यापक बनाता है। एनआरएलएम का यह समावेशी दृष्टिकोण पश्चिम बंगाल में निर्धन परिवारों की संगठन शक्ति, पारंपरिक बुद्धिमता, कौशल और कृषक समुदाय की पसंद के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं के साथ मेल के लिये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। एसएचजी अपरिहार्य संगठन शक्ति के साथ उभरे हैं। राज्य ने एनआरएलएम के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी सामाजिक पूँजी को बढ़ाने की संभावना का समुचित उपयोग किया है।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियां

पश्चिम बंगाल भौगोलिक विविधता और ग्रामीण समुदाय की आजीविका के स्वरूप के लिहाज से विशिष्ट राज्य है। राज्य के ज्यादातर किसान सीमांत कृषक हैं। वे अपने जीवन निर्वाह के लिये कृषि से संबंधित अनेक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। नाबाई के राज्य पर केंद्रित पत्र (2017-18) में कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया गया है जो आजीविका के अवसरों के लिये समुदाय आधारित हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि के तौर पर काफी प्रासारित हैं। छाटे और सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या तथा जमीन का घटात आकार एक प्रमुख मुद्दा है। उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन, सघन खेती तथा बीजों और पौधों की गुणवत्ता में कमी जैसे कारणों का जमीन की उर्वरता और उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन वजहों से मवेशियों पर निर्भरता बढ़ी है। मवेशियों और पक्षियों (पोल्ट्री)

की उत्पादकता बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में जलाशय अकुशल प्रवंधन और कम उत्पादन की समस्याओं से प्रभावित हैं। खेती की लागत बढ़ने के साथ ही उसमें श्रम की जरूरत भी बढ़ रही है। लिहाजा, बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा खेती से राज्य के अंदर या बाहर ज्यादा लाभकारी गैर-कृषि रोज़गारों की ओर पलायन कर रहे हैं।

राज्य में मौजूदा स्थिति में कृषक परिवारों की महिलाओं को उत्पादन प्रणाली में प्राथमिकता मिल रही है। परिवारों के पुरुष ज्यादा फायदेमंद रोज़गार की तलाश में गांव से पलायन कर चुके हैं। दूसरी ओर एसएचजी के जरिये सूक्ष्म ऋण प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है। पश्चिम बंगाल सही मायनों में भूमिहीन या सीमांत कृषक परिवारों के बड़े तबके को संगठित करना शुरू करने की स्थिति में है। राज्य में मानव शक्ति और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिये विस्तार की पारंपरिक प्रणाली पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। इसके बजाय आधुनिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने और संसाधनों



चित्र 1 : खर्च आश्रय (रेन शेल्डर) बनाने का प्रशिक्षण

संखिका बी आर अब्डूकर इस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, पश्चिम बंगाल की सीनियर फैकल्टी मेंबर है। ईमेल: susmitachoudhury39178@gmail.com

के बेहतर प्रबंधन के लिये एसएचजी समुदाय और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य से आनंदधारा-वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल लाइब्रलीहुड मिशन (डब्ल्यूबीएमआरएलएम) ने बीआर अबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट (बीआरएआईपीआरडी) के साथ मिल कर प्रभावी मॉडल की तलाश शुरू की है। बीआरएआईपीआरडी को पहले एसआईपीआरडी के नाम से जाना जाता था और उसने मॉडल की डिजाइनिंग और संसाधन समूह के क्षमता विकास में अग्रणी भूमिका निभायी है। सहयोग की यह भावना निर्धन कृषक परिवारों तक पहुंचने के लिये व्यवस्था की क्षमता के निर्माण तथा पारंपरिक बुद्धिमता, नवोन्मेय और समुचित प्रौद्योगिकियों के ताकिंक उपयोग के बीच संबंध स्थापित करने के सिद्धांत पर आधारित थी।

समुदाय प्रबंधित संवहनीय कृषि विस्तार मॉडल

आनंदधारा के तहत 2015 में समुदाय प्रबंधित संवहनीय कृषि-कम्प्युनिटी मैनेज्ड स्टेनेबल एग्रीकल्चर (सीएमएसए) की शुरूआत की गयी। इसका मकसद कृषि आधारित आजीविकाओं में सुधार लाकर निर्धन कृषक समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है। इस पहल में समुदाय यानी एसएचजी को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जा रहा है। एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण पश्चिम बंगाल में एसएचजी को खेती और कृषि आधारित आजीविका परिदृश्य में प्रमुख हितधारकों और परिवर्तनकर्ताओं के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सीएमएसए भागीदारी के उपाय के जरिये अपने उद्देश्य को पूरा करने में कुछ खास सिद्धांतों का पालन करता है। सीएमएसए की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- ग्राम पंचायत स्तर पर एसएचजी को संवहनीय प्रक्रिया के प्रसार, संसाधन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समुदाय प्रबंधित विस्तार प्रणाली के प्रमुख हितधारक का दर्जा दिया गया है।
- प्रणाली में सुधार के लिये ज्ञान के आदान-प्रदान और कौशल के हस्तांतरण को सभी गतिविधियों में मुख्य सिद्धांत माना गया है।
- सहूलियत के मकसद से प्रशिक्षित सामुदायिक ज्ञानसाधन कर्मियों-कम्प्युनिटी रिसोर्स पर्सेस (सीआरपी) के एक दल को निर्धारित समय के लिये एसएचजी से संबद्ध किया जाता है।
- अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में इन एसएचजी के साथ प्रक्रिया को सुगम बनाने में सक्षम सीआरपी के क्षमता निर्माण के कदम उठाये जाते हैं।
- पर्यावरण के अनुकूल और किफायती प्रौद्योगिकी अपना कर तथा अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा जोखिम और खर्च घटाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
- संबंधित विभागों और शोध संस्थानों से इनपुट और सेवाओं के मेल को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

जर्मीनी स्तर पर क्रियान्वयन में अपनायी जा रही कार्यप्रणाली

पश्चिम बंगाल में सीएमएसए को सीआरपी की टीमों के जरिये लागू किया जा



छायाचित्र 2 : परिवारों के साथ काम करते ज्ञानसाधन कर्मी

रहा है। टीम का नेतृत्व किसी वरिष्ठ सीआरपी के हाथों में होता है। टीम को एक एसएचजी के सुपुर्द किया जाता है। एसएचजी ही टीम के कामकाज की व्यवस्था और गांवों में उसके रहने का इंतजाम करता है। टीम के कामकाज के क्षेत्र की पहचान करने का दायित्व भी एसएचजी का ही है। वह उन परिवारों का चयन भी करता है जिनके साथ टीम साल भर बिना किसी रुकावट के हर माह कम-से-कम 15 दिनों तक काम करेगी। टीम के हर सदस्य के लिये लगभग 150 परिवारों की पहचान की जाती है। सीआरपी ग्रामीण और खास कर उन परिवारों से ज्ञान-पहचान बनाना शुरू करते हैं जिनके साथ उन्हें अगले साल भर काम करना है। वे ग्रामीणों से आजीविका से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर हर परिवार के लिये ऐसी योजना तैयार करते हैं जिसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी हो। योजना में सिर्फ परिवारों की कृषि आधारित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। सीआरपी फसल और भूमि पोषक प्रबंधन, गैर-कीटनाशक प्रबंधन, प्रणाली दृष्टिकोण जैसे चिह्नित हस्तक्षेपों में परिवार के प्रशिक्षण की योजना बनाते हैं। हरेक सीआरपी को 15 दिन के हर चक्र की समाप्ति के बाद पूरा हो चुके कार्यों के बारे में रिपोर्ट एसएचजी को सौंपनी होती है। एसएचजी के साथ विचार-विमर्श से टीम एक मौसम आधारित योजना तैयार करती है। एसएचजी सदस्यों की मौसमी आजीविका योजना के आधार पर ऋण की योजना बनायी जाती है। टीम विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं में तालमेल के लिये संबंधित विभागों के साथ काम करती है।

आनंदधारा के तहत 2015 में समुदाय प्रबंधित संवहनीय कृषि-कम्प्युनिटी मैनेज्ड स्टेनेबल एग्रीकल्चर (सीएमएसए) की शुरूआत की गयी। इसका मकसद कृषि आधारित आजीविकाओं में सुधार लाकर निर्धन कृषक समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है।

तालिका-1

सीआरपी की कुल संख्या	प्रगतिशील महिला किसानों समेत 2015 से विकसित सामुदायिक कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2015 से कवर किये गये प्रखंडों की संख्या
598	7163	128

तालिका से पता चलता है कि विस्तार मॉडल में काफी बड़ी संख्या में सीआरपी शामिल हैं। यह मॉडल महीने में कम-से-कम 15 दिनों के लिये सफलतापूर्वक रोज़गार पैदा कर सकता है। इन सीआरपी में से 53 वरिष्ठ सदस्यों को प्रखंडों में तैनात टीमों का नेतृत्व सौंपा गया है। इन 53 वरिष्ठ सीआरपी में से 24 को दो प्रखंडों में टीम का नेतृत्व दिया गया है। कुल सीआरपी में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। सीआरपी की टीम प्रशिक्षुओं के बीच से पीएमके के एक समूह की पहचान करती है। इस समूह को समूचे साल लगातार सहायता दी जाती है। तालिका से पता चलता है कि ऐसी 7163 पीएमके सीआरपी टीम के जाने के बाद भी एसएचजी को सहायता प्रदान कर रही हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर जांच से परिवारों के कवरेज और आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिहाज से इस मॉडल के प्रभाव के स्तर का पता चलता है। यह मॉडल कृषक परिवारों में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने में सफल रहा है। राज्य के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्नलिखित अवलोकन आम तौर पर पाये गये हैं-

- एसएचजी के शामिल होने से निर्धन परिवारों की पहचान में आसानी होती है। साथ ही कम समय में बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों तक पहुंच बनायी जा सकती है।
- समुदाय के साथ 15 दिनों के लिये टीम की मौजूदगी परिवारों की ताकत और अवसरों की पहचान तथा किसी भी समय सेवाएं प्रदान करने में प्रभावी होती है।


हर एसएचजी में एक साल गुजारने के बाद सीआरपी टीम प्रगतिशील महिला किसानों (पीएमके) की पहचान करती है जो उसके लौटने के बाद अपने क्षेत्र की सेवा करने में सक्षम हों। इस तरह एसएचजी आजीविका सामुदायिक कार्यकर्ता समूहों को विकसित करते हैं।

महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।



चित्र 4 : नकासीपाड़ा की महिला किसान झिंकू बीबी अपने एकीकृत खेत में

सामाजिक कवरेज



चित्र 3 : परिवारों का वितरण-2016-19 के दौरान सीएमएसए की पहलकदमियां

- सीआरपी दल के सदस्य खुद भी किसान होते हैं। इसलिये वे कृषि और संबंधित गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हुए विस्तार कार्य में प्रभावी साबित होते हैं।
- सीएमएसए में समूचे परिवार को शामिल किये जाने से संबंधनीय प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में किसी भी विचार-विमर्श में पुरुष और महिला, दोनों सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में आसानी होती है।
- टीम समुदाय की जिन परंपराओं की पहचान करती है उनसे उसके सदस्यों के ज्ञान का भंडार समृद्ध होता है।
- सीआरपी टीम सदस्यों का नेटवर्क किसानों के लाभ के लिये जैव-इनोकुलेंट, मशरूम के बीजों और मछली के अंडों जैसे माल की आपूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका निभा होता है।
- किसानों को हर चरण में सीआरपी का साथ मिलने से तकनीकी विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और पंचायतों से सेवाएं और सहायता एक साथ हासिल करना संभव होता है।

सीआरपी और किसानों के साथ बातचीत से पता चलता है कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों और नयी फसलों की स्वीकार्यता में भिन्नता है। कृषक परिवार उन सिद्धांतों, प्रौद्योगिकियों या फसलों को अपनाना चाहते हैं जिनसे श्रम और कच्चे माल पर खर्च में कमी आये और परती जमीन से एक अतिरिक्त फसल ली जा सके। उनका झुकाव आसान तथा उत्पादन बढ़ाने और फसल को नुकसान से बचाने वाली

खेती प्रौद्योगिकियों और फसलों की ओर होता है जिनसे घाटे में कमी आये और लाभ में इजाफा हो। सीएमएसए के लक्ष्यों में ग्रामीण परिवारों में पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना शामिल है। खेती के लिये आर्गेनिक पराशो के इस्तेमाल की स्वीकार्यता के स्तर में काफी अंतर है। खास तौर से फसल बचाव के उपायों में रसायनों के इस्तेमाल में कमी काफी हद तक संभव हुई है। सीआरपी जिन उपायों का प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से गैर-कीटनाशक प्रबंधन-नॉन पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट (एनपीएम) को कृपक परिवारों ने प्राथमिकता दी है।

सुधार की संभावना

जिन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वे हैं-

- आर्गेनिक खेती के लिये जरूरी कच्चे माल की कम उपलब्धता किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तौरतरीकों को जारी रखने से रोकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों और बागवानी योजना में जैव-कृषि के लिये उपयोगी पौधों को तरजीह दी जानी चाहिये।
- पोलारी चारा, पक्षियों और पशुओं का नियमित टीकाकरण, मछलियों का भोजन, सरसों और दालों का प्रसंस्करण और जलाशयों का अधिकतम उपयोग वे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है।
- एक साल का समय एसएचजी के तहत सभी परिवारों को बेहतर परिणाम के बास्ते समुचित तौर-तरीके अपनाने और विभिन्न तौर-तरीकों के साथ प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपर्याप्त है।
- जैव-इनोकुलेंट, कृषि और अन्य उपयोगी सामग्रियों जैसे कच्चे माल की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। उसे खास तौर से केवीके की अवसरंचना का इस्तेमाल करते हुए विकेंद्रित ढंग से बायो-प्रयोगशालाओं की स्थापना कर इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में कच्चे माल के उत्पादन और सेवा डिलीवरी में स्वरोज़गार की व्यापक संभावना का उपयोग किया जाना चाहिये। कुटीर उद्योगों की सही ढंग से स्थापना कर उनके लिये समुचित वित्त प्रबंध किया जाये तो उदीयमान क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को रोज़गार मिल सकता है।

निष्कर्ष

विविधता और अलग-अलग जरूरतें हमारे देश में किसी भी विकास पहल के लिये चुनौती हैं। पिछले कुछ दशकों में सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और प्रभावी डिलीवरी के लिये संस्थागत आधार को मजबूत करने में समुदाय आधारित संस्थाओं को तरजीह दी गयी है। परिवर्तन के लिये नवोन्मेष की समृद्धी प्रक्रिया में सामुदायिक बुद्धिमता को शामिल किया जा रहा है। सीएमएसए मॉडल को डिलीवरी के अधोमुखी साधन के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन यह निस्संदेह



चित्र 5 : धान के खेत में लाइट ट्रैप का प्रयोग - फसल उत्पादन का प्राकृतिक तरीका

समुदाय की अपनी रणनीति के विकास की संभावना को व्यापक बनाता है। इसमें त्रैण की जरूरत को प्रशिक्षण और विस्तार से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। देखना है कि क्या ये एसएचजी भविष्य में इन सेवाओं को सदस्य परिवारों तक सीआरपी और पीएमके की मदद से पहुंचाने के लिये एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल तैयार कर सकते हैं। परिचम बंगल में सीएमएसए की सफलता से जाहिर है कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में नयी पीढ़ी की ग्रामीण विस्तार टीम को विकसित और मजबूत किया जाना चाहिये। इससे संस्थाओं को सुदृढ़ बना कर और आजीविकाओं के विकास के जरिये ग्रामीण निर्धनता घटाने के एनआरएलएम के व्यापक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। ■

धन्यवाद ज्ञापन

मैं सीआरपी टीमों तथा सीएमएसए की केन्द्रीय तकनीकी टीम के सदस्यों और डब्ल्यूईएसआरएलएम-आनंदधारा के दल का आलेख में इस्तेमाल किये गये जहरी तथ्यों और क्षेत्र स्तरीय सूचनाओं को मुहैया करने के लिये धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।

संदर्भ

1. गराई सुमन, गराई संचिता, मैती संजीत, मीणा ब्रजेंद्र, घोष एम एंड भक्त, चंपक एंड दत्त, तपन (2017)। इंपैक्ट ऑफ एक्सटेंशन इंटरवेंशंस इन इंग्रीविंग लाइबलीहुड ऑफ डेयरी फार्मर्स ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगल, इंडिया, ट्रॉपिकल एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन। 49.10.1007/एस11250.017.1244.5.
2. मैती सुमन के (2021) चैंजेज एंड एफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ ए एडटेशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस वाई फार्मर्स: ए ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ एगरा सबडिवीजन, पूर्व मेंदिनीपुर, वेस्ट बंगल, इंडिया, जैईटीआईआर जनवरी, 2021, वर्ष आठ, अंक एक। www.jetir.org (ISSN-2349-5162)
3. मार्कों फेरोनी एंड युआन ज्ञाऊ (2012), अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेज इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया, ग्लोबल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 4(3) 319-346, इमर्जिंग मार्केट्स फोरम सेज पब्लिकेशंस लॉस एंजेलिस, लंदन, न्यू देल्ही, सिंगापुर, वॉशिंगटन डीसी डीओआई: 10.1177/0974910112460435 <http://eme.sagepub.com>
4. नावार्ड, स्टेट फोकस पेपर, 2017-18
5. रॉय सव्यसाची (2020) आर्गेनिक एग्रीकल्चर इन इंडिया: ए किटिकल एनालिसिस, शोधगांगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय कृषि विस्तार विभाग से डाउनलोड, <http://hdl.handle.net/10603/317210>
6. सीएमएसए, बीआरएआईपीआरडी पर समीक्षा रिपोर्ट।

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरों जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-








सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	₹. 434	₹. 364
2 वर्ष	₹. 838	₹. 708
3 वर्ष	₹. 1222	₹. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।



दिशा अगर हो सही तो पूरे होंगे सपने

MUST HAVE books for UPSC Prelim & Main Exams



Scan or Visit

<https://bit.ly/upsc-hindi>

Available at : dishapublication.com | amazon.in | flipkart.com | Leading Bookshops

सूचना, शिक्षा और संचार

आलोक पंडिया

पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। पुरातनकाल से भारत में पंचायतों और 'पंच परमेश्वर' के न्याय के माध्यम से गांवों में एक आदर्श शासन व्यवस्था संचालित होती रही है, जिसने हमारे ग्रामीण जीवन और वहाँ की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त बनाया कि दुनिया में आने वाले वड़े से बड़े उत्तर-चढ़ाव और आपदाएं भी उसे प्रभावित नहीं कर पाएं हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इन प्राचीन पंचायतों का अपना सूचना-संचार का एक तंत्र भी था। गांव में ढिंडोरा पिटवाकर या कोटवार के माध्यम से राज्यादेश को जन-जन तक पहुंचाया जाता था।

स्व

तंत्रात् संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे के साथ-साथ व्यवस्था को अधिरेशित करते हुए ग्राम पंचायतों को अत्यधिक सशक्त बनाया गया है। पंचायतें आज ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उत्तरदायी संस्थान हैं और ग्राम रूपांतरण के अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पंचायतें शासन की सभी योजनाओं का अंतिम अभिसरण बिंदु हैं। देश की लगभग 65 फीसदी आबादी तक सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पहुंचाने में पंचायतों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में ग्राम पंचायतें न केवल पंचायती राज मंत्रालय अपितु सभी मंत्रालय/विभागों की जानकारियों के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका निभाती हैं।

विगत दो दशक में संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। देश के एक कोने से दूसरे कोने में अब सूचनाएं पहुंचाने का कार्य कुछ ही क्षणों में हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने संचार की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। हमारे गांव भी इक्कीसवीं सदी के संचार माध्यमों से अब अदूरे नहीं हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया अब ग्रामीण अंचलों में भी संचार के अनिवार्य माध्यम हैं। बदलते दौर में संचार के अत्याधुनिकतम साधन अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी सबसे बेहतर साधन हैं।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्राम पंचायतों की सूचना आवश्यकता को निर्मित करने और उनके प्रोत्साहन एवं समर्थन का कार्य भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय करता है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल कवरेज के दायरे में आने वाली पंचायतों की संख्या बहुत अधिक है। डिजिटल इंडिया के संकल्प की सिद्धि की दिशा में पंचायती राज

लेखक पंचायती राज मंत्रालय में वरिष्ठ मीडिया सलाहकार हैं। ईमेल: alok.pandya@govcontractor.in

संस्थाएं तेजी से अग्रसर हैं। पंचायती राज संस्थाओं में ई-गर्वनेंस सिस्टम को लागू एवं सशक्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ई-पंचायत मिशन मोड कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी एवं परिणामोत्पादक है। भारत सरकार के इस कदम से जहाँ समाज के अंतिम छोर तक सुविधाओं को पहुंचाने में आसानी हुई है, वहाँ सूचनाओं के प्रसार के लिए यह माध्यम एक वरदान साबित हुआ है।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर के माध्यम से जोड़ कर अत्याधुनिक संचार सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। भारत नेट परियोजना के तहत अब तक 1,73,079 ग्राम पंचायतों में ऑप्टीकल फाइबर पहुंचाया जा चुका है। डिजिटल सशक्तीकरण के अब पंचायतें भी सूचना, संचार की दिशा में तीव्र गति से कार्य कर रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता का सबसे



कोविड-19 के बारे में दीवार चित्र के माध्यम से जागरूकता



ग्राम पंचायत का डिजिटल साक्षरता केंद्र

उत्कृष्ट उदाहरण कोविड-19 के संकटकाल में देखने को मिला है। एक सुव्यवस्थित प्रचार प्रणाली का उपयोग कर पंचायती राज मंत्रालय, राज्य की सरकारें एवं पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण अंचल में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 की आहट के साथ ही मार्च 2020 में मंत्रालय द्वारा इन विषय पर एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की गई। मंत्रालय का उद्देश्य पंचायतों के माध्यम से कोरोना महामारी के प्रति ग्रामीणजनों को संवेदनशील बनाने के साथ ही ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय करना था।

कोविड संकटकाल में आईसीसी गतिविधियों के माध्यम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय-समय पर जारी की गई गाइडलाइन, अनुदेशों एवं सामाजिक स्वास्थ्य उपायों को भी पंचायतों के माध्यम से ही गांवों में जन-जन तक पहुंचाने कार्य किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की सभी पंचायतों के सरपंचों, अन्य जनप्रतिनिधियों एवं संवर्धित अधिकारियों को बल्क एसएमएस तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समय-समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग एवं इन विषयों के लिए ग्राम सभा का आयोजन करने पर जागरूक किया गया। कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को सक्रिय करने के लिए ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सुविधा के लिए अनुरोध करने वाली एक और परामर्शिका दिनांक 13 मार्च, 2020 का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार जागरूकता सामग्री भी ग्राम पंचायतों के प्रसार के लिए राज्यों/केंद्र

शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई। गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर बॉल पेटिंग्स, होर्डिंग्स, बैनर्स के माध्यम से कोरोनो प्रोटोकॉल, मॉस्क का उपयोग एवं हाथों को सैनेटाइज करने की जानकारी का प्रदर्शन एक प्रभावी प्रयास साबित हुआ।

पंचायतों को भेजी गई आईईसी सामग्री ग्रामीण क्षेत्र में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने, रोगियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने एवं शहरों के लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन में काफी सहयोगी एवं सार्थक साबित हुई।

पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मिडिया प्लेटफार्म के माध्यम फेसबुक पेज एवं ट्वीटर हैंडलर भी इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान पंचायतों द्वारा अपनाई गई सर्वोक्तृष्ट प्रथाओं एवं नवाचार को भी सोशल मीडिया के माध्यम पर साझा किया गया, ताकि अन्य पंचायतें भी उनका अनुसरण करें।

दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन में भी पंचायतों द्वारा जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों की अहम भूमिका है। आपको स्मरण होगा कि प्रारंभ में कतिपय दूरस्थम ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण को लेकर भ्रम, असमंजस, भय और विरोध की स्थिति थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में ही सभी राज्यों को इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पत्र भेजा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री को पंचायतों तक पहुंचाया गया।

ग्राम सभा को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और विकेंद्रीकृत इकाई माना

गया है। ग्राम पंचायत के स्वशासन, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा वह मंच है जो प्रत्यक्ष, सहभागी लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ग्राम सभा को संविधान (अनुच्छेद 243) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। ग्राम सभा, शासन के निर्णयों को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आईसीसी गतिविधियों को ग्राम सभा के माध्यम से प्रसारित किए जाने का कार्य पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

14वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2015-2020) की अनुशंसाओं में अनुदान

राशि के उपयोग हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो और ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजना के लिए सुझाव आएं इस पर विगत वर्षों से बल दिया जा रहा है। संचार, शिक्षा एवं सूचना गतिविधियों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य में जनभागीदारी को बढ़ाया जा रहा है।

ऑन लाइन डैश बोर्ड आज के डिजिटल युग में सूचना एवं संचार का सशक्त माध्यम है। आप अपने घर में बैठकर देश के किसी भी कोने की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने भी डैश बोर्ड निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना, ई-ग्राम स्वराज, लोकल गर्वमंट डायरेक्टरी, ग्राम पंचायत विकास योजना, ऑफिट ऑनलाइन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, सर्विस प्लास एवं पंचायत चार्टर से संबंधित डैशबोर्ड संचालित हैं, जो संबंधित योजना के अपडेट आंकड़ों एवं सूचनाओं को आमजन तक पहुंचा रहे हैं। इन डैशबोर्ड में पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम सभा वह मंच है जो प्रत्यक्ष, सहभागी लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ग्राम सभा को संविधान (अनुच्छेद 243) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। ग्राम सभा, शासन के निर्णयों को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।

18 जून 2021 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित उपायों के बारे में रियल टाइम डेटा/सूचना की उपलब्धता और वहां प्रधानी कोविड प्रवंथन सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया है। यह डैशबोर्ड ग्रामीण स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) द्वारा किए जा रहे कोविड कंटेंमेंट एवं उपचार उपायों की जानकारी तो प्रदान करता ही है पंचायत द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए की जा रही गतिविधियों का डाटा भी प्रदान करता है।

डिजिटल युग में आज सोशल मीडिया

भी सूचना एवं संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। पंचायती राज मंत्रालय के फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब एकाडंट के माध्यम से भी ग्रामीण अंचल तक योजनाओं, आयोजनों, सूचनाओं श्रेष्ठ प्रथाओं एवं सफलता की कहानियों को पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र एक अनुकरणीय प्रयास है, ये बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ग्रामोदय संकल्प भी पंचायतों तक संचार, शिक्षा एवं सूचनाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। यह पत्रिका हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ ही ।। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। ग्रामोदय संकल्प में पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं को सरल माध्यम में जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियां, पंचायतों द्वारा किए गए नवाचार, सफलता की कहानियां और पंचायतों की श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रकाशित किया जाता है। यह पत्रिका मंत्रालय के अधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल फार्म में भी उपलब्ध है। ■

हमारी पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
अधिकारी चतुर्वेदी, संपादक

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल : 9210510126

ईमेल : pdjucir@gmail.com



कोविड-19 के दौरान ग्रामीण प्रबंधन

रमिन्दर कौर बटला
यतिका हसीजा

भारत सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। पंजाब में, महामारी के प्रसार को कम करने के प्रयास पहले से ही शुरू किए जा चुके थे। कुल 13262 ग्राम पंचायतों और कई गांवों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी ने संक्रमण पर नियंत्रण और आजीविका बनाए रखने के लिए कई नए तरीके अपनाएं।

पं

जाव के ग्रामीण इलाकों में इस संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतें बढ़चढ़ कर काम कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ विभागीय अधिकारियों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक ग्राम पंचायत ने अपनी क्षमता के अनुसार व्यापक उपाय लागू किए हैं, ताकि विषाणु के फैलने की रफ्तार को धीमा किया जा सके, मृत्यु दर को कम किया जा सके, और अंततः निम्न-स्तर की स्थिर स्थिति बनाए रखी जा सके तथा पूरी तरह संचरण पर काबू पाया जा सके। धातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीणों का समर्थन काबिल तारीफ है। पंजाब में महामारी के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ निकट समन्वय से बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई निवारक उपाय किए हैं। विभाग ने कोविड मामलों के प्रबंधन के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित सेवाओं और प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित किया। विभाग ने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए ग्रामीणों का आह्वान किया।

महामारी की शुरुआत के बाद से, ग्राम पंचायतों ने फसलों पर नियमित रूप से धूमन किया गया था। 13230 गांवों में 4.81 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल का छिड़काव कर यह कार्य पूरा किया गया। ग्राम पंचायतों ने इस संबंध में युवाओं को आगे आकर मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजतन, यह कार्य बड़े पैमाने पर बिना किसी श्रम लागत के किया गया था। बाहरी लोगों की आमद को रोकने के लिए पंचायतें ठिकरी पेहरा की एक सदियों पुरानी अवधारणा के साथ आगे आई। ग्रामीणों ने ठिकरी पेहरा के माध्यम से प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील करके निवासियों

की सुरक्षा की। महिला सरपंच भी चौबीसों घंटे जुटी रहीं और उन्होंने रात्रि गश्त में भी भाग लिया।

संक्रमण को फैलने से रोकने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षित दूरी के उपाय किए गए और आवाजाही पर प्रतिवंध लागू किया गया था। ग्राम पंचायतों को उन स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया जहां सुरक्षित दूरी का पालन किया जाना था। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर दो मीटर की दूरी पर सफेद या लाल रंग से धेरे बनाए गए। लोगों से सुरक्षित दूरी का पालन करने का अनुरोध करने के लिए गुरुद्वारों के माध्यम से दैनिक घोषणाएं की गईं। राज्य के आर्थिक ढांचे की रीढ़-किसानों और खेतिहार मजदूरों ने फसल-कटाई का काम जारी रखा। उन्होंने कटाई की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित दूरी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया और अपने चेहरे को मास्क से ढका। कटाई स्थलों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों ने ग्राम पंचायतों के सरपंच/



सबसे कम उम्र की महिला सरपंच पल्लवी राकुर द्वारा ठिकरी पहरा

रमिन्दर कौर बटला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, पंजाब की अपर निदेशक (पंचायत) हैं। ईमेल: sirdpb01@gmail.com यतिका हसीजा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग, पंजाब में कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं।



फसल कटाई के दौरान सोशल डिस्टर्सिंग का पालन करते किसान

पंच को बच्चियों, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों की बुनियादी आवश्यकताओं और कोविड की आपात स्थिति में उपचार के लिए पंचायत निधि से प्रति दिन 5000 रुपये तक, अधिकतम 50,000 रुपये तक खर्च करने के लिए अधिकृत किया।

लॉकडाउन के दौरान रोज़गार

लंबे समय तक तालावंदी के परिणामस्वरूप दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का रोज़गार नहीं रहा और आय का नुकसान हुआ। काम की भारी मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने मनरेगा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग के अथक प्रयासों से, कार्य मानव-दिवसों की संख्या अप्रैल 2020 की 2.7 लाख से लगभग 10 गुना बढ़कर मई 2020 में 21.7 लाख हो गई। 2020-21 में उत्पन्न मानव-दिवसों की कुल संख्या में 2019-20 की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस पर 2020-21 में कुल 1241 करोड़ रुपये (अब तक के सबसे अधिक) खर्च किए गए थे।

श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रति गांव 550 पौधे, 77 लाख पौधे लगाए गए और लगभग 26000 वन मित्र नियुक्त किए गए। नतीजतन, 2017 के बाद से राज्य के कुल हरित क्षेत्र में 11363 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसने संकट के समय ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका का साधन सुनिश्चित किया और निम्न आर्थिक स्तर वाले लोगों को, इन पौधों का पोषण करके आय का स्रोत उत्पन्न करने में मदद की।

तालाब सफाई अभियान

विभाग ने राज्य में गांवों के तालाबों की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान तालाबों से पानी और गाद निकालकर उन्हें मानसून के मासम के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया। लगभग 7851 तालाबों से पानी निकाला गया और 3699 तालाबों को गाद से मुक्त किया गया, जिससे कुल 28.13 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 9.92 लाख मानव-दिवस



मनरेगा के तहत नियुक्त हुए वर्कमित्र



मनरेगा के ज़रिए रोज़गार सृजन

कार्य सृजित हुआ। इसने न केवल उन लोगों को काम दिया, जिनकी महामारी के कारण नौकरी चली गई थी, बल्कि पारंपरिक तालाबों का कायाकल्प भी किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा मास्क बनाना

पंजाब में महिला स्वयं सहायता समूहों ने कोविड-19 महामारी की असाधारण चुनौती का सामना किया है और संकट को एक अवसर में बदल दिया है। बढ़ती मांग के बीच, इन समूहों की सदस्यों

ने उचित मूल्य पर मास्क, एप्रन और दस्ताने बनाकर कोविड -19 की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) के तहत अब तक 3838 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने 6.45 लाख मास्क वितरित किए हैं, जिससे इनकी विक्री से 53.6 लाख रुपये की आय हुई है। लॉकडाउन अवधि के दौरान, मास्क बनाने से इन स्वयं सहायता समूहों को आजीविका कमाने और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला।

मिशन फतेह के तहत जागरूकता अभियान

विभाग ने 'मिशन फतेह' के तहत ग्राम पंचायतों को बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि लोगों को अनिवार्य चिकित्सा प्रोटोकॉल के बारे में



तालाबों से पानी और गाद निकालने का काम



ग्राम पंचायत में मास्क बनाने का काम

जागरूक किया जा सके, और उन्हें महामारी से बचाया जा सके। इसे लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए मिशन कहा गया। पंचायत के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल शिक्षक, युवा स्वयंसेवक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर जुटे। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सैंपलिंग और टीकाकरण का विरोध किया था। इसलिए, समुदायों को इस बारे में जागरूक करना अधिक महत्वपूर्ण था कि टीकाकरण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इस बारे में प्राथमिक जानकारी के अभाव में ग्रामीण अफवाहों और भ्रामक जानकारी से गुमराह हो रहे थे। टीकाकरण के बारे में समय पर, सटीक और पारदर्शी जानकारी का प्रसार करने के लिए ग्रामीण पंजाब में एक प्रभावी संचार और जागरूकता कार्यनीति शुरू की गई थी। इससे टीकों की झिझक से लड़ने में मदद मिली, आशंकाओं को कम



चित्र 6 : ग्रामीण पंजाब में टीकाकरण अभियान

किया गया, इसकी स्वीकृति सुनिश्चित की गई और अधिक नागरिकों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ग्रामीण जनता को सजग बनाना

ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को पूरे जोश के साथ चलाया। विभाग ने राज्य के सभी सरपंचों के साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। 12 अप्रैल 2020 से अब तक राज्य के सभी सरपंचों को ग्राम पंचायतों के बारे में एक दैनिक व्हाट्सएप संदेश भेजा जा रहा है। मीडिया को जारी करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग को दैनिक जागरूकता श्रव्य-दृश्य संदेश भी भेजा गया। विभाग ने आईईसी गतिविधियों का प्रसार करने के लिए फेसबुक और टिकटोक पर आधिकारिक पेज बनाए। यह ग्रामीण आबादी को किसी भी तरह की दहशत से बचाने के लिए फर्जी खबरों और अफवाहों पर लगाम लगाने की दिशा में भी एक कदम था। इसके अलावा, गांव स्तर पर सरपंचों द्वारा पर्चे तैयार किए गए तथा वितरित किए गए और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए थे।

वायरस से संबंधित ई-लर्निंग सामग्री को क्षेत्रीय भाषा में विकसित किया गया और सरपंचों, पंचों तथा गांवों में परिवारों को बीमारी, इसके लक्षणों और रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए प्रसारित किया गया। विभाग ने महामारी का मुकाबला करने और कोविड की झिझक को दूर करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग किया।

पृथकीकरण (आइसोलेशन) और उपचार

विभाग ने लोगों को हल्के लक्षणों के मामले में भी परीक्षण करने, अपने को आइसोलेट करने और बाद में टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायतों में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट पर केंद्रित स्कीनिंग कैंप आयोजित किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और सहायक नर्स दाइयों (एएनएम) को रैफिड एंटीजन परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। विभाग ने ग्राम पंचायतों को कोविड रोगियों की निरंतर निगरानी के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मिशन तंदुरुस्त अभियान के तहत ग्राम पंचायतों ने कोविड पॉजिटिव रोगियों को निःशुल्क उपयोगिता किट प्रदान की। होम आइसोलेटेड मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही थी और उन्हें परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए आटा, चना और चीनी युक्त भोजन किट दी गई थी।

ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन

पंजाब सरकार के 'कोरोना मुक्त पिंड अभियान' के तहत 100 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक ब्लॉक के पहले गांव को 10 लाख रुपये का विशेष विकास अनुदान देकर पंजाब सरकार ग्रामीणों को टीका हिचकिचाहट छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग अनुदान के अनटाइड घटक को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर खर्च करने की सलाह दी गई है। ■

हमारे नए प्रकाशन



गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास,
जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन,
आधुनिक भारत के निर्माता सूखला की पुस्तकें,
कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य




चुनिदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाए।
ऑफर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609. ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

अब प्रिंट और ई-बुक संरक्षण उपलब्ध है



मूल्य - ₹ 310/-

पंडित भीमसेन जोशी
सेलिब्रेटिंग हिज़ सेन्टिनरी

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें




प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



ई-जीएसपीआई की वर्तमान स्थिति (2020-21)


पंचायती राज
गोपनीय राज




ई-जीएसपीआई की वर्तमान स्थिति (2020-21)

नई उपलब्धियां

- पंचायतों ने अपने लाभार्थियों/वेंडरों को 55,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सफलतापूर्वक ऑनलाइन ट्रांसफर किया।
- 2.28 लाख पंचायतें ई-जीएसपीआई के जरिये भुगतान करने के लिए ऑन बोर्ड तैयार हो चुकी हैं।
- 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों ने पिछले वित्त वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए।
- ई-ग्राम स्वराज में रसीद वाउचर स्वतः आएगा।
- सरकारी खजाने से ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली सहायता राशि को स्पष्ट दिखाने के लिए ट्रेज़री एकीकरण के आधार



ई-ग्राम स्वराज में वार्षिक प्रगति



ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस प्रदर्शन

लेखक मोहित गुप्ता पंचायती राज मंत्रालय में सलाहकार हैं। ईमेल: mohit.gupta20@nic.in

अब उपलब्ध है



PANCHAYATI RAJ in India

Dr. Mahipal




पंचायती राज इन इंडिया

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



प्रकाशक व मुद्रक : मोनीदीपा मुखर्जी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा
प्रकाशन विभाग के लिए चन्द्र प्रेस, डी-97, शकापुरा, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल